न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

पीठासीन अधिकारी	– शालिनी शर्मा, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या	– 62/2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	– 45/2017 पुलिस थाना गांधीनगर।
सी.आई.एस. संख्या	– 17/2017
सी.एन.आर. संख्या	– RJAJ170005452017

1. राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, किशनगढ़, जिला अजमेर

– अभियोगी

ब ना म

1. संजय कुमार उर्फ सन्नु पुत्र श्री रामचन्द्र सांखला, उम्र 39 साल, निवासी गली नं. 06 वर्धमान कॉलेज के सामने कृष्णा कॉलोनी, कुमावत भवन के पास ब्यावर, पुलिस थाना ब्यावर सिटी, जिला अजमेर हाल गोकुल विला कॉलोनी गांधीनगर किशनगढ़, पुलिस थाना गांधीनगर जिला अजमेर।

–अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 498 ए, 304 बी, 302 भारतीय दण्ड संहिता।

उपस्थित –

1. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक	– श्री पदमराज सैनी।
2. अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता	– श्री उमरदान लखावत।
3. परिवादी अधिवक्ता	– श्री जी.एस. सोडी

– :: निर्णय :: –

दिनांक ::– 08.05.2026

1. हस्तगत प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के आदेशानुसार निस्तारण हेतु न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 किशनगढ़ से अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ, जिसे नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के **संक्षिप्त तथ्य** इस प्रकार से हैं कि कैम्प चीरघर वाई.एन.एच. पर प्रार्थी रतन सिंह ने एक हस्त लिखित तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 01.03.2017 को रात्रि उसके पुत्र के मोबाइल नं. 9251012689 पर एस.आई. गांधीनगर से फोन आया कि आपकी बेटी नवनीता (पत्नी संजय) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, आप जल्दी से किशगनढ़ पहुंचे, डेड बॉडी आपके सामने उतारेंगे, जिस पर वह परिवार सहित रिलायस पेट्रोल पम्प के पीछे गोकुल कॉलोनी में पहुंचा, तो वहां देखा कि वह साड़ी से लटकी हुई थी, पैर जमीन

पर टिके हुये थे। इससे यह प्रतीत होता है कि उसकी बेटी नवनीता को पहले मारा गया, फिर आत्महत्या का रूप देते हुए लटका दिया गया है। नवनीता की षड्यन्त्र रचकर हत्या कर दी गयी है। संजय सांखला आदतन शराबी है तथा उसकी पुत्री नवीनता को शादी के बाद से ही प्रताड़ित करता था तथा सरेराह नवनीता के साथ मारपीट करता रहता था। संजय ने एक सगाई जयपुर में करके छोड़ी थी। फिर लोहाखान पुलिस लाइन निवासी एक लड़की से शादी की। उसे शादी के दूसरे दिन ही उस लड़की पर यह इल्जाम लगाकर छोड़ दिया कि इसके किसी से अवैध संबंध है। इसके बाद संजय ने उसकी बेटी नवीनता से आर्य समाज में शादी कर ली और उन्हें इसकी सूचना तक नहीं दी। इस शादी में उसके मित्र राजू बागड़ी (एडवोकेट) को ही लड़की का भाई बनाकर शादी करायी गयी। तब उसे पता लगने पर 08–02–2012 को उत्सव पैलेस गुलाब बाड़ी मैरिज गार्डन में समाज के सामने धूमधाम से शादी की। शादी में उसने जेवर, घरेलू सामान सहित (स्वर्ण ज्वेलरी पांच तोला) लगभग 10 लाख रुपया खर्च किया। शादी के छह माह पश्चात् ही यह शराब सेवन कर नवनीता को मारता पीटता था। कुछ समय बाद ही नवनीता को पता चला की संजय ने शादी के पहले ही नसबन्दी का ऑपरेशन करवाया हुआ था। उसकी पुत्री ने उसे यह बात बताई तो उसने मृतका की ननद संजय की बहन संगीता टाक को बताया तो उसने वापस जवाब दिया कि पुलिस लाइन में जो शादी हुई वो लोग इसे बदनाम करने के लिये ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद उसकी पुत्री नवनीता एव संजय दोनों की संतानोत्पत्ति क्षमता की जांच हुई जो कि नवनीता की नॉर्मल पायी गयी। संजय की जांच में डॉक्टर को बताया कि संजय ने नसबंदी करायी हुई है। यह जांच करवाने के बाद दोनों घर आ गये। नवनीता ने संजय को कहा की आप नसबंदी खुलवा लो तब संजय ने कहा कि उसके पास दो लाख रुपये फालतु नहीं है। संजय की गलत आदतों की वजह से इस पर लाखों रुपयों का कर्ज हो गया। बकॉल संजय एक करोड़ बीस लाख रुपये डूब गया। इसलिये उसकी पुत्री पर दबाव डालता था कि अपने पिता से उसे रुपये लाकर देवे। यह जब भी लड़ाई करता तो शराब पीया हुआ रहता था। उसे अपनी पुत्री नवनीता की आत्महत्या करने की बात का जरा भी विश्वास नहीं है, वह बहादुर लड़की थी, इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना गांधीनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 45/2017 अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान किया जाकर बाद पूर्ण अनुसंधान अभियुक्त संजय उर्फ सन्नु के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता में आरोप–पत्र संबंधित न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02, किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण बाद प्रसंज्ञान कमिट होकर न्यायालय अपर जिला एवं

सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़ को प्राप्त होने पर नियमानुसार नियमित दाण्डिक दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्त को आरोप अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए, 304 बी विकल्प में 302 में पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए, तो अभियुक्त ने उपरोक्त आरोप को सुन–समझकर इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, वह इस प्रकार हैः–

क्रम सं.	पी.डब्ल्यू.	गवाह का नाम
1	पी.ड. 1	सुखदेव
2	पी.ड. 2	राजेश टाक
3	पी.ड. 3	हरिनारायण
4	पी.ड. 4	डॉ. के.के. तनवानी
5	पी.ड. 5	रतन सिंह
6	पी.ड. 6	चन्दन वर्मा
7	पी.ड. 7	जयमाला सिसोदिया
8	पी.ड. 8	सुलोचना पालडिया
9	पी.ड. 9	अरूणा टांक
10	पी.ड. 10	सुनील कुमार
11	पी.ड. 11	महेश कुमार
12	पी.ड. 12	हनुमान जांगिड़
13	पी.ड. 13	गोपाल
14	पी.ड. 14	सूरजमल
15	पी.ड. 15	आशीष कुमार
16	पी.ड. 16	राजेन्द्र सिंह राठौड़
17	पी.ड. 17	आलोक
18	पी.ड. 18	हेमराज सिसोदिया
19	पी.ड. 19	हरेन्द्र कुमार
20	पी.ड. 20	डॉ. पूनम अग्रवाल
21	पी.ड. 21	अमित सिंह
22	पी.ड. 22	जगदीश
23	पी.ड. 23	फतेह सिंह
24	पी.ड. 24	अजीत सिंह

25	पी.ड. 25	नवीन सिसोदिया
26	पी.ड. 26	प्रियंका
27	पी.ड. 27	डॉ. के.आर. टेवानी
28	पी.ड. 28	मोटाराम
29	पी.ड. 29	डॉ. अशोक कुमार

6. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाए गए–

क्रम सं.	प्रदर्श	विवरण दस्तावेज
1	प्रदर्श पी. 1	फर्द पेशकशी सुसाइड नोट
2	प्रदर्श पी. 2	फर्द जब्ती साड़ी
3	प्रदर्श पी. 3	फर्द सुरते हाल
4	प्रदर्श पी. 4	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
5	प्रदर्श पी. 5	अग्रेषण पत्र
6	प्रदर्श पी. 5	तहरीरी रिपोर्ट
7	प्रदर्श पी. 6	फोटोग्राफ मृतका
8	प्रदर्श पी. 6	फर्द नक्शामौका
9	प्रदर्श पी. 7	पंचायतनामा
10	प्रदर्श पी. 8	फर्द गिरफ्तारी
11	प्रदर्श पी. 8	फर्द सुपुर्दगी लाश
12	प्रदर्श पी. 9	फर्द जब्ती अध्ययन नोट्स
13	प्रदर्श पी. 10	फर्द जब्ती दहेज का सामान
14	प्रदर्श पी. 11	अग्रेषण पत्र
15	प्रदर्श पी. 12	प्राप्ति रसीद
16	प्रदर्श पी. 13 से 17	फोटाग्राफ्स
17	प्रदर्श पी. 18	मालखाना रजिस्टर की प्रति
18	प्रदर्श पी. 19	तहरीरी अभियुक्त संजय
19	प्रदर्श पी. 20	सुसाइड नोट
20	प्रदर्श पी. 21	उपखण्ड अधिकारी का पत्र
21	प्रदर्श पी. 22	एफएसएल रिपोर्ट
22	प्रदर्श पी. 23	स्त्रीधन की सूची
23	प्रदर्श पी. 24	चाक एफआईआर
24	प्रदर्श पी. 25	मालखाना रजिस्टर की प्रति

25	प्रदर्श पी. 26	अग्रेषण पत्र
26	प्रदर्श पी. 27	उपखण्ड अधिकारी द्वारा अग्रेषण पत्र
27	प्रदर्श पी. 28 से 32	लिफाफा
28	प्रदर्श पी. 33 से 51	मृतका के फांसी के फंदे पर लटके हुए फोटोग्राफ्स
29	प्रदर्श पी. 52 व 53	लिफाफा
30	प्रदर्श पी. 54 से 58	मृतका के शादी के फोटाग्राफ्स
31	प्रदर्श पी. 59	लिफाफा
32	प्रदर्श पी. 60 व 61	जेवरात के फोटाग्राफ्स
33	प्रदर्श पी. 62 व 63	शादी का कार्ड

7. अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध कराए गए, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया है तथा मैरिज प्रमाण पत्र प्रदर्श डी. 2 पेश किया था, सीसीटीवी फुटेज फर्जी है, उसकी 2012 में शादी नहीं हुई। उसके ससुरालवालों ने 2012 में उसके साले नवीन की सगाई के अवसर पर अपने घर पर आना जाना शुरू करवाया, इससे पहले वे उनसे नाराज थे, केवल स्टेज पर बिठाकर माला पहनाई थी और बिठाया था। गलत दिशा में अनुसंधान कर आरोप पत्र पेश किया बताते हुए स्वयं का निर्दोष होना एवं झूठा फंसाए जाने का कथन करते हुए साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करना चाहा, जिस पर पर्याप्त अवसर दिए के उपरांत भी अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य सफाई पेश नहीं किए जाने से साक्ष्य सफाई अवसर बंद किया गया।

8. अभियोजन गवाहान की जिरह के दौरान निम्न दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया–

क्रम सं.	**प्रदर्श**	**विवरण दस्तावेज**
1	प्रदर्श डी. 1	बयान रतन सिंह
2	प्रदर्श डी. 2	विवाह प्रमाण पत्र
3	प्रदर्श डी. 2	पुलिस बयान श्रीमती चन्दन वर्मा
4	प्रदर्श डी. 3	पुलिस बयान रतन सिंह
5	प्रदर्श डी. 4	पुलिस बयान जयमाला सिसोदिया
6	प्रदर्श डी. 5	बयान जयबाला
7	प्रदर्श डी. 5	पुलिस बयान श्रीमती सुलोचना

8	प्रदर्श डी. 6	पुलिस बयान जगदीश
9	प्रदर्श डी. 7	बयान नवीन सिसोदिया
10	प्रदर्श डी. 8	पुलिस बयान नवीन सिसोदिया

9. बहस अंतिम सुनी गई। परिवादी व अभियुक्त ने लिखित बहस पेश की व संदर्भ में न्यायिक दृष्टांतप पेश किए। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया दौराने बहस **विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं परिवादी अधिवक्ता** ने कथन किया है कि अभियुक्त ने मृतका को मानसिक व शारीरिक रूप से दहेज की मांग को लेकर शराब पीकर मारपीट कर प्रताड़ित किया जो साक्ष्य से प्रमाणित है। मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर होना स्वयं अभियुक्त ने मर्ग रिपोर्ट प्रदर्श पी. 19 में अंकित किया है। सीसीटीवी फुटेज की सीडी आर्टिकल 4 लगायत 6 में संपूर्ण घटनाक्रम यह साबित करता है कि अभियुक्त ने षड्यंत्र पूर्वक मृतका की हत्या की है। पंचनामा के गवाहान ने मृतका के शव पर चोटें होना बताया है। पंचनामा में नीलगू निशान अंकित है, जिससे भी मारपीट प्रमाणित है। अभियुक्त के झगड़ा करना, अपने बयान में नवीन के बयान के उत्तर में स्वीकार किया है। विवाह प्रमाण पत्र जारीकर्ता को परीक्षित नहीं करवाया है। अतः मृतका की विवाह के 7 वर्षों में संदेहास्पद परिस्थितियों मृत्यु होना प्रमाणित है। धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपचाधारण उत्पन्न हो जाती है, जिसका खंडन नहीं किया है। मृतका की मृत्यु कैसे हई, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अतः प्रकरण में अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया गया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498 ए, 304 बी, 302 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता परिवादी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए गएः–

1. 2015 Cri.L.J. 3302 (SC) M. Narayan Vs. State of Karnataka
2. 2015 Cri.L.J. 4021 (SC) V.K. Mishra Vs. State of Uttarakhand and another with Rahul Mishra Vs. State of Uttarkhand and another.
3. 2014 Cri.L.J. 4065 (SC) Davinder Singh Vs. State of Punjab
4. 2014 Cri.L.J. 4896 (SC) Sri Chand and another

Vs. State of Punjab

5. 2014 Cri.L.J. 561 (SC) Surinder Singh Vs. State of Haryana

6. 2022 CRIJ 2545 Devender Singh and others Vs. The State of Uttarakhand

7. Criminal Appeal No. 1322 of 2004 (SC) Bansi Lal Vs. State of Haryana on 14 January 2011

8. Criminal Appeal No. 1489 of 2004 (SC) Ashok Kumar Vs. State of Haryana on 08 July 2010

9. Criminal Appeal No. 1263 of 2011 (SC) Maya Devi & Anr. Vs. State of Haryana on 07 December 2015

10. 2004 SCC CRI 671 Yashoda and Another Vs. State of Madhya Pradesh

10. दौराने बहस **अधिवक्ता अभियुक्त** ने कथन किया है कि प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध पीड़िता से दहेज की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में होने से दहेज मृत्यु कारित करने तथा विकल्प में मृतका नवनीता के फांसी लगाकर हत्या कारित करने के अपराध का आरोप है, परंतु मृतका के साथ दहेज की मांग को लेकर क्रूरता की गई हो या उसकी दहेज मृत्यु कारित की गई हो या हत्या कारित की गई हो, यह तथ्य अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया है। गवाहान की साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि मृतका की शादी अभियुक्त के साथ वर्ष 2010 में आर्य समाज में हुई थी, जिसके संबंध में आर्य समाज द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र भी साक्ष्य में पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है। परिवादी सहित मृतका के परिवारजनों ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि मृतक की शादी अभियुक्त के साथ वर्ष 2010 में आर्य समाज में हुई थी तथा बाद में पुनः सामाजिक रीतिरिवाज के अनुसार समारोह, जिसमें शादी के रिसेप्शन का आयोजन किया गया था, ऐसी स्थिति में मृतका के विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु होने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। इसके अतिरिक्त जहां तक अभियुक्त के विरूद्ध दहेज की मांग को लेकर क्रूरता कारित करने का प्रश्न है तो इस संबंध में परिवादी द्वारा जो लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें कहीं भी दहेज की मांग को लेकर

क्रूरता कारित करने का अंकन नहीं है ना ही गवाहान ने अपने पुलिस बयानों में ऐसा कोई कथन किया है। न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में पहली बार गवाहान ने अभियुक्त द्वारा पांच लाख रुपये की मांग करने की बात कही है, उक्त तथ्य नवीन तथ्य है, जो तात्विक अभिवृद्धि की श्रेणी में आता है। साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इसके अतिरिक्त मर्ग जांच के दौरान भी मृतका के माता–पिता व भाई के बयान लेखबद्ध किए गए थे, उनमें भी मृतका से दहेज की मांग या धनराशि की मांग किए जाने का कोई कथन नहीं किया है। उक्त बयान गवाह पी.ड. 29 डॉ. अशोक कुमार तत्कालीन एसडीएम ने अपने द्वारा लिया जाना व जैसा कहा वैसा ही लिखाए जाने का कथन किया है। इस प्रकार से मृतका के माता–पिता व भाई के द्वारा पूर्व में दहेज की मांग को लेकर क्रूरता किए जाने का कोई कथन नहीं किए जाने न्यायालय में प्रथम बार किए गए कथन संदेहास्पद प्रकट होते हैं। इसके अतिरिक्त अनुसंधान अधिकारी ने अपनी साक्ष्य में यह कथन भी किया है कि मृतका के भाई नवीन ने यह बताया था कि जब उन्हें रामेश्वर द्वारा मृतका का घर का गेट अन्दर से बंद करने की इत्तला दी गई तो नवीन के पिता रतन सिंह ने उसे कहा कि दोनों हमेशा इसी तरह से लडते रहते हैं, थोडी देर में गेट खोल देगी। पुलिस द्वारा नवनीता के माता–पिता व भाई के आने पर गेट खोला गया। मकान में चौकीदार सहित मास्टर चाबी मंगाकर प्रवेश किया गया। इस प्रकार मृतका के भाई पी.ड. 25 नवीन सिसोदिया ने भी न्यायालय में हुए साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी 8 में यह बताया था कि उन दोनों के बीच आए दिन झगडा होता था और वापस राजी हो जाते थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था।

11. इस प्रकार से मृतका के माता पिता को सूचना देने के पश्चात् भी माता पिता का यह कहा जाना कि उनके मध्य आए दिन पति पत्नी के मध्य झगड़ा होते हैं। इससे स्पष्ट है कि दहेज की मांग को लेकर मृतका के साथ कोई क्रूरता पूर्ण व्यवहार किया गया हो, यह प्रकट नहीं है। दहेज की मांग को लेकर मृतका के माता–पिता, भाई व अभियुक्त के मध्य कोई समझाइश हुई हो, कोई सामाजिक स्तर पर बैठक हुई हो, यह तथ्य भी साक्ष्य से प्रकट नहीं है। इसके अतिरिक्त जहां तक अभियुक्त के नसबंदी किए जाने व उसका ऑपरेशन के लिए पांच लाख रुपये की मांग किए जाने का प्रश्न है तो अनुसंधान के दौरान ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है कि अभियुक्त के द्वारा नसबंदी करवाई गई थी ना ही मृतका के परिवारजन परिवादी ने ऐसी कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश की है। इसके अतिरिक्त जहां तक अभियुक्त पर कर्जा होने से अपने पिता से पैसा लाने का दबाव बनाए जाने का कथन किया गया है तो इस संबंध में भी किसी गवाह को जो ऋणदाता हो उसे परीक्षित नहीं करवाया गया है। इसी प्रकार दो भिन्न आधार पर दहेज की मांग का आरोप लगाया गया है, परंतु ऐसी

कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा कब व किस प्रकार से मांग की गई। उक्त मांग के पश्चात् मृतका के परिवारजन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ना ही मृतका के साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार के संबंध में कोई रिपोर्ट उसके जीवित रहने के दौरान दर्ज करवाई गई है। उक्त तथ्य भी परिवादी के कथनों की सत्यता को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक मृतका के साथ शराब पीकर मारपीट करने और उसके फलस्वरूप उसके द्वारा आत्महत्या करने या षड्यंत्र पूर्वक उसकी हत्या करने का कथन परिवादी ने किया है, इस संबंध में मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाए जाने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई चोट मृतका के शरीर पर नहीं पायी गई है ना ही पंचनामा में मृतका के शरीर पर कोई चोट पाई गई है। मृतका के फोटोग्राफ साक्ष्य में प्रदर्शित करवाई गई है, परंतु उनके साथ धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के तहत कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त फोटोग्राफ में शरीर के विभिन्न भागों पर जो धब्बे दिखायी दे रहे हैं, वे मृत्यु के पश्चात् जहां पर शरीर रखा जाता है धरातल पर शरीर के डिपेन्डिंग भाग होते हैं, उस पर रक्त एकत्रित हो जाता है, जो नीलापन लिए हुए नीलगू जैसा होती है, जो रक्त में ऑक्सीजन नहीं होने के कारण होता है, जो पोस्टमार्टम लिविडिटी के रूप में होता है, जिसे चिकित्सकीय गवाहान ने अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर कोई चोट नहीं पायी गई है। अतः मृत्यु से पूर्व अभियुक्त के द्वारा मृतका के साथ मारपीट की गई हो या ऐसी शारीरिक क्षति कारित की गई हो, जिसमें उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया हो या मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई हो, ऐसा कोई तथ्य मेडिकल रिपोर्ट से दर्शित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त मृतका के द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट भी साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है। उक्त सुसाइड नोट का हस्तलेख मृतका के निर्विवाद हस्तलेख से सही तौर पर मिलान पाया गया है। उक्त सुसाइड नोट में मृतका ने अपने साथ किसी प्रकार की क्रूरता होने, मारपीट होने, दहेज की मांग करने के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किए हैं। उक्त सुसाइड नोट का किसी प्रकार से साक्ष्य में खण्डन नहीं हुआ है। उक्त सुसाइड नोट स्वयं अभियोजन द्वारा प्रदर्शित करवाया गया है, जिससे भी मृतका के साथ मृत्यु से पूर्व क्रूरता कारित की गई हो, ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है। मृतका जिस स्थान पर निवास करती थी वहां के चौकीदार ने भी लड़ाई–झगड़ा देखें व सुने जाने से स्पष्ट इनकार किया है। जो सीडी व फोटोग्राफ पेश की गई है, उनके साथ धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कहां से प्राप्त की गई उनका संधारक कौन था, मूल डीवीआर को जब्त नहीं किया गया है ना ही उक्त सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कोई तथ्य है, जिसमें मृतका की हत्या होते हुए किसी ने देखा हो या

हत्या करते हुए के वीडियोग्राफी हो अतः ऐसी स्थिति में उक्त साक्ष्य से भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्त को संदेह का लाभ दोषमुक्त किया जावे।

अधिवक्ता अभियुक्त ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए:–

1. 2010 Cr.L.R. (SC) 8 (SC) Arulvelu & Anr. Vs. State represented by the Public Prosecutor & Anr.
2. 2009 Cr.L.R. (Raj.) 459 Ram Avtar & Ors. Vs. State of Rajasthan
3. 2002 Cr.L.R. (Raj.) 1445 Bhanwari Devi & Ors. Vs. State of Rajasthan
4. 2004(2) Crimes 189 (SC) Ashok Vishnu Davare Vs. State of Maharashtra
5. 2013 Cr.L.R. (SC) 748 S. Anil Kumar @ Anil Kumar Ganna Vs. State of Karnataka
6. 2025 SAR (Cri) 332 Karan Singh Vs. State of Haryana
7. 2011(2) Cr.L.r. (Raj.) 1342 Rameshwarlal Sharma Vs. Ramesh Kumar & Anr.
8. 2024 SAR (Cri.) 603 Alauddin and thers Vs. The state of Assam & Anr.
9. 2002 Cr.L.R. ISC1 225 (SC) Sunil Baja Vs. State of M.P.
10. 2024 SAR (Cri.) 1259 Shoor Singh & Anr. Vs. State of Uttarakhand
11. 2023(2) Crimes 349 (SC) Munshi Vs. State of Uttar Pradesh
12. 2025(3) Cr.L.R. (Raj.) 1206 State of Rajasthan Vs. Tej Karan & Ors.

13. 02023 Cr.L.R. (SC) 537 Charan Singh @ Charanit Sinah Vs. State of Uttarakhand

12. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, संबंधित विधि का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया। अधिवक्तागण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिंदु बनना पाया जाता है–

1. क्या अभियुक्त ने परिवादी की पुत्री श्रीमती नवनीता के साथ विवाह के उपरान्त व दिनांक 01.03.2017 से पूर्व किशनगढ़ में उसका पति होते हुए उससे दहेज में रुपयों की मांग को लेकर क्रूरता का व्यवहार कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे दिनांक 01.03.2017 को विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में श्रीमती नवनीता की मृत्यु फांसी लगाने से हुई और इस प्रकार दहेज मृत्यु कारित की?

विकल्प में

2. क्या अभियुक्त ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर नवनीता के साथ मारपीट कर, उसकी हत्या की ?

3. यदि हां, तो दण्ड की उचित मात्रा क्या होगी?

<u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>

13. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य का विवेचन विश्लेषण किया जाए तो अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में **अभियोजन को सर्वप्रथम यह तथ्य प्रमाणित किया जाना है कि मृतका नवनीता की मृत्यु हुई है,** इस संबंध में अभियोजन के द्वारा जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है उनमें परिवादी पी.ड. 5 रतन सिंह ने दिनांक 01.03.2017 को लिखित रिपोर्ट पेश की है, जो प्रदर्श पी. 5 है, जिसमें अपनी पुत्री नवनीता की मृत्यु होने का कथन किया है तथा उसकी मृत्यु आत्महत्या द्वारा होने पर विश्वास नहीं होना बल्कि

हत्या होने का कथन किया है। मृतका की मृत्यु के संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 4 साक्ष्य में प्रदर्शित करवाई गई है तथा जिसके संबंध में गवाह पी.ड. 4 डॉ. के.के. तनवानी, पी.ड. 20 डॉ. पूनम अग्रवाल, पी.ड. 27 डॉ. के.आर. टेवानी को परीक्षित करवाया गया है। उक्त तीनों ही गवाहान ने अपनी साक्ष्य में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिए गए मृत्यु के कारण के आधार पर एंटी मोर्टम हैंगिंग के द्वारा मृतका की मृत्यु होने का कथन किया है। मृतका के शव का पंचनामा प्रदर्श पी. 7 बनाए जाने के संबंध में गवाह पी.ड. 10 सुनील कुमार, पी.ड. 15 आशीष कुमार, पी.ड. 16 राजेन्द्र सिंह राठौड़ व पी.ड. 29 डॉ. अशोक कुमार ने भी अपनी साक्ष्य में कथन किया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से मृतका की मृत्यु होने का तथ्य प्रमाणित है।

14. **जहां तक मृतका की अभियुक्त के द्वारा फांसी लगाकर हत्या कारित करने के धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है** तो इस संबंध में विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया जावे तो हत्या के अपराध को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 में परिभाषित किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 में यह उपबंधित है किः–

> एतस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो अथवा **दूसरा** यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है अथवा
>
> **तीसरा** यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा
>
> **चौथा** यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो

कि वह कार्य इतना आसन्नसंकट है कि पूरी अधिसम्भाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे

15. इस प्रकार उक्त विधिक प्रावधानों के अनुसार हत्या कारित करने के लिए मृतका की मृत्यु कारित करने के आशय से उसके साथ कोई शारीरिक क्षति कारित करना है, जिससे कि उसकी मृत्यु होने की पूर्ण संभावना हो या ऐसा कार्य जिससे अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर देगा, जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना हो। हस्तगत प्रकरण में मृतका की मृत्यु अभियुक्त द्वारा ही फांसी लगाकर कारित की गई हो इस संबंध में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है अर्थात् हस्तगत प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य में घटना की समस्त कड़ियों का एक–दूसरे से संदेह से परे जुड़े होना आवश्यक है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत **Sharad Birdichand Sarda Vs. State of Maharashtra (1984) 4 SCC 116** महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:–

"153. A close analysis of this decision would show that the following conditions must be fulfilled before a case against an accused can be said to be fully established:

(1) the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established.

It may be noted here that this Court indicated that the circumstances concerned "must or should" and not "may be" established. There is not only a grammatical but a legal distinction between "may be proved" and "must be or should be proved" as was held by this Court in Shivaji Sahabrao Bobade v. State of Maharashtra (1973) 2 SCC 793 where the observations were made: [SCC para 19, p. 807: SCC (Cri) p. 1047]

"19......Certainly, it is a primary principle that the accused

“Authenticated Document”

must be and not merely may be guilty before a court can convict and the mental distance between 'may be' and 'must be' is long and divides vague conjectures from sure conclusions."

(2) the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty,

(3) the circumstances should be of a conclusive nature and tendency,

(4) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and

(5) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused.

16. इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण में परिवादी रतन सिंह ने अपनी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी. 5 में अपनी पुत्री की हत्या होने की संभावना प्रकट की है। उक्त परिवादी को बतौर **गवाह पी.ड. 5 रतन सिंह** के रूप में न्यायालय में अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 01.03.2017 रात्रि में 10.44 पर उसके पुत्र नवीन सिसोदिया के मोबाइल पर पुलिस थाना गांधीनगर से फोन आता है कि आपकी पुत्री नवनीता पत्नी संजय सांखला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह बात सुनकर उसे व उसके परिवार के लोगों को गहरा सदमा लगा और बाद में उन्होंने हिम्मत जुटाकर वह, उसकी पत्नी, उसका पुत्र नवीन, उसका साला राजेश रिलायंस पेट्रोल पम्प के पीछे गोकुल विला कॉलोनी पहुंचे। वहां पर देखा कि उसके मकान के आस पास कुछ लोग और पुलिस खड़ी है। जैसे ही उन्होंने मकान में प्रवेश किया, तब देखा कि नवनीता साड़ी से लटकी हुई है और उसके पैर एड़ी पंजे सहित जमीन पर टिके हुए हैं। यह देखकर उनको यकीन हुआ कि इसको पहले मारा गया है फिर हत्या का रूप देने के लिये इसको साड़ी से लटकाया गया है क्योंकि जिस रेलिंग से उसको लटकाया गया था वहां पर कोई टेबल कुर्सी आदि नहीं होने के कारण ऐसा नहीं लगता है कि बिना सहारे लिये बगैर कोई आत्महत्या

कैसे कर सकता है। षड्यन्त्रपूर्वक उसकी बेटी की हत्या की गई है। सीसीटीवी कैमरे से साफ नजर आ रहा था कि संजय जब घर आया तब चेहरे पर स्कार्फ व हाथ में सफेद दस्ताने पहने हुये मोटरसाइकिल को बाउन्ड्री के अन्दर पार्क करता है, इस बीच नवनीता बाहर आती है, ताली बजाकर संजय का स्वागत करते हुये कमर पर हाथ रखना चाहती है, परन्तु संजय इस बात का अनदेखा करता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और नवनीता भी उसके पीछे–पीछे कमरे में चली जाती है, दरवाजा बन्द हो जाता है। पुनः संजय 05.40 पर घर से बाहर निकलता है, इस दौरान नवनीता घर से बाहर निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 04.48 से 05.40 पी.एम. के 52 मिनट के दौरान संजय ने नवनीता की हत्या कर हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिये साड़ी से लटकाकर चेहरे पर स्कार्फ, हाथ में दस्ताने व काली शर्ट की जगह ब्लैक टी शर्ट पहने नवनीता की मैस्टरो से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान नवनीता एक बार भी बाहर आती नहीं दिखाई देती। 09.50 पर संजय पुनः अपने घर मैस्टरो पर आता है, इसके साथ रामेश्वरलाल, रामेश्वरलाल की पत्नी व एक बच्चा साथ होता है। कार से उतरकर रामेश्वरलाल मकान की बाउन्ड्री के बाहर पेशाब करने जाता है। संजय और शीला अपने घर के रैम्प पर खड़े होकर रामेश्वरलाल का इन्तजार करते हैं। जैसे ही रामेश्वरलाल आता है, तीनों जने घर के अन्दर प्रवेश करते हैं। इस बीच मुख्य द्वार पर दीवार की ओर लगी लाइट तीन सैकण्ड के लिये जलाकर बन्द की जाती है। तीनों बाहर आकर संजय अपनी मैस्टरो की हैडलाइट ऑन किये बिना और रामेश्वरलाल अपनी कार की हैडलाइट ऑन किये बिना रिवर्स निकलते हुये दिखाई देते हैं। उसके बाद रामेश्वरलाल 10.30 पर उसे फोन करके यह कहता है कि नवनीता और संजय के बीच में झगड़ा होने के कारण नवनीता ने चिटकनी लगाकर अपने आप को बन्द कर लिया है। आप तुरन्त नवीन जी को साथ लेकर किशनगढ़ आ जाओ। संजय के अन्य महिलाओं के साथ अवैध सम्बन्ध गलत आरोपों के कारण लाखों रुपये का कर्ज हो रखा था। हवाला काण्ड में भी एक करोड़ बीस लाख रुपये संजय के डूब गये थे, जिसकी जानकारी संजय ने नवनीता, उसे, उसकी पत्नी, उसके पुत्र को उसके घर पर खुद ने दी। इसके बाद उसने अपनी बेटी के वैवाहिक जीवन को सुरक्षित व संजय की संतुष्टि के लिये अपनी हैसियत अनुसार एक स्कूटर खरीद कर दिया लेकिन संजय शराब का आदि होने के कारण उसकी पुत्री के साथ आये दिन मारपीट कर कहता कि तेरे पापा से दहेज में पांच लाख रुपये लेकर आ। संजय उसकी पुत्री से विवाह करने के लिये उसके घर पर आता व उस पर नवनीता के साथ शादी करने के लिये दबाव बनाता। इसके परिवार के लोग भी संजय के साथ नवनीता की शादी करने के लिये उस पर दबाव

बनाते। संजय आर्य समाज का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर उन्हें डराता धमकाता था। संजय ने एक सगाई एक साल बाद जयपुर में छोड़ दी। उसके बाद पुलिस लाइन में लोहा खान में 07.05.2009 में शादी कर शादी के दूसरे दिन ही उसको छोड़ दिया। उस पर संजय ने यह आरोप लगाया कि इसका किसी और के साथ अवैध सम्बन्ध है। इसके बाद संजय उसके घर आने लगा। 08.02.2012 में उसने नवनीता की शादी संजय के साथ उत्सव पैलेस मैरिज गार्डन गुलाब बाड़ी में समाज के लोगों के सामने धूमधाम से दोनों की शादी की। संजय और संजय के परिवार के लोगों की मांग अनुसार उसने दहेज में घरेलू सामान, सोने चांदी के जेवर करीब पांच तौला सोना, दस लाख रुपये खर्च किये। इसके बाद बारात विदाई पर संजय दहेज और नवनीता को लेकर अपनी बहन संगीता के घर रहने के लिये चला गया, जो कि उत्सव पैलेस गार्डन से 250 मीटर की दूरी पर है। वहां रहते हुये संजय शराब के नशे में नवनीता के साथ मारपीट करता और उससे दहेज में पांच लाख रुपये लाने के लिये कहता। एक बार नवनीता ने उसे फोन करके बुलाया और कहा कि आप मेरी ननद संगीता के घर आ जाओ। वह वहां पहुंचा तब संजय, संजय की मां, संजय की बहन संगीता, संजय के दोनों जीजा रामेश्वरलाल और महेश की मौजूदगी में नवनीता ने उसे कहा कि संजय उसे आये दिन प्रताड़ित कर मारपीट करता है। तब उसने मौजूद लोगों के सामने बोला कि संजय आप उसकी पुत्री के साथ ऐसा बरताव क्यों करते हो, इस बीच नवनीता की सास और ननद संगीता बोली कि उन्होंने तो सोचा कि आपके एक ही बेटी है, खूब दहेज लेकर आयेगी। इसके बाद रामेश्वरलाल ने कहा कि आप पांच लाख रुपये दे दीजिये सब ठीक हो जायेगा। उसने अपनी हैसियत के अनुसार उनको मना किया, संजय खड़ा होकर उस पर और नवनीता पर चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज से महेश टाक ने उसे रोका कि आप इतना जोर से मत बोलिये उसके बच्चे पढ़ाई करते हैं व इनके जीवन पर असर पड़ता है। आप उसका मकान खाली कर दीजिये। उसके बाद संजय ने हफ्ते भर के अन्दर बृज विहार कॉलोनी, गुलाब बाड़ी में भीम सिंह जी का मकान किराये पर लेकर रहने लगा। यहां रहते हुए भी संजय नवनीता के साथ मारपीट करता। कुछ समय बाद संजय ने नवनीता को बताया कि उसने नसबन्दी का ऑपरेशन करा रखा है, इस बात को नवनीता ने उसे बताया। वह संजय की बहन संगीता के घर गया और उनसे बोला संजय ने नसबन्दी का ऑपरेशन क्यों करा रखा है, उस पर संगीता ने उसे यह कहा कि पुलिस लाइन लोहा खान में जिस लड़की को शादी करके छोड़ दिया वह उसके भाई पर आरोप लगा रही है। उसने यह पुनः नवनीता को बताया। नवनीता ने इस बात की सच्चाई जानने के लिये संजय को साथ लेकर अपनी संतान उत्पत्ति की जांच के लिये डॉक्टर के पास गई।

“Authenticated Document”

डॉक्टर ने जांच की, नवनीता की सामान्य और संजय की निल आने पर डॉक्टर ने संजय से पूछा आपकी निल क्यों है संजय ने बोला उसने नसबन्दी का ऑपरेशन करवा रखा है। दहेज में रुपये और नसबन्दी को लेकर दोनों में झगड़ा बढ़ता गया। संजय ने यह कहा कि तेरे बाप से पांच लाख रुपये लेकर आयेगी तभी वह अपनी नसबन्दी खुलवाएगा। इसके बाद संजय बृज विहार कॉलोनी से घर छोड़कर जाते वक्त नवनीता को यह कहा कि तेरे पापा से पांच लाख रुपये लेकर आयेगी तभी वह वापस आएगा। संजय पांच माह बाद लौटा तो गुलाब बाड़ी वाला मकान खाली कर नवनीता को अपने साथ रिलायंस पेट्रोल पम्प के पीछे गोकुल विला कॉलोनी किशनगढ़ में किराये का मकान लेकर रहने लगा। यह मकान एकान्त में होने के कारण आस पास कोई नहीं रहता था। यहां पर रहते हुये रुपये की मांग करता था और संजय रामेश्वरलाल की योजनानुसार नवनीता को इतना मारा कि उसकी हत्या हो गयी। हत्या होने पर नवनीता को फांसी पर लटका दिया गया। उन्होंने वहां कॉलोनी में देखा कि यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसकी जानकारी उन्होंने मोटाराम जी को दी। उन्होंने यही कहा कि यह उनका काम है। दिनांक 04.03.2017 तक जानकारी नहीं लेने पर उन्होंने कॉलोनी मालिक राजू गुप्ता से सीसीटीवी फुटेज की मांग की तो जिन्होंने उन्हें तीन सीडी में उपलब्ध कराया जिसे देखने पर सारी जानकारी हुई है। अपनी पुत्री के साथ हुई घटना के बारे में उसने पुलिस थाना गांधीनगर पर रिपोर्ट पेश की थी, जो प्रदर्श पी 05 है, जिस पर ए से बी दो जगह उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल पर उसके रात्रि को पहुंचने पर उसके सामने उसकी लड़की मृतका नवनीता की लाश जिस हालत में थी उसकी फर्द प्रदर्श पी 03 उसके व राजेश टांक के सामने पुलिस वालों ने बनाई थी, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 04.03.2017 को पुलिस ने उसके व हनुमान जांगिड़ व नवीन सिसोदिया के सामने घटनास्थल का निरक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 06 बनाया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। अस्पताल में पुलिस ने उसकी लड़की का फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 07 तथा बाद पोस्टमार्टम मृतका की लाश उसे सुपुर्द की, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 08 है तथा उसकी पुत्री के अध्ययन के समय बनाये गये नोट्स की तीन कॉपियां हेमराज, नवीन सिसोदिया के सामने उसने पुलिस के समक्ष पेश की थी, जिसको पुलिस ने जब्त कर एक लिफाफे में डालकर सील्ड मोहर कर उसके हस्ताक्षर करवाये। नोट्स की प्रतियां पेश एवं पुलिस द्वारा जब्ती की कार्यवाही की, फर्द प्रदर्श पी 09 बनाई। प्रदर्श पी 07, 08 व 09 पर क्रमशः ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी पुत्री को शादी में दिये गये जेवरात के सम्बन्ध में जो बिल उसने ज्वेलर से प्राप्त एवं स्कूटर खरीदने के बिल प्राप्त किये थे, उसकी फोटोप्रतियां पुलिस को पेश की थी जो शामिल

पत्रावली है तथा असल उसके पास है। कॉलोनी मालिक से सीसीटीवी कैमरे की सीडियां प्राप्त कर पुलिस को उसके द्वारा सुपुर्द की गई तथा शादी का कार्ड व शादी की फोटो पुलिस को दी थी, जो पत्रावली में संलग्न है। **अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि उसके पुत्र नवीन ने 01.03.2017 को शाम को किशनगढ़ के लिये रवाना होने से पहले उसे बताया था कि आज शाम को 05.44 पर संजय का फोन आया था कि नवनीता गणगौर के उद्यापन में अजमेर आने की जिद्द कर रही है। नवीन ने यह नहीं बताया था कि उसे संजय ने यह कहा हो कि वह आज नवनीता को गणगौर के उद्यापन में नहीं भेजेगा। नवीन ने यह भी बताया था कि संजय ने यह कहा कि उसकी बहन उससे झगड़ा कर रही है, इसलिये वह घर से जिम जा रहा है। अजखुद कहा कि उसे नवीन ने केवल इतना बताया था कि उसने जिम जाने का उसे कहा था। इस पर उसने अपने मोबाइल से नवनीता को फोन मिलाया था। नवनीता के फोन पर घण्टी जा रही थी, संजय का मोबाइल स्विच ऑफ था। उसने अनुसंधान के दौरान एवं 01.03.2017, 02.03.2017 को अपने मोबाइल की कॉल डायरी व मोबाइल नम्बर पुलिस को नहीं दिखाया कि उसने नवनीता को फोन किया था। उसने पुलिस को नवनीता का वह मोबाइल नम्बर नहीं बताया, जिस पर वह फोन करना बता रहा है। अजखुद कहा कि उसने नवनीता को फोन करना बताया था। उससे पुलिस ने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकाल कर इस सन्दर्भ में पूछताछ नहीं की थी। नवीन का फोन उसके पास कितने बजे आया, उसने नवनीता को कितने बजे फोन किया था और वह उस समय कहां पर था। उन्होंने 01.03.2017 की बात को इसलिये गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि इन दोनों की बीच आये दिन झगड़ा होता था और वापस राजी हो जाते थे। इसलिये उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। वे अजमेर से किशनगढ़ आने के लिये 10.45 पर रवाना हुये थे। अजमेर से देरी से रवाना होने का कारण यह है कि उसने अपने साले राजेश टांक को फोन किया वह अपनी कार लेकर उनके घर आये तब वे चारों जने किशनगढ़ के लिये रवाना हुये। उसके पुत्र के नवीन के पास भी उस समय कार थी। उसकी बेटी ने वर्ष 2009–10 के मध्य बी.एड. किया था। उस समय उसकी बेटी बोरावड़ में किराये का मकान लेकर रहती थी। उसकी बेटी और संजय ने 2010 ने विवाह कर लिया, इस बाबत् उसकी बेटी की सहेली ने उन्हें नहीं बताया था। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी उसने नहीं दी। उसकी बच्ची के पोस्टमार्टम वाले दिन उसके बयान प्रदर्श डी 01 लिये गये थे, जिस पर ए से बी दो पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह ने यह भी कथन किया है कि प्रदर्श डी 01 बयान उसका ही लिखाया हुआ है कि "इसमें नवनीता और संजय द्वारा बोरावड़ में बी.एड. के दौरान 2010 में आर्य समाज में

शादी करने की बात रूकसाना द्वारा उन्हें बताना लिखा है, जो उसके द्वारा ही लिखाया हुआ है।" उसने और उसकी बच्ची ने 2010 में संजय व नवनीता के आर्य समाज के विवाह को शून्य घोषित कराने के लिये कोई मुकदमा न्यायालय में नहीं किया था। अजखुद कहा कि उसे इसका पता नहीं था। उसे रूकसाना के फोन के बाद विवाह की जानकारी हुई थी। वर्ष 2010 में आर्य समाज में जो विवाह नवनीता व संजय का हुआ था उसकी मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रति उन्होंने नगर निगम अजमेर से नहीं निकलवायी थी। मैरिज सर्टीफिकेट प्रदर्श डी 02 पर एक्स स्थान पर नवनीता व संजय का फोटो है। 08.02.2012 को उसके पुत्र नवीन की सगाई का दस्तूर था, जो उत्सव मैरिज गार्डन गुलाब बाड़ी में किया था। उसके पुत्र नवीन की सगाई बिहारीगंज अजमेर की लड़की सुनीता पुत्री बजरंगलाल जी सोलंकी से की थी। आर्य समाज में शादी के पश्चात् नवनीता दो वर्ष तक उनके घर पर रही, तब संजय उनके घर आता जाता था। अजखुद कहा कि शादी का दबाव बनाने के लिये आता था। यह कहना गलत है कि उसकी पुत्री नवनीता का विवाह दूसरी बार सामाजिक रीति रिवाज से किया हो, बल्कि पहली बार ही सामाजिक रीति रिवाज से विवाह किया था। अजखुद कहा आर्य समाज की शादी का पता नहीं था। नवनीता की लाश को 01.03.2017 की रात को किशनगढ़ वाई.एन. अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचा दिया था। लाश को अस्पताल एम्बुलेंस से पहुंचाया था और वे परिजन थाने पर गये थे। उन्हें थानेदार जी ने कहा था कि आप थाने आ जाओ, तब वे थाने पर पहुंचे। वे 01.03.2017 व 02.03.2017 की मध्यरात्रि को साढ़े बारह बजे गांधीनगर थाना किशनगढ़ पहुंच गये थे। उसके साथ उसका पुत्र नवीन, उसकी पत्नी, राजेश टांक, वे तीनों भाई, मोहल्ले वाले थाने पर पहुंच गये। थाने पहुंचने पर उसे थानेदार जी ने कहा आपकी जो भी शिकायत है आप उसे लिखकर दे दीजिये। उन्होंने लगभग घण्टे–सवा घण्टे में रिपोर्ट लिखकर थानेदार जी को दी थी। रिपोर्ट लिखने वाला कागज थानेदार जी ने दिया था और थाने पर बैठकर ही उन्होंने रिपोर्ट लिखी थी। यह सही है कि प्रदर्श पी 05 उसके हस्तलेख में नहीं है। प्रदर्श पी 05 रिपोर्ट पर उसके अतिरिक्त उसके किसी भी परिजन के हस्ताक्षर नहीं है। एफआईआर प्रदर्श पी 05 के पृष्ठ संख्या 01 व 02 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श पी 05 उसके साले राजेश टांक की कलमी है। प्रदर्श पी 05 उसने पुलिस वालों को कितने बजे सौंपी थी यह उसे जानकारी नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी 05 की कार्यवाही पुलिस में रिपोर्ट पेश करते समय उसके साथ होना उल्लेखित नहीं है। हमने 02.03.2017 को सुबह 10 बजे थानेदार जी को रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। यह सही है कि अनुसंधान के दौरान उसके बयानों में उसने यह नहीं बताया था कि रिपोर्ट उसने राजेश जी से लिखवाई थी। यह रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 किससे लिखवाई

है, ऐसा पुलिस वालों ने उससे पूछा नहीं था और उसने आगे होकर बताया नहीं था। 02.03.2017 की सुबह चार बजे वे सभी लोग थाने से अजमेर अपने घर चले गये थे। उसे जानकारी नहीं है कि उसने जो रिपोर्ट लिखकर पुलिस को दी थी, उसे दर्ज कर उसकी निःशुल्क प्रति उसे 02.03.2017 को सुबह चार बजे थाने से रवाना होते समय दी थी या नहीं दी। वे अजमेर से 02.03.2017 को वापस किशनगढ़ वाई.एन.अस्पताल लगभग सुबह नौ बजे आये थे। प्रदर्श पी 07 पंचनामा बनाते समय नवनीता की लाश की पहचान उसने की थी। प्रदर्श पी 07 में नवनीता की हत्या किये जाने की बात नहीं लिखी है। उसने तो बताया था क्यों नहीं लिखा उसे पता नहीं। प्रदर्श पी 07 पंचनामे के गवाह सुनील कुमार उसके भानजी जंवाई है। उसकी भानजी मिन्टू उर्फ अरूणा ने सुनील के साथ अंतर्जातीय प्रेम विवाह किया था। किस वर्ष में किया था उसे ध्यान नहीं है। 02.03.2017 को दोपहर लगभग 12 बजे वे लाश को लेकर दाह संस्कार के लिये अजमेर रवाना हो गये थे। उपखण्ड अधिकारी ने 02.03.2017 को अस्पताल में उसकी पत्नी जयमाला उर्फ जयबाला, उसके व उसके पुत्र नवीन के बयान लेखबद्ध किये थे। संजय को 01.03.2017 को उसके घर से थाने पर लेकर आ गये थे। संजय को पुलिस वाले दाह संस्कार के लिये अजमेर लेकर नहीं आये थे। 02.03.2017 को दाह संस्कार के बाद अनुसंधान अधिकारी उसके घर पर नहीं आये थे। वह दिनांक 04.03.2017 को मोटाराम जी के पास गया था। मोटाराम जी ने फोन करके बुलाया था। मोटाराम जी अनुसंधान अधिकारी ने उन्हें केवल इतना कहा था कि आप थाने पर आ जाइये। 04.03.2017 को उसके बयान मोटाराम जी ने नहीं लिये थे। उसके साथ उसके परिवार के लोग आये थे नवीन, जयमाला, मिन्टू, चांदनी, सुलोचना के बयान लिये थे। प्रदर्श डी 01 बयान व उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 एवं पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 में रामेश्वर द्वारा साढ़े दस बजे फोन करके यह कहना कि नवनीता व संजय के बीच झगड़ा होने के कारण नवनीता ने चिटकनी लगाकर अपने आप को बन्द कर लिया है, आप तुरन्त नवीन जी को साथ लेकर किशनगढ़ आ जाओ, लिखी हुई नहीं है। स्वतः कहा उस वक्त मानसिक संतुलन सही नहीं था। उसकी बेटी की हत्या हो गयी थी। यह सही है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी 03, रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 व प्रदर्श डी 01 में ऐसा अंकित नहीं है कि बच्ची की हत्या के कारण उसका मानसिक संतुलन सही नहीं रहा हो। ''संजय के अन्य महिलाओं के साथ अवैध सम्बन्ध गलत आरोपों के कारण लाखों रुपये का कर्ज हो रखा था। हवाला काण्ड में भी एक करोड़ बीस लाख रुपये संजय के डूब गये थे, जिसकी जानकारी संजय ने नवनीता, मुझे, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र को मेरे घर पर खुद ने दी'' यह बात प्रदर्श डी 01 बयान में अंकित नहीं है।

"Authenticated Document"

उक्त कथन में से ''संजय ने खुद मुझे, नवनीता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र को घर पर आकर दी हो'' यह बात पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 व पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 में अंकित नहीं है, शेष कथन अंकित है। उसके मुख्य परीक्षण का भाग ''इसके बाद मैंने मेरी बेटी की वैवाहिक जीवन को सुरक्षित व संजय की संतुष्टि के लिये अपनी हैसियत अनुसार एक स्कूटर खरीद कर दिया'' भाग प्रदर्श डी 01 बयान, प्रदर्श डी 03 पुलिस बयान एवं प्रदर्श पी 05 पुलिस रिपोर्ट में अंकित नहीं है। यह सही है कि उसके मुख्य परीक्षण का भाग तेरे पापा से दहेज में पांच लाख रुपये लेकर आने वाली बात प्रदर्श डी 01 बयान, प्रदर्श डी 03 पुलिस बयान एवं रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 में अंकित नहीं है। प्रदर्श डी 03 का भाग ए से बी ''इस शादी में उसके मित्र राजू बागड़ी एडवोकेट को ही लड़की का भाई बनाकर शादी कराई गई'' पुलिस को नहीं बताया था। यह सही है कि उसके मुख्य परीक्षण का भाग ''संजय आर्य समाज का फर्जी सर्टीफिकेट बनाकर हमें डराता धमकाता था'' पुलिस बयान प्रदर्श डी 03, बयान प्रदर्श डी 01 एवं रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 में अंकित नहीं है। उन्होंने संजय के विरूद्ध फर्जी सर्टीफिकेट बनाकर डराने धमकाने की शिकायत पुलिस को नहीं की। जयपुर में जो सगाई संजय द्वारा करके छोड़ना बता रहा है, वह लक्ष्मीनारायण की पुत्री के साथ हुई थी। उसे सगाई के साल की जानकारी नहीं है। लक्ष्मीनारायण जी की पत्नी उसकी बहन है, उसकी लड़की से सगाई हुई थी। उक्त सगाई में वह और उसके परिवार से कोई भी शामिल नहीं हुआ था। उन्हें सगाई में बुलाया नहीं था। सगाई डेढ़ साल रहकर टूटी थी। लक्ष्मीनारायण की पत्नी से सगाई होने व टूटने के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी। जिस लड़की से संजय की सगाई हुई थी, उससे उसकी बेटी नवनीता की बहन (चाचा की लड़की) होने के कारण मोबाइल इत्यादि से बातचीत होती थी। लोहा खान पुलिस लाइन अजमेर में फतेह सिंह जी की लड़की सुनीता के साथ संजय की शादी हुई थी। संजय और सुनीता विवाद होने के कारण साथ नहीं रहे और सुनीता को आरोप लगा कर छोड़ दिया कि सुनीता के किसी के साथ अवैध सम्बन्ध है। स्वतः कहा उन दोनों का आज दिनांक तक किसी न्यायालय से तलाक नहीं हुआ। सुनीता की अन्य स्थान पर शादी नहीं हुई है। नवनीता की मृत्यु के महीने भर बाद उन्हें सुनीता से शादी की जानकारी हुई थी, तब वह सुनीता से जाकर मिला था। वह अकेला ही गया था। जब संगीता को उसने संजय के नसबन्दी ऑपरेशन के बारे में बताया था, तब उसने कहा था यह अफवाह सुनीता के घर वाले उड़ा रहे हैं। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह सही है कि बयान प्रदर्श डी 01, पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 एवं पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 में अपनी बहन संगीता के घर रहने के दौरान शराब पीकर मारपीट करने और दहेज में पांच लाख रुपये लाने की कहने की बात नहीं लिखी है। उसके मुख्य

परीक्षण का भाग ''एक बार नवनीता ने उसे फोन करके बुलाया और कहा कि वह उसकी ननद संगीता के घर आ जाए। मैं वहां पहुंचा तब संजय, संजय की मां, संजय की बहन संगीता, संजय के दोनों जीजा रामेश्वरलाल और महेश की मौजूदगी में नवनीता ने मुझे कहा कि संजय मुझे आये दिन प्रताड़ित कर मारपीट करता है तब मैंने मौजूद लोगों के सामने बोला कि संजय आप मेरी पुत्री के साथ ऐसा बरताव क्यों करते हो इस बीच नवनीता की सास और ननद संगीता बोली कि उन्होंने सोचा कि उनके एक ही बेटी है खूब दहेज लेकर आयेगी। इसके बाद रामेश्वरलाल ने कहा कि पांच लाख रुपये दे दीजिये सब ठीक हो जायेगा। उसने अपनी हैसियत के अनुसार उनको मना किया संजय खड़ा होकर उस पर और नवनीता पर चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज से महेश टाक ने उसे रोका कि आप इतना जोर से मत बोलिये उसके बच्चे पढ़ाई करते हैं व उनके जीवन पर असर पड़ता है। उसका मकान खाली कर दीजिये'' बयान प्रदर्श डी 01, पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 व पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 में अंकित नहीं है। पुलिस वालों ने गुलाब बाड़ी में भीम सिंह के मकान जहां संजय और नवनीता रहे थे उनके बयान नहीं लिये। यह सही है कि उसके मुख्य परीक्षण का भाग ''उसके बाद संजय ने हफ्ते भर के अन्दर बृज विहार कॉलोनी, गुलाब बाड़ी में भीम सिंह का मकान किराये पर लेकर रहने लगा यहां रहते हुये भी संजय नवनीता के साथ मारपीट करता'' बयान प्रदर्श डी 01, पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 व पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 में अंकित नहीं है। यह सही है कि उसके बयान प्रदर्श डी 01, पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 व पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 में मुख्य परीक्षण का भाग ''कुछ समय बाद संजय ने नवनीता को बताया कि मैंने नसबन्दी का ऑपरेशन करा रखा है'' अंकित नहीं है। यह सही है कि उसके बयान प्रदर्श डी 01, पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 व पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 में अंकित नहीं है कि उसने संगीता से यह पूछा हो कि संजय ने नसबन्दी का ऑपरेशन क्यों करा रखा है। उसने अनुसंधान के दौरान नवनीता व संजय के डॉक्टरी जांच के जो तथ्य बताया है, उससे सम्बन्धित डॉक्टर के कागजात पुलिस को नहीं सौंपे हैं। यह सही है कि उसके मुख्य परीक्षण का भाग ''दहेज में रुपये और नसबन्दी को लेकर दोनों में झगड़ा बढ़ता गया'' उसके बयान प्रदर्श डी 01, पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 व पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 में अंकित नहीं है। यह सही है कि उसके मुख्य परीक्षण का भाग ''संजय ने कहा कि तेरे बाप से पांच लाख रुपये लेकर आयेगी तभी मैं अपनी नसबन्दी खुलवाउंगा'' उसके बयान प्रदर्श डी 01, पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 व पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 में अंकित नहीं है। यह सही है कि उसके मुख्य परीक्षण का भाग ''इसके बाद संजय बृज विहार कॉलोनी से घर छोड़कर जाते वक्त नवनीता को यह कहा कि तेरे पापा से पांच

लाख रुपये लेकर आयेगी तभी मैं वापस आउंगा संजय पांच माह बाद लौटा'' उसके बयान प्रदर्श डी 01, पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 व पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 में अंकित नहीं है। उसके मुख्य परीक्षण का भाग ''यहां मकान एकान्त में होने के कारण आस पास कोई नहीं रहता था'' उसके बयान प्रदर्श डी 01, पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 व पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 में अंकित नहीं है। यह सही है कि ''यहां रहते हुये रुपयों की मांग करता था'' उसके बयान प्रदर्श डी 01 में अंकित नहीं है। यह सही है कि उसके मुख्य परीक्षण का भाग ''रामेश्वर की योजनानुसार नवनीता की हत्या कर उसको लटकाया हो' प्रदर्श डी 01 बयान व प्रदर्श पी 05 रिपोर्ट में अंकित नहीं है। यह सही है कि उसके मुख्य परीक्षण का भाग ''कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे लगे होने व राजू गुप्ता से सीसीटीवी फुटेज लेकर पुलिस को सौंपने वाली बात'' उसके बयान प्रदर्श डी 01, पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 व पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 में अंकित नहीं है क्योंकि उक्त फुटेज उन्हें बाद में प्राप्त हुई थी। सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत करते समय कोई फर्द पेशकशी मीमो बनाया था। यह सही है कि उन्होंने सीडी के साथ मोटाराम जी अनुसंधान अधिकारी को सीसीटीवी फुटेज जिसके कब्जे में थी उससे व जिससे सीडी बनवाई उससे 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र लेकर सीडी के साथ प्रस्तुत नहीं किया था। वह महेन्द्र सिंह जी भाटी एडवोकेट को जानता है, जो गुलाबबाड़ी में रहते हैं। वो हमारे साथ ही किशनगढ़ आये थे वो मोहल्ले के थे इसलिये वे उनके साथ 02.03.2017 को आये थे। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 05 रिपोर्ट महेन्द्र सिंह भाटी एडवोकेट की कलमी हो।

17. इस प्रकार से उक्त गवाह, जो कि मृतका का पिता है तथा शिकायतकर्ता भी है, ने अपनी साक्ष्य में अपने मुख्य परीक्षण में मृतका के साथ दहेज में पांच लाख रुपये लेकर आने की मांग को लेकर मारपीट करने, अपनी बेटी के वैवाहिक जीवन को सुरक्षित करने व अभियुक्त की संतुष्टि के लिए अपनी हैसियत के अनुसार स्कूटर खरीदकर देने व अभियुक्त संजय के अपनी बहन संगीता के घर रहने के दौरान मारपीट करने, गुलाब बाड़ी में भीम सिंह के किराये के मकान में रहने के दौरान मारपीट करने, अभियुक्त का नसबंदी का ऑपरेशन करवाया जाना, संगीता से नसबंदी के बारे में पूछने की बात, दहेज में रुपये और नसबंदी को लेकर झगड़े की बात, पांच लाख रुपये लाने पर नसबंदी खुलवाने की बात, संजय का बृज विहार कॉलोनी छोड़कर जाना तथा नवनीता को कहना कि पांच लाख रुपये लाएगी तभी वापस आएगा और पांच माह बाद लौटने की बात, रामेश्वर की योजनानुसार नवनीता की हत्या कर उसको लटकाया, राजू गुप्ता से सीसीटीवी फुटेज लेकर पुलिस को सौंपने, कॉलोनी में कैमरे लगे होने की बात के संबंध में कथन किए हैं,

वह अपनी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी. 5, मर्ग बयान प्रदर्श डी. 1 व पुलिस बयान प्रदर्श डी 3 में अंकित नहीं होना स्वीकार किया है अर्थात उक्त तथ्य नवीन तथ्य है, जो तात्विक अभिवृद्धि के रूप में किए गए कथनों के रूप में प्रकट होते हैं।

18. अन्य **गवाह पी.ड. 6 चंदन वर्मा** ने अपनी साक्ष्य में मृतका को उसकी मासी की लड़की होना बताया है, जिसने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि मृतका नवनीता उसकी मासी की लड़की थी। नवनीता की शादी दिनांक 08.02.2012 को उत्सव मैरिज गार्डन में संजय सांखला के साथ हुई थी। वह शादी के समय शादी में थी। शादी में घरेलू सामान व ज्वेलरी दी थी। उसकी मासी तथा मौसाजी ने शादी में 10 लाख रुपये खर्च किये थे। शादी के बाद उसकी नवनीता से मुलाकात होती थी, उसकी उससे फोन पर भी बात होती थी और वो उसके घर भी आती थी। नवनीता ने उसे फोन पर बताया था कि संजय सांखला के किसी अन्य लड़की से अवैध संबंध थे। नवनीता ने यह भी बताया था कि उस लड़की के चक्कर में संजय सांखला उसे मारता था व दहेज की मांग भी करता था और नवनीता को घर खर्च के पैसे भी नहीं देता था तो नवनीता ने उससे कहा कि आप मुझे नौकरी दिलवा दीजिए। वह नवनीता को इंटरव्यू के लिए कास कंज्युमर अवेयरनेस सोसाइटी में ले कर गई थी। जब संजय सांखला को इस नौकरी की बात का पता चला तो उसने नवनीता को बहुत मारा, उसकी बहन नवनीता बहुत बोल्ड थी। कुछ समय बाद नवनीता का उसके पास फोन आया और उसने बताया कि बच्चे नहीं होने की वजह से संजय उसे मारता था, जबकि संजय ने नसबंदी करवा रखी थी। संजय नवनीता से कहता था कि जब तक वो अपने पिता से 5 लाख रुपये नहीं लेकर आएगी तब तक वो नसबंदी नहीं खुलवाएगा। फिर कुछ समय पश्चात् वह अपने मौसाजी के गई थी और उसने ये पूरी घटना मौसाजी को बताई। मौसाजी को बताने के बाद मौसाजी ने संजय को स्कूटी और कुछ रुपये देकर मामला शांत करवा दिया था, लेकिन संजय को और पैसे चाहिए थे, संजय दहेज लोभी था। नवनीता के ससुराल वालों ने उस पर बहुत अत्याचार किये थे तथा उसे बहुत प्रताड़ित किया था। संजय ने कुछ लड़कियों को शादी का झांसा देकर उन लड़कियों की जिन्दगी बेकार की है, जिनमें से उसे एक लड़की जिसका नाम सुनीता है, उसकी जानकारी है। सुनीता का आज भी संजय के साथ तलाक का केस चल रहा है। संजय सांखला और उसके जीजाजी रामेश्वरलाल ने पहले तो नवनीता को मारा और फिर उसके बाद फांसी पर लटकाया है। नवनीता का कत्ल किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसने जो देखी थी, उसमें यह स्पष्ट दिख रहा है। **अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि उसकी वर्ष 2009 में शादी हुई थी। उसकी शादी विकास जी के साथ लव मैरिज

थी, जो इंटरकास्ट मैरिज थी। उसकी लव मैरिज इंटरकास्ट होने के कारण उसके परिजन व मौसाजी रतन सिंह जी व उनके परिवारजन उसके विवाह में शामिल नहीं हुए थे। नवनीता बीएड करने के लिए बोरावड गई थी। वर्ष 2010 में नवनीता ने बीएड किया था। उसने भी वर्ष 2010 में कश्मीर से बीएड किया था। पुलिस ने उसके बयान प्रदर्श–डी 2 में उसके द्वारा नवनीता व संजय की 2012 से पहले उसके मौसी व मौसाजी के जानकारी के बगैर विवाह करने की बात उसने नहीं बताई थी, पुलिस ने क्यों लिख दी, उसे पता नहीं। वह दिनांक 04.03.2017 को बयान देने आई थी। वह दिनांक 04.03.2017 को पुलिस के बुलाने से बयान देने नहीं आई थी, अपनी मर्जी से रिश्तेदार होने के कारण से बयान देने आई थी। यह बात सही है कि वर्ष 2012 में उसके परिजन व रिश्तेदार उसके विवाह से खुश नहीं थे, इस कारण उसे घरेलू कार्यक्रमों में नहीं बुलाते थे। उसने पुलिस को उसका मोबाइल नंबर जिससे वह नवनीता से बात करती थी, वो नंबर बताया था तथा नवनीता के जिस नंबर से बातचीत होती थी, वह नंबर भी उसने बताया था। उसने अपने मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड दिखाकर पुलिस को यह नहीं बताया कि उसकी और नवनीता की कब–कब बातचीत हुई है। पुलिस ने उसे उसके मोबाइल नंबर की एवं नवनीता के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाकर कोई प्रश्न अनुंसंधान के दौरान नहीं पूछे। यह बात सही है कि उसने पुलिस को अनुसंधान के दौरान उसकी नवनीता से कब बातचीत हुई वो तारीख व वर्ष नहीं बताया था। वर्ष 2015 उसने नवनीता द्वारा उसे घर खर्च के लिए पैसे नहीं देने और छोटी–मोटी नौकरी के लिए कहना और बच्चा नहीं होने के उसे मारने तथा यह बात कहना कि 5 लाख रुपये नहीं लायेगी, तब तक नसबंदी नही खुलवाएगा, उसके द्वारा उसका इंटरव्यू दिलवाना, संजय का किसी अन्य लड़की से अवैध संबंध के कारण उससे मारपीट करने की बात उसने मौसाजी को बता दी थी। उसने दिनांक 30.05.2015 से दो–चार दिन पहले उसे नवनीता ने जो जानकारी बताई थी, वो उसने मौसाजी रतनसिंह जी को बता दी थी। यह बात सही है कि उसे जो नवनीता ने बताया था और उसने जो उसका इंटरव्यू दिलवाया था, इसके कारण से संजय द्वारा मारपीट करना व नौकरी करने से मना करने की बात भी उसने मौसाजी को बताई थी। यह बात सही है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श–डी 2 में नवनीता द्वारा संजय के नसबंदी कराई होने तथा नसबंदी खुलवाने के लिए 5 लाख रुपये लेकर आने पर ही नसबंदी खुलवाने की बात नहीं लिखी है, उसने तो पुलिस को बताई थी, क्यों नहीं लिखी है, यह उसे पता नहीं। उसे वर्ष 2015 से पहले नवनीता ने यह बताया था कि मौसाजी ने परेशान होकर उसे स्कूटी दिलाई है और कुछ पैसे देकर मामला शांत करवा दिया है। यह बात सही है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श– डी 2 में

उसके मौसाजी द्वारा स्कूटी और पैसे देकर मामला शांत कराने की बात नहीं लिखी है, उसने तो पुलिस को बता दिया था,, क्यों नहीं लिखी है उसे पता नहीं। यह बात सही है कि उसके मुख्य परीक्षण का भाग 'लेकिन संजय को और पैसे चाहिए थे, संजय दहेज लोभी था। नवनीता के ससुराल वालों ने उस पर बहुत अत्याचार किये थे तथा उसे बहुत प्रताड़ित किया था।' उसके पुलिस बयान प्रदर्श– डी 2 में नहीं लिखा, उसने तो पुलिस को बता दिया था, क्यों नहीं लिखी है उसे पता नहीं। उसके मुख्य परीक्षण का भाग 'संजय ने कुछ लडकियों को शादी का झांसा देकर उन लडकियों की जिन्दगी बेकार की है, जिनमें से मुझे एक लड़की जिसका नाम सुनीता है, उसकी जानकारी है। सुनीता का आज भी संजय के साथ तलाक का केस चल रहा है।' उसके पुलिस बयान प्रदर्श– डी 2 में नहीं लिखा, उसने तो पुलिस को बता दिया था, क्यों नहीं लिखी है उसे पता नहीं। उसके मुख्य परीक्षण का भाग 'संजय सांखला और उसके जीजाजी रामेश्वरलाल ने पहले तो नवनीता को मारा और फिर उसके बाद फांसी पर लटकाया है। नवनीता का कत्ल किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मैंने जो देखी थी उसमें यह स्पष्ट दिख रहा है।' उसके पुलिस बयान प्रदर्श– डी 2 में नहीं लिखा, उसने तो पुलिस को बता दिया था, क्यों नहीं लिखी है उसे पता नहीं। उसने दिनांक 08.02.2012 की कथित मैरिज में उसके उपस्थित होने की फोटोग्राफ अथवा वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को नहीं सौंपी। यह बात सही है कि उसके मुख्य परीक्षण में अंकित यह तथ्य कि नवनीता से उसकी मुलाकात होती थी और नवनीता उसके आती थी यह बात उसके पुलिस बयान प्रदर्श–डी 2 में लिखी हुई नहीं है। यह बात सही है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श–डी 2 में दहेज मांगने की बात नवनीता ने उसे कभी बताई हो उसका उल्लेख नहीं है, उसने तो पुलिस को बताई थी, क्यों नहीं लिखी है उसे पता नहीं। उसने नवनीता का जो इंटरव्यू कास एंजियो में करवाया था उसके दस्तावेज पुलिस को नहीं सौंपे थे। वह एंजियो तक पुलिस को लेकर नहीं गई थी। वह सीसीटीवी फुटेज देखने की जो बात बता रही है, उसके बाद वह पुलिस के पास नहीं गई और ना ही उसने पुलिस को यह बताया कि उसने सीसीटीवी के आधार पर संजय व उसका जीजा रामेश्वर के द्वारा नवनीता को मारकर फांसी पर लटकाने व कत्ल करने की बात बताई। उसे मोबाइल पर नवीन मृतका के भाई ने वीडियो क्लीपिंग भेजी थी, जो घटना के कुछ दिनांक बाद उसे भेजी थी उसको देखकर ही उसने उपरोक्त राय बनाई थी। उसने उक्त मोबाइल क्लीप और मोबाइल पुलिस को नहीं सौंपा। यह कहना गलत है कि नवनीता ने उसे ऐसी कोई बातें नही बताई हो और ना ही ऐसी कोई बातें हुई हो और वह उनकी रिश्तेदार होने के कारण झूठे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रख रही है। वह अरुणा को जानती है, वो उसकी

कजिन है। प्रदर्श– डी 2 पर संजय और नवनीता की फोटो है। वर्ष 2010 में संजय और नवनीता ने आर्य समाज में शादी कर ली हो तो उसे पता नही, ऐसा कुछ हुआ होता तो वह जरुर बताती।

19. इस प्रकार उक्त गवाह ने भी अपनी साक्ष्य में अभियुक्त के द्वारा नसबंदी करवाना, पिता से पांच लाख रुपये लेकर आने पर ही नसबंदी खुलवाना, अभियुक्त व उसके परिवारजन द्वारा मृतका को प्रताड़ित करना तथा संजय एवं रामेश्वर लाल द्वारा नवनीता को मारकर फांसी पर लटकाए जाने का कथन करते हुए नवनीता का कत्ल किया जाना सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्पष्ट दिखाई देना बताया है, परंतु अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 में उक्त बातें लिखी होने से इनकार किया है। पुलिस को बताई थी, क्यों नहीं लिखी, यह पता नहीं होना बताया है। इसी प्रकार मृतका के पिता अपने मौसाजी द्वारा स्कूटी और पैसे देकर मामला शांत करवाने की बात भी पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 में नहीं लिखा होना स्वीकार किया है। संजय और उसके जीजा रामेश्वर लाल ने नवनीता को पहले मारा, फिर उसे फांसी पर लटकाया, नवनीता का कत्ल किया, यह बात पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 में लिखाए जाने से इनकार किया है। गवाह ने नवनीता से मुलाकात होने, नवनीता उसके पास आती थी, यह बात पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 में लिखाए जाने से इनकार किया है। दहेज मांगने की बात नवनीता ने उसे कभी बताई हो, उसका उल्लेख पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 में होने से इनकार किया है। संजय का लड़कियों को शादी का झांसा देना, उनकी जिन्दगी बेकार करना व एक लड़की सुनीता का संजय के साथ तलाक चल रहा होने की बात भी पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 में लिखे होने से इनकार किया है। उसने मृतका के भाई द्वारा भेजी गई मोबाइल क्लिप के आधार पर अपनी राय बनाना व उक्त मोबाइल क्लिप पुलिस को सौंपने से इनकार किया है। मृतका से फोन पर बात हुई हो, कोई कॉल डिटेल पुलिस को पेश नहीं करना भी स्वीकार किया है। इस प्रकार से उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में मृतका को प्रताड़ित करने के संबंध में जो कथन किए हैं, उनके संबंध में अपने पुलिस बयान में कोई कथन नहीं किए हैं।

20. इसके अतिरिक्त उक्त गवाह ने संजय और उसके जीजा रामेश्वर लाल द्वारा पहले नवनीता को मारना उसके बाद फांसी पर लटकाना, नवनीता का कत्ल करना, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसने जो देखा उसमें यह स्पष्ट देखने का कथन किया है, परंतु जिरह में गवाह ने उक्त कथनों का अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी. 2 में लिखे जाने से इनकार किया है। यह भी कथन किया है कि उसने पुलिस को बताया था क्यों नहीं लिखा उसे पता नहीं। गवाह ने सीसीटीवी फुटेज देखने की जो बात बताई उसके बाद पुलिस के पास जाने से इनकार किया है और यह भी

कथन किया है कि ना ही उसने पुलिस को बताया कि उसने सीसीटीवी के आधार पर संजय और उसके जीजा जी रामेश्वर लाल द्वारा नवनीता को मारकर फांसी पर लटकाने व कत्ल करने की बात बताई। गवाह ने कथन किया है कि उसे मोबाइल पर मृतका के भाई नवीन ने वीडियो क्लिपिंग भेजी थी, जो घटना के कुछ दिनांक के बाद भेजी थी, उसको देखकर ही उसने उपरोक्त राय बनाई थी। उसने उस मोबाइल क्लिप व मोबाइल पुलिस को नहीं सौंपा। इस प्रकार से गवाह ने जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त संजय व उसके जीजा रामेश्वर लाल द्वारा नवनीता को मारने, फांसी पर लटकाने उसका कत्ल करने का कथन किया है वह मृतका के भाई नवीन द्वारा मोबाइल पर दिखाए गए वीडियो क्लिपिंग के आधार पर बताए जाने का कथन किया है, परंतु ऐसी कोई मोबाइल क्लिपिंग और मोबाइल अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। गवाह ने भी ऐसी कोई मोबाइल क्लिपिंग और मोबाइल पुलिस को सौंपे जाने से इनकार किया है। अतः गवाह की साक्ष्य से भी अभियुक्त द्वारा मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित करना, उसके फलस्वरूप मारना–पीटना व हत्या कारित करने का तथ्य प्रकट नहीं हुआ है।

21. अन्य गवाह **पी.ड. 7 जयमाला सिसोदिया,** जो की मृतका का की माता है, ने अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि नवनीता उसकी पुत्री लगती है। नवनीता की शादी ब्यावर निवासी संजय सांखला के साथ की थी। वर्ष 2017 में ये दोनों गोकुल विला कॉलोनी, किशनगढ़ में रहते थे। उसका दामाद संजय शराबी था और वो दहेज के लिए उसकी पुत्री से मारपीट करता था। अपनी बेटी की शादी उन्होंने वर्ष 2012 में की थी, तब से ही संजय उसकी पुत्री से मारपीट करता था। उन्होंने शादी धूमधाम से उत्सव पैलेस मैरिज गार्डन अजमेर में की थी। विदाई के समय उन्होंने उसे काफी दहेज दिया, जिनमें सोने–चांदी के जेवर व फर्नीचर दिया। शादी में करीब 10 लाख रुपये खर्च किये। विदाई के बाद संजय नवनीता को लेकर संजय की बहन के यहां रहने के लिए चला गया। कुछ दिनों बाद वहां रहते हुए शराब का आदि होने के कारण शराब पीकर आता और उसकी बेटी से पांच लाख रुपये दहेज की मांग करता, मारपीट करता। एक बार तो उसने उसकी बेटी को इतना मारा कि उसकी बेटी ने अपने पिता को फोन करके बुला लिया। नवनीता ने कहा कि ये उसे आये दिन परेशान करते हैं और कहते हैं कि अपने बाप से पांच लाख रुपये लेकर आ। नवनीता की सास, संगीता और जीजा महेश, जीजा रामेश्वर, संजय की मौजूदगी में उसने कहा कि ये सब उसे परेशान करते हैं व बोलते हैं कि एक ही लड़की है, उन्होंने सोचा खूब दहेज लेकर आयेगी, परन्तु इस पर रामेश्वरलाल बोला आप दहेज में पांच लाख का इंतजाम कर दो, सब ठीक हो जायेगा। इस पर नवनीजा के पिता ने कहा कि अभी उसने शादी

की इतनी जल्दी पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता। संजय शराब पीया हुआ था, इस पर वह भड़क उठा और जोर–जोर से बोलने लगा, नवनीता के पापा भी खड़े हो गये और जोर–जोर से बोलने लग गये। फिर नवनीता के पापा ने कहा कि आप रोज–रोज शराब पीकर क्यों आते हो, उसकी बेटी को प्रताड़ित कर मारपीट करते हो। फिर उन्होंने घरवालों से कहा कि आप संजय को समझाते क्यों नहीं हो। जोर ने बोलने पर उसके जीजा महेश ने कहा कि आप मेरा घर खाली करके चले जाओ, मेरे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। कुछ दिन बाद संजय और नवनीता वहीं पास में भीमसिंह जी के मकान में रहने लग गये। कुछ दिन बाद संजय फिर शराब पीकर आता और नवनीता को परेशान करता। एक बार तो संजय ने नवनीता को इतना मारा कि उसे लात मारकर पटक दिया, फिर पास में रहने वाले अशोक जी ने कहा कि इतना शोरगुल क्यों कर रहे हो तो संजय ने कहा कि मैं अपने घर में कुछ भी करु आपको क्या है। फिर अशोक जी ने नवनीता के पापा को बुलाकर बताया संजय नवनीता से मारपीट करता है। इस पर संजय ने कहा कि नवनीता को ले जाओ नहीं तो वह इसे जान से मार देगा। फिर दो दिन बाद ही संजय उसको माफी मांगकर ले गया। फिर कुछ दिन बाद नवनीता के पास फोन आया कि संजय ने नसबंदी का ऑपरेशन करवा रखा है, यह बात नवनीता ने उसे बताई। फिर उसने नवनीता के पापा को बताई। फिर नवनीता के पापा उसकी ननद संगीता के पास गये और उससे पूछा कि संजय ने नसबंदी का ऑपरेशन क्यों करवा रखा है। तब संगीता ने कहा कि जिस लड़की के साथ शादी करके छोड़ा है, वो उसके भाई को बदनाम करने के लिए बोल रही है। फिर नवनीता अपनी संतुष्टि के लिए संजय को साथ लेकर अपनी संतान उत्पत्ति की जांच हेतु हॉस्पिटल गये। जांच में नवनीता की रिपोर्ट नॉर्मल व संजय की निल पाई गई। डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारी जांच निल क्यों है तो संजय ने कहा कि मैंने नसबंदी का ऑपरेशन करवा रखा है। फिर वे दोनों घर आ गये। फिर नवनीता ने कहा कि आप अपना नसबंदी का ऑपरेशन खुलवा लिजिए। उस पर संजय भड़क उठा और कहा कि उसके पास डेढ़– दो लाख फालतु नहीं है, अपने बाप से लेकर आ पैसे। संजय के अन्य महिला के साथ अवैध संबंध थे। उस पर लाखों रुपये का कर्जा था। नवनीता से उसकी आखिरी बार बात दिनांक 01.03.2017 को दिन में हुई थी। नवनीता की बात उस दिन उसके पुत्र नवीन सिसोदिया से भी हुई थी। फिर रात्रि को उसके पुत्र नवीन सिसोदिया के पास पुलिस थाना गांधीनगर से फोन आया कि नवनीता पत्नी संजय ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, आप तुरन्त उसके निवास स्थान पर किशनगढ़ पहुंचों, डेड़ बॉडी आपके सामने उतारी जायेगी। यह सुनकर वह, उसका पति, राजेश टांक, नवीन सिसोदिया वहां पहुंचे तो देखा कि वहां पर लोग व पुलिस

खड़ी थी। फिर वे उसके रूम में गये और वहां देखा कि उसकी बेटी फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। उसके पैर पंजे, एड़ी समेत जमीन पर टिके हुए थे। उसको देखकर के उन्हें ऐसा लगा कि नवनीता की पूर्व में हत्या करके फांसी पर लटकाया गया हो। उसको देखकर वे बाहर आ गये थे, उसके बाद नवनीता को नीचे किसने उतारा उन्हें नहीं पता। उसके पति ने इस बाबत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिर उसके बाद वे घर आ गये थे। नवनीता का दाह संस्कार किया। फिर उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये उनका काम है वे फुटेज ले लेंगे। उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में दी हुई है, जिसमें ये पूरा सीन आ रहा है कि कौन आया और कौन नहीं। उसे लगता है कि उसकी पुत्री नवनीता की हत्या करके फांसी पर लटकाया गया था। **अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि उनको नवनीता की आर्य समाज में शादी की कोई जानकारी नहीं दी थी। अजखुद कहा कि कोई शादी नहीं हुई थी। उसने पुलिस बयान प्रदर्श डी. 4 में ए–बी भाग में 'इसके बाद संजय............. तक नहीं दी' वाली बात पुलिस को नहीं बताया जाना, पुलिस बयान प्रदर्श डी. 4 में सी–डी भाग 'हमें पता लगने पर................समाज के सामने धूमधाम से शादी की थी' नहीं बताया जाना, स्वतः कहा कि उन्होंने वर्ष 2012 में उसकी शादी की थी। जिस दिन वह 2012 में नवनीता की शादी की बात बताती है, उस दिन उसके बेटे की सगाई भी थी। गवाह ने यह भी कथन किया है कि संजय 2012 से पहले हमारे घर आता–जाता रहता था, संजय स्वयं ही हमारे घर आता–जाता था। शादी का प्रस्ताव संजय ने रखा था, हमने शादी से इंकार कर दिया था, फिर वो हमें परेशान करता था। फिर हमारी लडकी के राजी होने पर हमने समाज में शादी की। नवनीता और संजय दोनों एक ही जाति से थे। समाज में 2012 में शादी करने से पहले आर्य समाज में नवनीता व संजय की शादी की जानकारी उसे उनके परिवारजन ने नहीं दी थी। साढ़े चार साल अजमेर में नवनीता व संजय रहे थे, उस दौरान उन्होंने संजय के विरुद्ध कोई शिकायत पुलिस में नहीं की। लाश लेने आये, उस दिन 02.03.2017 को उसके, उसके बेटे व पति के बयान एसडीएम साहब के सामने हुये या नहीं उसे पता नहीं, क्योंकि वह उस दिन बेबस थी। यह कहना गलत है कि प्रदर्श डी. 5 में पांच लाख रुपये की मांग और उसे लेकर परेशान करने की बात अंकित नहीं है क्योंकि ऐसी कोई मांग और उसे लेकर परेशान करने की बात नहीं हो, इसलिए वह इस बयान से आज इनकार कर रही हो। उसने रिपोर्ट करने से पहले उसकी बेटी के वैवाहिक जीवन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह कहना सही है कि नवनीता और संजय का विदाई के बाद संजय की बहन के यहां रहने के दौरान शराब पीकर आता और बेटी

से पांच लाख रुपये की मांग करता व मारपीट करता, मारपीट करने की बात उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी. 4 व प्रदर्श डी 5 बयान एसडीएम में लिखी हुई नहीं है। गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में संजय व नवनीता का संजय की बहन के यहां रहने के दौरान उसकी पुत्री को मारने आए दिन परेशान करने, पांच लाख रुपये लेकर आने मृतका के पिता द्वारा संजय को रोज–रोज शराब पीकर आने उसकी बेटी को प्रताड़ित करने के बारे में पूछने के संबंध में जो कथन किए हैं, उन्हें अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी. 4 व प्रदर्श डी 5 बयान एसडीएम में लिखाए जाने से इनकार किया है। गवाह ने जिरह में यह भी कथन किया है कि यह सही है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी. 4 व डी. 5 में उसे लाश देखकर यह लगा हो कि उसकी पुत्री की हत्या करके फांसी पर लटकाया गया हो, यह बात नहीं लिखी है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि वह किशनगढ़ नवनीता और संजय रहे, उस अवधि में रहने कभी नहीं आई। नवनीता मृत्यु से छह माह पूर्व किशनगढ़ में रहने के लिए आई थी।

22. इस प्रकार से उक्त गवाह ने भी अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा पांच लाख की मांग को लेकर शराब पीकर मारपीट करने बाबत जो कथन किए हैं, उन्हें अपने पुलिस बयान व मर्ग जांच बयान में लिखवाए जाने से इनकार किया है। गवाह द्वारा अपने बयानों में दहेज की मांग को लेकर मारपीट किए जाने के संबंध में जो कथन किए हैं तथा संजय द्वारा नसबंदी का ऑपरेशन खुलवाने के लिए पैसे मांगने की बात बताई है, वह अपने मर्ग बयान में अंकित नहीं की है, केवल लोगों द्वारा सुने जाने का कथन किया है, जबकि न्यायालय में अपनी पुत्री व अभियुक्त की संतान उत्पत्ति के संबंध में जांच करवाना बताया है, जिसमें अभियुक्त की रिपोर्ट निल होना बताया, परंतु ऐसी कोई मेडिकल रिपोर्ट अभियोजन द्वारा पेश नहीं की गई है। गवाह ने उक्त साक्ष्य में किए गए पांच लाख रुपये की मांग को लेकर मारपीट संबंधी कथन पुलिस बयान में नहीं किए हैं ना ही मर्ग जांच बयान में किए हैं, जो तात्विक अभिवृद्धि की श्रेणी में आते हैं। गवाह द्वारा उक्त कथन बढ़ा–चढ़कर किए गए हैं।

23. अन्य गवाह **पी.ड. 8 सुलोचना पालडिया** ने भी अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि नवनीता उसके ताउजी की लड़की थी। नवनीता की शादी संजय के साथ दिनांक 08.02.2012 को गुलाब बाड़ी, उत्सव पैलेस गार्डन में हुई थी। शादी में वह भी गई थी। शादी में दहेज में काफी सामान दिया था, खर्चे का उसे अंदाजा नहीं है, ताउजी ने काफी पैसे लगाकर शादी की थी। नवनीता कभी–कभी शादी ब्याह में व कभी–कभी तीज त्योहार पर मिलती थी। उनकी मोबाइल पर बात नहीं होती थी। नवनीता ने उसे मिलने पर कभी उसके पति के स्वभाव के बारे में नहीं बताया था, लेकिन एक बार वह अपने पिता के रिटायरमेंट का कार्ड देने गुलाब बाड़ी उसके घर गई थी, तब शाम के समय जब वह कार्ड देने

गई तब वहां उसे नवनीता का पति संजय मिला था। संजय ने मना कर दिया कि नवनीता घर पर नहीं है, वह कोचिंग गई है, कार्ड उसी को देना। दो दिन बाद वह अपनी के साथ नवनीता के घर पर गई थी। उस समय घर के बाहर ताला लगा हुआ था, तभी अंदर से आवाज आई वो आवाज नवनीता की थी और वो कह रही थी कि दीदी आप पीछे के दरवाजे से आ जाओ। नवनीता घर के अंदर बंद थी। उसने नवनीता को कार्ड दिया, वे घर के अंदर बैठे, तो उन्होंने देखा कि खिड़की दरवाजों पर काले रंग के पर्दे थे। तब उसने नवनीता से पूछा कि ये क्या है। नवनीता बात का टालते हुए रसोई में जाकर उन्हें पानी पिलाया। फिर वे थोड़ी देर नवनीता के पास बैठे और उन्होंने संजय के बारे में पूछा कि बच्चे के बारे में क्या प्लानिंग है तो नवनीता रोने लग गई तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों कर रही है तो उसने कहा कि उसके पति उसे मारते पीटते हैं और उसे किसी से बातचीत नहीं करने देते, दहेज के लिए परेशान करते हैं। परिवार वालों से उसे पता चला कि नवनीता को पहले मारा गया और फिर उसे फांसी पर लटकाया गया। **अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी. 5 का ए–बी भाग 'नवनीता ने संजय सांखला से उसके ताउ की बिना जानकारी के आर्य समाज में शादी कर ली थी' भाग गलत लिखा है, उसने पुलिस को ये बात नहीं बताई। उसने पुलिस बयान प्रदर्श डी. 5 में सी–डी भाग 'नवनीता व संजय की शादी का ताउ को पता लगने पर' भाग पुलिस को नहीं लिखाए जाने का कथन किया है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह बात सही है कि उसके मुख्य परीक्षण का भाग 'उसने नवनीता को कार्ड दिया, वे घर के अंदर बैठे, तो उन्होंने देखा कि खिड़की दरवाजों पर काले रंग के पर्दे थे। तब उसने नवनीता से पूछा कि ये क्या है, नवनीता बात को टालते हुए रसोई में जाकर उन्हें पानी पिलाया। फिर वे थोड़ी देर नवनीता के पास बैठे और उसने संजय के बारे में पूछा कि बच्चे के बारे में क्या प्लानिंग है तो नवनीता रोने लग गई तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों कर रही है तो उसने कहा कि उसके पति उसे मारते पीटते हैं और उसे किसी से बातचीत नहीं करने देते, दहेज के लिए परेशान करते हैं।' उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–5 में नही लिखी है, क्यों नही लिखी है पता नहीं, उसने तो पुलिस को बता दी थी। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह सही है कि उसके मुख्य परीक्षण का भाग 'परिवार वालों से उसे पता चला कि नवनीता को पहले मारा गया और फिर उसे फांसी पर लटकाया गया।' उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी. 5 में नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, पता नहीं, उसने तो पुलिस को बता दी थी। नवनीता किशनगढ़ में कब से रह रही थी, उसका महीना, साल उसे नहीं पता। अजखुद कहा कि उसके पिताजी के रिटारमेंट के कुछ समय पश्चात् ही वह किशनगढ़ शिफ्ट हो गई। गवाह ने

यह भी कथन किया है कि उसे नहीं पता कि नवनीता और संजय की अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी। कभी नवनीता ने अपनी मैरिज के संबंध में उसे कुछ नहीं बताया।

24. इस प्रकार उक्त गवाह जो मृतका के ताउजी की लड़की है, ने अपनी साक्ष्य में अपने पिता के रिटायरमेंट का कार्ड देने नवनीता के घर जाना व नवनीता के घर पर होने से संजय द्वारा मना करना, दो दिन बाद अपनी मौसी के साथ नवनीता के घर पर जाना, घर के बाहर ताला लगा होना, अंदर से आवाज आना, जो नवनीता की थी, उसने पीछे से दरवाजे से आने के लिए कहा। नवनीता घर के अंदर बंद थी, उसने नवनीता को कार्ड दिया, घर के अंदर बैठे तो वहां खिड़की दरवाजों पर काले रंग के पर्दे थे। नवनीता से पूछने पर बात टालना, बच्चे के बारे में पूछने पर रोना, पति द्वारा मारना पीटना, दहेज के लिए परेशान करना बताई है, परंतु उक्त गवाह ने घर के अंदर बैठना, नवनीता के रोने, पति द्वारा मारना–पीटना, दहेज के लिए परेशान करने की बात अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी 5 में लिखे होने से इनकार किया है। अतः गवाह की उक्त साक्ष्य तात्विक अभिवृद्धि की श्रेणी में आती है तथा गवाह ने कथनों की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। गवाह ने जिरह में नवनीता की शादी लव मैरिज थी या अरेंज जानकारी नहीं होना बताया, जबकि मुख्य परीक्षण में शादी में जाना बताया है और वह उसके ताउजी की लड़की भी है। उक्त साक्ष्य विरोधाभासी भी है। अतः उक्त गवाह की साक्ष्य से भी मृतका की हत्या की पुष्टि नहीं होती है।

25. अन्य गवाह **पी.ड. 9 अरुणा टांक,** जो मृतका की बुआ की लड़की है, ने अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसकी नवनीता से फोन पर बात नहीं होती थी। मुलाकात दिनांक 10.02.2017 को हुई थी। उस दिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बताना नहीं चाहती, ऐसा लग रहा था कि वो किसी दबाव में है। उस समय नवनीता ने उससे पूछा कि दीदी आपने भी लव मैरिज की है, तो आपको तो जीजू बहुत अच्छे रखते हैं, आपको परिवार का सपोर्ट नहीं है, आपको बहुत अच्छा पति मिला है, इसलिए आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। फिर उसने कहा कि तेरी भी तो लव मैरिज है, तू भी तो खुश है। जब उसने उस दिन नवनीता को देखा तो वह उसे पहचान नहीं पाई थी कि क्या ये वो ही नवनीता है क्या। उसे ऐसा महसूस हुआ कि नवनीता ऐसा महसूस कर रही थी कि उसने लवमैरिज की है, अब अगर अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बताएगी तो समाज के लोग क्या कहेंगे। जब उसने नवनीता से बहुत बार पूछा तो उसने बताया कि उसके पति संजय ने किसी को रिश्तेदारी में स्कूटी दी, वो हमेशा उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट देते रहते हैं, वह हमेशा उनका विरोध करती रहती है कि इतना खर्चा मत किया

करो। उसके मामा के लड़के का उसे फोन आया कि नवनीता खत्म हो चुकी है। उसके मामा के लड़के ने नवनीता की मृत्यु का कारण बताया भी हो तो उसे पता नहीं क्योंकि वह खुद अपनी सुध बुध खो चुकी थी। उसे ऐसा लगता है कि नवनीता ने अपनी इच्छा से मैरिज की थी और उसके आस–पास का जो माहौल था उसके कारण उसने ऐसा किया होगा। **अधिवक्ता अभियक्त द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि नवनीता वर्ष 2009–10 में जिला नागौर में बीएड कर रही थी और वहीं पर बीएड के दौरान उसने आर्य समाज में मैरिज कर ली थी, ऐसा उसने सुना था, वह शादी में नहीं गई थी। नवनीता और उसके पति का फोटो प्रदर्श डी. 2 पर एक्स स्थान पर है। उसने नवनीता की आर्य समाज में शादी की बातचीत उसके परिवारजन में बातचीत से सुनी थी। जब मैरिज की चर्चा उनके परिवार में हुई तब उसकी मैरिज का कोई विरोध नहीं हुआ था, इसलिए उसका रिसेप्शन दिया था। रिसेप्शन के दिन नवनीता के भाई की सगाई का खाना भी रखा था।

26. अन्य गवाह **पी.ड. 25 नवीन सिसोदिया,** जो कि मृतका का भाई है, उसने अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह कंप्यूटर रिपेयरिंग का कार्य करता है। वे अपने पिताजी के दो भाई–बहन है। नवनीता उसकी छोटी बहन थी। दिनांक 01.03.2017 को शाम को 5.44 पर उसके पास संजय ने उसे फोन करके कहा कि ये उजरणा क्या लगा रखा है। नवनीता उससे उजरणे में आने की जिद कर रही है। तब उसने कहा कि आप उसे उजरणे में भेज क्यों नहीं देते हो। इस पर संजय ने कहा कि जब तक उसके पांच लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होगी वह नवनीता को उजरणे में नहीं भेजेंगा और वह घर से जिम जा रहा है। इतना कहकर संजय ने अपना फोन काट दिया। उसने नवनीता को 3–4 बार फोन किया। उसके फोन पर घंटी जा रही थी। उसने उसका फोन नहीं उठाया। फिर उसने संजय को फोन किया। फिर संजय ने अपना फोन बंद कर लिया था। संजय नवनीता को आये दिन मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित किया करता था। दिनांक 01.03.2017 को रात्रि 10.32 पर संजय के जीजा रामेश्वरलाल ने उसके पिता को फोन करके कहा कि संजय और नवनीता में झगडा हो जाने के कारण नवनीता ने अपने आप को कुंदी लगाकर गेट बंद कर लिया है। वह गेट नहीं खोल रही है। आप नवीन जी को साथ लेकर तुरंत किशनगढ़ आ जाये। रामेश्वरलाल के फोन के सही 12 मिनट बाद रात्रि 10.44 पर उसके मोबाइल पर फोन आया कि वह गांधीनगर थाने का एसआई बोल रहा है, क्या आप रतनसिंह जी बोल रहे हैं? आपकी पुत्री नवनीता पत्नी संजय सांखला ने आत्महत्या कर ली है। आप तुरंत उसके निवास स्थान आ जाये। आपके आने के बाद ही वे घर में प्रवेश करेंगे। आपके सामने ही आपकी पुत्री नवनीता की डेड बॉडी नीचे उतारेंगे। यह सूचना

मिलने के बाद उसे और उसके परिवार को एक पल गहरा सदमा लगा। जैसे तैसे उन्होंने हिम्मत जुटा कर वह, उसके पिताजी रतनसिंह सिसोदिया, उसकी माता जयमाला सिसोदिया, उसके मामा राजेश टांक वे चारों अजमेर से किशनगढ़ रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे, गोकुल विला कॉलोनी नवनीता के किराये के घर के लिए रवाना हुए। रात्रि 11.36 पर वे नवनीता के निवास स्थान पहुंचे तब उसने देखा कि रामेश्वरलाल और प्रेस वाले घर के बाहर और पुलिस वाले घर के अंदर मौजूद थे। उसने जैसे ही हॉल में प्रवेश किया। उक्त पुलिस वाले ने उसकी बहन की गर्दन को पीछे की ओर से पकड रखा था। उसकी बहन साडी के फंदे से सीढी की रेलिंग से लटकी हुई थी। उसकी बहन के पैर, एडी, पंजे सहित पूरे फर्श पर टिके हुए थे। उसके गालों और कानों पर नील के निशान थे। उनके सामने ही नवनीता की डेड बॉडी फंदे से उतारी गई थी, तब उन्होंने देखा कि उसके हाथ पैरों पर भी मारपीट के नील के निशान थे। दिनांक 01.03.2017 को संजय ने उसकी बहन से पांच लाख रुपये की मांग को लेकर इतना प्रताडित व मारपीट की थी कि उसकी हत्या हो गई थी। फिर हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए संजय ने उसी की साडी से उसे सीढी की रेलिंग से लटका दिया क्योंकि वहां पर कोई टेबल कुर्सी नहीं थी। बिना सहारे के कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है। नवनीता का कद 5 फीट 2 इंच था व फर्श से सीढी की रेलिंग की दूरी 11.04 फीट थी। तलाशी के दौरान उसकी बहन का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। केवल एक डायरी जिसमें वह रोजमर्रा की बातें व कविताएं लिखा करती थी, मिली थी। जब उसकी बहन की डेड बॉडी एंबुलेंस में ले जाई जा रही थी, तब सड़क किनारे एक पोल पर उसने सीसीटीवी कैमरा देखा, जिसकी सूचना उसने आईओ मोटाराम बेनीवाल जी को भी दी थी। उन्होंने उसे तसल्ली देते हुए यह कहा कि यह उनका काम है। वे फुटेज की रिकॉर्डिंग निकवा लेंगे। वो फुटेज उन्होंने कॉलोनी मालिक राजीव गुप्ता से संपर्क कर तीन डीवीडी में सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की थी। वो फुटेज बाद में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से आई ओ द्वारा रिकॉर्ड पर ली गई। संजय की पहली सगाई जयपुर बाईस गोदाम निवासी लक्ष्मीनारायण जी तंवर की पुत्री सुनीता तंवर से हुई थी। वहां से डेढ़ साल में ही सगाई टूटने के बाद संजय ने वर्ष 2009 में 07 मई को पुलिस लाइन निवासी फतेहसिंह जी सतरावला की पुत्री सुनीता सतरावला से शादी की व शादी के एक दिन बाद ही उस पर अवैध संबंध का इल्जाम लगाकर छोड़ दिया। वह दिनांक आज तक उस को तलाक नहीं दिया तथा उनसे भी यह तथ्य छुपाकर उसकी बहन से शादी कर उसका जीवन बर्बाद कर उसकी हत्या कर दी। नवनीता व संजय की शादी 08.02.2012 उत्सव पैलेस मैरिज गार्डन गुलाबबाडी में समाज के सामने धूमधाम से की गई थी। उसके पिता ने संजय व उसके परिवार

के लोगों की मांग अनुसार जेवर, घरेलू सामान, स्वर्ण ज्वेलरी पांच तौला व लगभग 10 लाख रुपये खर्च किये थे। शादी के बाद विदाई पर संजय उसकी बहन को दहेज सहित ले जाकर उसकी बहन संगीता टांक के घर रहने लगा। वहां रहते हुए कुछ दिन बाद संजय शराब पीकर आता और उसकी बहन से रुपयों की मांग को लेकर प्रताडित कर मारपीट करता था। एक दिन तो उसने उसकी बहन को इतना मारा कि उसकी बहन ने परेशान होकर उसके पिता को फोन करके अपनी ननद के घर बुला लिया। नवनीता ने अपनी सास, ननद संगीता, जीजा महेश, जीजा रामेश्वरलाल व संजय की मौजूदगी में उसके पिता से कहा कि ये सब उसे पेरशान करते हैं। कहते हैं कि अपने बाप से पांच लाख रुपये लेकर आ। उन्होंने सोचा एक ही लड़की है, खूब लेकर आएगी। इस पर रामेश्वरलाल उसके पिता से बोला कि आप रुपये का इंतजाम करो फिर सब ठीक हो जायेगा। इस घटना के कारण संजय के जीजा ने उससे मकान खाली करवा लिया और वो बृजविहार कॉलोनी, अजमेर में किराये पर रहने लग गये। कुछ दिनों बाद नवनीता को पता लगा कि संजय ने शादी के पहले से ही नसबंदी का ऑपरेशन करवा लिया था। यह बात नवनीता ने उसकी मां को बताई थी। नवनीता संजय को साथ लेकर अपनी संतान उत्पत्ति की जांच के लिए परिहार हॉस्पिटल गई थी। वहां पर नवनीता की रिपोर्ट नॉर्मल आई थी और संजय की रिपोर्ट में नसबंदी होना पाया गया। घर आकर नवनीता ने कहा कि आप अपनी नसबंदी का ऑपरेशन खुलवा लिजिए तो संजय भड़क उठा उसने कहा कि उसके पास दो लाख रुपये फालतू नहीं है। अपने बाप से रुपये लाकर देगी तो वह खुलवा लेगा। संजय का अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंध व गलत आदतों के कारण संजय पर लाखों रुपये का कर्ज था। वह उसकी बहन पर अपने पिता से रुपये लाकर देने का दबाव डालता था। उसके पिता ने संजय की संतुष्टि के लिए व नवनीता के वैवाहिक जीवन के लिए उसे एक स्कूटी दी थी, लेकिन फिर भी रुपये की मांग पूरी नहीं होने के कारण संजय नवनीता को ब्रजविहार कॉलोनी में पांच महीने के लिए अकेला छोड़कर चला गया था। इस दौरान नवनीता का खर्चा उसके पिताजी उठाते थे। उसके बाद संजय के आने के बाद इन्होंने गोकुल विला कॉलोनी, किशनगढ़ में मकान ले लिया। वहां भी उसे मारता रहता था और फिर दिनांक 01.03.2017 को संजय ने उसकी बहन को इतना मारा की उसकी डेथ हो गई। दिनांक 21.03.2017 को समय 4.15 पीएम पर तीन अध्ययन नोट्स की कापियां उसके व हेमराज की व उसके पिताजी के समक्ष जप्त किये थे, जो प्रदर्श पी–9 है, जिस पर ई–एफ उसके हस्ताक्षर हैं। नजरी निरीक्षण नक्शामौका घटना स्थल प्रदर्श पी. 6 है। उपरोक्त नक्शामौका बनाते समय वह व हनुमान जांगिड थे, जिस पर ई–एफ उसके हस्ताक्षर हैं। **अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह** में

गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 02.03.2017 को एसडीएम किशनगढ ने उसके बयान लिये थे, जो प्रदर्श डी–7 है, जिस पर ए–बी दो स्थानों पर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श डी–7 बयान यज्ञनारायण हॉस्पिटल किशनगढ़ में लिये थे। गवाह ने यह भी कथन किया है कि बयान प्रदर्श डी–7 में उसके मुख्य परीक्षण में जो उसने आज बताया है कि दिनांक 01.03.2017 को शाम को 5.44 पर उसके पास संजय ने उसे फोन करके कहा कि ये उजरणा क्या लगा रखा है। नवनीता उससे उजरणे में आने की जिद कर रही है। तब उसने कहा कि आप उसे उजरणे में भेज क्यों नहीं देते हो। इस पर संजय ने कहा कि जब तक उसके पांच लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होगी, वह नवनीता को उजरणे में नहीं भेजेंगा और वह घर से जिम जा रहा है। इतना कहकर संजय ने अपना फोन काट दिया। उसने नवनीता को 3–4 बार फोन किया। उसके फोन पर घंटी जा रही थी। उसने उसका फोन नहीं उठाया। फिर उसने संजय को फोन किया। फिर संजय ने अपना फोन बंद कर लिया था, अंकित नहीं है, स्वतः कहा कि उस वक्त वह सदमे में था इसलिए पूरी बात नहीं बता पाया। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसके मुख्य परीक्षण में उसने जो बताया है कि **इस पर संजय ने कहा कि जब तक उसके पांच लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होगी वह नवनीता को उजरणे में नहीं भेजेंगा, में से पांच लाख रुपये नहीं देने पर नहीं भेजने वाली बात बयान प्रदर्श डी–8 में नहीं है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह सही है कि उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी–8 में यह बताया था कि इन दोनों के बीच आये दिन झगडा होता था और वापस राजी हो जाते थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। यह सही है कि उसने पुलिस बयान प्रदर्श डी–8 में यह बताया था कि रामेश्वर का फोन आने पर गेट बंद करने की बात पता चलने पर उसके पिताजी ने यह कहा था कि दोनों हमेशा इसी तरह से लडते रहते हैं, थोडी देर में गेट खोल देगी। यह बात पुलिस ने उसके बताये अनुसार लिखी है।** यह सही है कि उसके मुख्य परीक्षण में आज बताई गई यह बात कि रामेश्वर ने उसके पिताजी को यह कहा कि आप नवीन को लेकर तुरंत किशनगढ आ जाये, यह तथ्य बयान प्रदर्श डी–7 व डी–8 में अंकित नहीं है। यह सही है कि उसने जो रामेश्वर के फोन आने का समय 10.32 बताया है, वह बयान प्रदर्श डी–7 व डी–8 में अंकित नहीं है, पर 10–11 के बीच रामेश्वर के फोन आने वाली बात अंकित है। यह सही है कि उसकी कॉल डिटेल व मोबाइल की कॉल लिस्ट के संबंध में पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसके पहुंचने से पहले पुलिस वाले कमरे में मौजूद थे। वे 11.36 पर पहुंचे थे। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसकी बहन साडी के फंदे से सीढी की रेलिंग से लटकी हुई थी। उसकी बहन के पैर, एडी, पंजे सहित पूरे फर्श पर टिके हुए थे।

उसके गालों और कानों पर नील के निशान थे। उनके सामने ही नवनीता की डेड बॉडी फंदे से उतारी गई थी, तब उन्होंने देखा कि उसके हाथ पैरों पर भी मारपीट के नील के निशान थे। यह बात उसके बयान प्रदर्श डी–7 में अंकित नहीं है, उसने तो बताया था। उसने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि दिनांक 01.03.2017 को संजय ने उसकी बहन से पांच लाख रुपये की मांग को लेकर इतना प्रताडित किया व मारपीट की कि उसकी हत्या हो गई थी। फिर हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए संजय ने उसी की साडी से उसे सीढी की रेलिंग से लटका दिया क्योंकि वहां पर कोई टेबल कुर्सी नहीं थी। बिना सहारे के कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है। नवनीता का कद 5 फीट 2 इंच था व फर्श से सीढी की रेलिंग की दूरी 11.04 फीट थी। तलाशी के दौरान उसकी बहन का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। केवल एक डायरी जिसमें वह रोजमर्रा की बातें व कविताएं लिखा करती थी, मिली थी। उसके बयान प्रदर्श डी–7 में अंकित नहीं है, स्वतः कहा कि संजय द्वारा उसकी बहन के साथ मारपीट कर आत्महत्या करने का षड्यंत्र किया जाना अंकित है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि वहां पर कोई टेबल कुर्सी नहीं होने, फर्श से सीढी की रेलिंग की दूरी 11.04 फीट होने, नवनीता का कद 5 फीट 2 इंच होने संबंधी तथ्य अपने बयान प्रदर्श डी–7 व डी–8 में अंकित नहीं होना बताया है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह बात सही है कि प्रदर्श डी–7 में उसने यह बताया था कि दिनांक 01.03.2017 को शाम 05.45 पर संजय का फोन आया था कि उसकी बहन उससे झगडा करती है तथा खाना नहीं बनाती है। उसने प्रदर्श डी–7 में मजिस्ट्रेट साहब को यह बताया था कि सुनीता का साथ छोड़ने पर संजय ने पिंकी तंवर जयपुर से सगाई कर सगाई तोड़ दी थी। उसी सगाई के दौरान संजय ने नवनीता से मुलाकात कर आर्य समाज में शादी कर ली थी। यह बात उसने गलत लिखवा दी थी, फिर कहा उसने प्रदर्श डी–7 में इसी सगाई के दौरान संजय ने नवनीता से मुलाकात कर आर्य समाज में शादी कर ली थी, अज खुद कहा कि वो सर्टिफिकेट फर्जी है। उसने एसडीएम साहब को बता दिया था कि सर्टिफिकेट फर्जी बनाया है। यह बात सही है कि यह बात प्रदर्श डी–7 में अंकित नहीं है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि दिनांक 08.02.2012 को जिस दिन उसकी बहन की शादी हुई, उसी दिन उसकी भी सगाई हुई थी। उत्सव पैलेस में ही हुई थी। अनुसंधान के दौरान उन्होंने अपनी बहन व संजय के संतान उत्पत्ति से संबंधित टेस्ट व ट्रीटमेंट के दस्तावेज नहीं दिये। उसके बयान प्रदर्श डी–7 में संतान उत्पत्ति के संबंध में जांच कराने की व ऑपरेशन खुलवाने के लिए संजय द्वारा पैसे मांगने की बात अंकित नहीं है। संजय के अवैध संबंधों वाली बात व गलत आदतों के कारण लाखों रूपये का कर्जा होने वाली बात प्रदर्श डी–7 में अंकित नहीं है।

अवैध संबंधों वाली बात प्रदर्श डी–8 में भी अंकित नहीं है, उसने तो बताई थी। संजय उसकी बहन पर उसके पिता से रुपये लाने का दबाव बनाता था, यह बात प्रदर्श डी–7 में अंकित नहीं है। नवनीता को वैवाहिक जीवन की संतुष्टि के लिए स्कूटी देने की बात प्रदर्श डी–7 व डी–8 में अंकित नहीं है। यह बात कि रूपये की मांग पूरी नहीं होने के कारण संजय नवनीता को ब्रजविहार कॉलोनी में पांच महीने के लिए अकेला छोड़कर चला गया था। इस दौरान नवनीता का खर्चा उसके पिताजी उठाते थे, प्रदर्श डी–7 व डी–8 में अंकित नहीं है। यह बात सही है कि उसने मारपीट की घटनाओं की कोई दिनांक, महीना या वर्ष नहीं बताया है।

27. इस प्रकार उक्त गवाह, जो की मृतका का भाई है ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा मृतका से पांच लाख रुपये की दहेज के संबंध में मांग करना, उसको लेकर मारपीट करना, नसबंदी के ऑपरेशन के लिए रूपयों की मांग करना, मृतका की हत्या करना व आत्महत्या का रूप देने के लिए उसकी ही साड़ी से उसे सीढ़ी की रेलिंग से लटकाना, वहां कोई टेबल कुर्सी नहीं होना, उसके मर्ग बयान प्रदर्श डी. 7 में अंकित नहीं होना स्वीकार किया है। अवैध संबंधों की बात, स्कूटी देने की बात, संजय का पांच महीने घर छोड़कर जाना, उस दौरान नवनीता का खर्चा पिता द्वारा उठाने की बात अपने पुलिस बयान व मर्ग बयान में अंकित नहीं होना स्वीकार किया है। इस प्रकार उक्त कथन जो गवाह ने अपने पुलिस बयान व मर्ग बयान में नहीं किए हैं, वे बढ़ा चढ़ाकर कर किए जाने से तात्विक अभिवृद्धि की श्रेणी में आते हैं तथा गवाह के कथनों की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह ने अपनी बहन व संजय के संतान उत्पत्ति संबंधी टेस्ट व ट्रीटमेंट के कोई दस्तावेज पेश करने से इनकार किया है। मारपीट की घटनाओं की कोई तारीख, दिन, महीना, वर्ष बताने से इनकार किया है। संजय, नवनीता को अकेला छोड़कर चला गया हो, 5 माह के लिए और इस दौरान उसके पिता ने खर्च उठाया हो, यह बात भी उसके पुलिस बयान व मर्ग बयान में दर्ज नहीं की गई है। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य में आए विरोधाभास, तात्विक अभिवृद्धि के फलस्वरूप मृतका की मृत्यु से पूर्व अभियुक्त द्वारा उसके साथ दहेज को लेकर मारपीट की गई हो व तत्पश्चात उसकी हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए साड़ी से सीढ़ी की रेलिंग पर लटका दिया हो, इस तथ्य की गवाह की साक्ष्य से पुष्टि नहीं हुई है ना ही गवाह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है।

28. गवाह पी.ड. 6 ने अपनी साक्ष्य में मृतका के भाई नवीन द्वारा अभियुक्त व उसके जीजा रामेश्वर लाल द्वारा नवनीता को मारने और उसके बाद फांसी पर लटकाए जाने की वीडियो क्रिपिंग मृतका के भाई द्वारा उसे भेजने पर उसे देखकर नवनीता की हत्या के बारे में राय बनाना बताया है परंतु गवाह पी.ड. 25 नवीन,

जो कि मृतका का भाई है, ने अपनी साक्ष्य में ऐसी कोई वीडियो क्लिपिंग के बारे में कोई कथन नहीं किया है, जिससे भी गवाह पी.ड. 6 चंदन वर्मा के उक्त कथनों की ताईद गवाह पी.ड. 25 के बयानो से नहीं होती है। इसके अतिरिक्त ना ही ऐसी कोई वीडियो क्लिप साक्ष्य में पेश कर प्रदर्शित करवाई गई है। प्रकरण में परिवादी व मृतका के परिवारजनों का मृतक्का की हत्या कर उसे फांसी पर लटकाए जाने का कथन अपनी साक्ष्य में किया है। अतः ऐसी स्थिति में मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो की चिकित्सीय दस्तावेज है अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा इस संबंध में जो चिकित्सकीय गवाहान परीक्षित करवाए गए हैं उनकी साक्ष्य भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में गवाह पी.ड. 4 डॉ. के.के. तनवानी, गवाह पी.ड. 20 डॉ. पूनम अग्रवाल एवं गवाह पी.ड. 27 डॉ. के.आर. टेवानी को परीक्षित करवाया गया है। उक्त तीनों ही गवाहान ने अपनी साक्ष्य में मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किए जाने का कथन किया है तथा पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के शरीर पर कोई भी चोट पाए जाने से इनकार किया है तथा मृत्यु का कारण एंटी मॉर्टम हैंगिंग होना बताया है, जो मृत्यु पूर्व हैंगिंग है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका गला घोटा गया हो ऐसी कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है। मृतका के गर्दन पर केवल एक लिगेचर मार्क पाया गया है, जो तिरछा है तथा उक्त लिगेचर मार्क के नीचे जो रक्त वाहिनी पाई गई है, उनमें किसी प्रकार से खून जमा हो अर्थात स्ट्रैंगुलेशन स्ट्रैगुलेशन का कोई निशान हो, यह तथ्य प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार उक्त चिकित्सीय दस्तावेज से भी मृतका के साथ मृत्यु पूर्व कोई मारपीट की गई हो या उसका गला घोट कर उसे फांसी पर लटकाया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य प्रकट नहीं हुई है। अतः चिकित्सकीय रिपोर्ट से गवाहान के कथनों की पुष्टि नहीं हुई है।

29. इस प्रकार से उक्त गवाहान, जो मृतका के माता–पिता, भाई व अन्य परिवारजन है, ने अपनी साक्ष्य में जो कथन किए हैं, उनमें किसी भी गवाह ने अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ उनके समक्ष मारपीट की गई हो या उसकी हत्या की गई हो, ऐसा कोई कथन नहीं किया है। गवाह पी.ड. 5 रतन सिंह, गवाह पी.ड. 7 जयमाला सिसोदिया एवं पी.ड. 25 नवीन सिसोदिया ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त द्वारा मृतका से दहेज में पांच लाख रुपये की मांग किए जाने तथा दहेज में रुपए नहीं देने के लिए मारपीट करने, अभियुक्त द्वारा नसबंदी करवाने से नसबंदी खुलवाने के लिए पांच लाख रुपये की मांग करने के आधार पर उसे प्रताड़ित किए जाने का कथन किया है, परंतु उक्त कथन गवाहान ने अपने मर्ग बयान में नहीं किए हैं, ना ही परिवादी रतन सिंह ने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी. 5 में किया है ना ही दहेज में पांच लाख रुपये की मांग करने, नहीं देने पर मारपीट करने बाबत कोई कथन

किसी गवाह ने अपने पुलिस बयानों में किए हैं। मांग कब की गई, कहां की गई, ऐसा कोई विशिष्ट कथन भी नहीं किया है, जिससे उक्त कथन तात्विक अभिवृद्धि की श्रेणी में आते हैं। न्यायालय में प्रथम बार किए गए कथन गवाहान के कथनों की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। घटना दिवस पर मृतका की मृत्यु से पूर्व मृतका या उसके माता–पिता, भाई–बहन से किसी प्रकार की दहेज की कोई मांग की गई हो और उसको लेकर मारपीट की गई हो, ऐसा कोई कथन किसी भी गवाह ने नहीं किया है। मृतका ने मृत्यु से पूर्व अपने माता–पिता, भाई–बहन को उसके साथ अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग को लेकर मारपीट किए जाने के संबंध में कोई बात बताई हो, फोन किया हो, ऐसा कोई कथन भी किसी भी गवाहान ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। अभियुक्त के द्वारा दहेज की मांग कब, किस समय, किस स्थान पर की गई, इस संबंध में भी कोई विशिष्ट कथन किसी भी गवाह ने नहीं किया है। सभी गवाहान ने मृतका की शादी अभियुक्त के साथ आर्य समाज में होना बताया है। परिवादी ने स्वयं अपनी साक्ष्य में अपनी पुत्री की सहेली द्वारा मृतका और संजय द्वारा बोरावड में बी.एड के दौरान वर्ष 2010 में आर्य समाज में शादी करने की बात बताए जाने का कथन किया है, जो प्रदर्श डी. 1 में लिखवाया जाना भी स्वीकार किया है। अतः ऐसी स्थिति में मृतका के द्वारा अभियुक्त के साथ शादी की गई वह आर्य समाज में होना बताई गई है, जो किसी दबाव में की गई हो ऐसा कोई कथन किसी भी गवाह ने नहीं किया है। गवाह पी.ड. 9 अरूणा टांक ने मैरिज का रिसेप्शन देने की बात कहीं है। अतः दिनांक 08.02.2012 को मृतका के अभियुक्त के साथ पुनः विवाह हुआ हो, यह तथ्य संदेहास्पद है, जबकि आर्य समाज में शादी करना परिवादी ने स्वीकार किया है। अभियुकत ने विवाह प्रमाण पत्र भी पेश किया है, जिसमें विवाह आर्य समाज में वर्ष 2010 में हुआ है। अभियोजन ने विवाह के फोटोग्राफ पेश किए हैं, परंतु फोटोग्राफ के साथ धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम प्रमाण पत्र नहीं है। दौराने साक्ष्य उक्त आपत्ति ली गई है, निर्णय के समय निस्तारण के आदेश है। यद्यपि उक्त फोटाग्राफ्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, प्रमाण पत्र के अभाव में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, परंतु क्षण भर के लिए मान भी लिया जावे तो ऐसी कोई फोटोग्राफ नहीं है, जो सप्तपदी की हो। अभियुक्त ने भी दिनांक 08.02.2012 को रिसेप्शन होना बताया है। अतः पुनः दिनांक 08.02.2012 को विवाह का तथ्य संदेहास्पद है। अतः उक्त गवाहान की साक्ष्य से मृतका की अभियुक्त द्वारा हत्या की गई हो, ऐसा कोई तथ्य व परिस्थिति उक्त गवाहान की साक्ष्य से प्रकट नहीं हुई है।

30. जहां तक गवाह पी.ड. 6 चंदन वर्मा ने मृतका, जो उसकी मौसी की लड़की है, ने अपनी साक्ष्य में मृतका के भाई नवीन द्वारा उसे एक वीडियो क्लिपिंग भेजी

थी, जिसमें मृतका की हत्या करना देखें जाने पर उसके मारे जाने की राय बनाए जाने का कथन किया है, परंतु ऐसी कोई वीडियो क्लिपिंग या मोबाइल उसके द्वारा पुलिस को नहीं सौंपा गया है गवाह ने यह स्वीकार किया है ना ही दौराने अनुसंधान, अनुसंधान अधिकारी ने ऐसा कोई मोबाइल व वीडियो क्लिप मृतका के भाई या उक्त गवाह से बरामद किया है न ही साक्ष्य में पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है ना ही मृतका के भाई नवीन ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से अभियुक्त का मृतका की मृत्यु कारित करने के आशय से उसकी हत्या कर उसे फांसी पर लटकाने के संबंध में तथ्य प्रकट नहीं हुए हैं।

31. इसके अतिरिक्त मृतका के शव का जो पंचनामा प्रदर्श पी. 7 बनाया गया है उसके संबंध में गवाहान पी.ड. 10 सुनील कुमार ने उक्त पंचनामा उसके समक्ष उपखंड अधिकारी द्वारा बनाया जाना, जिस पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होना बताया है तथा मृतका नवनीता के पिता, भाई व परिजन का वहां पर मौजूद होना, उनके द्वारा नवनीता को दहेज इत्यादि के लिए तंग परेशान करने की बात नहीं बताए जाने का भी कथन किया है। इसलिए प्रदर्श पी. 7 में उक्त बात का अंकन नहीं होना बताया है।

32. अन्य **गवाह पी.ड. 12 हनुमान जांगिड़** ने अपनी साक्ष्य में पंचनामा प्रदर्श पी. 7 बनाना तब उसका गला कटा हुआ होना, उसके पूरे शरीर पर नील के निशान होना, मारपीट के निशान होना बताया है, परंतु जिरह में यह स्वीकार किया है कि पंचनामा प्रदर्श पी. 7 में उसके गला काटा होना व मारपीट के निशान होने वाली बात उल्लेखित नहीं है। पोस्टमार्टम स्टेनिंग क्या होती है, वह नहीं जानता। इस प्रकार उक्त गवाह ने मृतका का पंचनामा प्रदर्श पी. 7 एसडीएम द्वारा उसके समक्ष बनाए जाना बताया है। पंचनामा में गला कटा हुआ होना, पूरे शरीर पर नील के निशान मारपीट के निशान होना बताएं है, परंतु ऐसा कोई उल्लेख कि गला कटा हुआ हो, मारपीट के निशान हो, पंचनामा में अंकित नहीं है।

33. अन्य **गवाह पी.ड. 15 आशीष कुमार** ने नवनीता की लाश का पंचनामा उपखंड अधिकारी द्वारा उसके समक्ष बनाया जाना, उसके द्वारा लाश को देखना लाश पर पीठ, गर्दन, पेट, दाहिने गाल पर चोट के निशान होना, गर्दन पर ब्लड का निशान होना, गर्दन तार से कटी होना बताया है तथा यह भी कथन किया है कि उसे पूरा यकीन था कि नवनीता का मर्डर हुआ है। जिरह में गवाह ने प्रदर्श पी. 7 में राय पंचान क से ख में नवनीता का मर्डर हुआ यह बात लिखी हुई नहीं होना स्वीकार किया है। प्रदर्श पी. 7 के ग से घ में चोट के निशान नहीं होना लिखा जाना बताया है। अजखुद कहा नीलगू निशान होना लिखा है। गवाह ने पोस्टमार्टम लिवीडिटी क्या

होती है, नहीं समझना, जिन्हें वह नीलगू निशान होना कह रहा है, पोस्टमार्टम लिवीडिटी हो तो नहीं समझना बताया है। इस प्रकार गवाह ने जो मृतका के शरीर पर चोट के निशान व गर्दन कटी होने का कथन किया है वह प्रदर्श पी. 7 में अंकित नहीं है। अन्य गाव **पी.ड. 16 राजेंद्र सिंह** ने भी अपनी साक्ष्य में पी.ड. 15 आशीष कुमार के अनुरूप ही कथन किए हैं।

34. अन्य गवाह **पी.ड. 17 आलोक** ने अपनी साक्ष्य में नवनीता की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी–7 उपखण्ड अधिकारी द्वारा उनके समक्ष बनाया जाना, बाद पोस्टमार्टम लाश जरिए फर्द प्रदर्श पी. 8 परिजनों को सौंपा जाना, लाश के गले में कट का निशान था, जैसे किसी ने तार खींच कर मारा हो तथा शरीर के अन्य भागों पर भी नील के और चोट के निशान होना बताया है, परंतु जिरह में गवाह ने गले में कट का निशान होना, जैसे किसी ने तार खींचकर मारा हो, उल्लेखित नहीं होना स्वीकार किया है। गवाह ने पोस्टमार्टम स्टेनिंग के बारे में जानने से इनकार किया है।

35. जहां तक गवाह पी.ड. 12 हनुमान जांगिड़, पी.ड. 15 आशीष कुमार, पी.ड. 16 राजेन्द्र सिंह राठौड़ व पी.ड. 17 आलोक ने मृतका के गले में कट होना बताया है, इस संबंध में मृतका की फोटोग्राफ में गले पर कट का निशान है तो इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक से राय ली गई जिन्होंने दिनांक 16.05.2017 को अपनी स्पष्ट राय दी है कि मृतका के फोटोग्राफ 3, जो राय के लिए प्रस्तुत किए गए में फोटो में दर्शित घाव मय स्टिच के दिखाई दे रहे हैं, ये पोस्टमार्टम के वक्त गले पर फंदे के निशान के नीचे के भाग को ओपन करके उसकी वस्तु स्थिति जानने के लिये लगाया गया निशान है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा जो फोटोग्राफ प्रदर्श पी 6 प्रस्तुत की गई है, जिसमें मृतका के गले पर जो निशान घाव का बताया गया है वह घाव का होना दर्शित है वह चिकित्सीय राय के अनुसार पोस्टमार्टम के वक्त लिगेचर मार्क को ओपन करने का निशान है। मृतका की मृत्यु का कारण उसका एंटी मॉर्टम हैंगिंग रहा है। उसके गले पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई चोट नहीं पाई गई है। इस प्रकार से चिकित्सीय गवाहान की साक्ष्य से भी मृतका की शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं पाया गया है। मृतका की मृत्यु का कारण उसकी मृत्यु पूर्व फांसी होना अंकित किया गया है, जिसे भी अभियोजन गवाहान के द्वारा किए गए कथन कि मृतका की अभियुक्त द्वारा मारपीट कर हत्या करके उसे फांसी पर लटकाया गया हो, के कथनों की पुष्टि नहीं होती है।

36. अन्य **गवाह पी.ड. 29 डॉ. अशोक कुमार** ने अपने मुख्य परीक्षण में मृतका की दर्ज मर्ग में स्वयं द्वारा जांच करना, गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लिए जाना, मृतका का पंचनामा प्रदर्श पी. 7 बनाया जाना, मृतका के दाह संस्कार हेतु उसके परिजनों को लाश जरिए फर्द प्रदर्श पी 8 सुपुर्द करना तथा मृतका का

पोस्टमार्टम उसके प्रतिवेदन पर करवाया जाना, जो प्रदर्श पी. 27 होना बताया है। जिरह में गवाह ने स्वीकार यह सही है कि रतनसिंह, जयबाला एवं नवीन के बयानों में उनके द्वारा मृतका से दहेज की मांग या धन राशि की मांग किये जाने का कथन नहीं किया गया था। गवाह ने अपनी जिरह में रतनसिंह, जयबाला एवं नवीन सिसोदिया के बयान उनके द्वारा जैसे बताए गए वैसे ही लेखबद्ध किया जाना बताया है। इस प्रकार उक्त गवाह ने साक्ष्य में पंचनामा गवाहान की उपस्थिति में तैयार किए जाने का कथन किया है। पंचनामा में मृतका के शरीर पर चोट का निशान या गले में कट का निशान होना अंकित नहीं है ना ही किसी मर्म भाग जैसे सिर में कोई चोट के निशान है। मृतका के छाती व पेट पर भी जाहिरा चोट के निशान नहीं है व जगह–जगह नीलगू निशान होना अंकित है। दोनों हाथों के अंगूठे मुट्ठी में बंधे है व नीलगूनमा निशान है। दोनों पैरों में नीलगू निशान है। पीठ पर नीलगूनमा निशान है, परंतु उक्त निशान किसी चोट के कारण आए हो ऐसा कोई अंकन नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त पंचनामा घटना के अगले दिन दिनांक 02.03.2017 को 10.00 ए.एम. पर बनाया गया है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो उक्त पंचनामा के पश्चात् की है, उसमें मृतका के शरीर पर कोई नीलगू निशान चोट के कारण पाए गए हो ऐसा कोई अंकन नहीं है। चिकित्सकीय गवाह ने पोस्टमार्टम लिविडिटी में शरीर के डिपेंडेंट पार्ट में रक्त एकत्रित होना पोस्टमार्टम लिविडिटी जब शरीर पर दृश्यमान होती है, तब नीलापन लिए हुए नीलगू जैसा होना, जो रक्त में ऑक्सीजन नहीं होने के कारण बताया है तथा मृतका के शरीर पर पोस्टमार्टम लिविडिटी पाया जाना स्वीकार किया है। अतः ऐसी स्थिति में मृतका के पोस्टमार्टम में उसके शरीर पर चोटों के फलस्वरुप कोई नीलगू निशान पाए गए हो यह तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाने से नीलापन लिए हुए नीलगू जैसे निशान पोस्टमार्टम लिविडिटी में पाए जाते हैं, ये कथन चिकित्सकीय गवाह ने किए हैं। अतः पंचनामा में जो नीलगू निशान अंकित किए गए हैं, वह चोटों के फलस्वरुप नीलगू निशान आए हो यह तथ्य चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा मृतका की मारपीट कर मृत्यु कारित किया जाकर उसे फांसी पर लटकाया हो, इसकी पुष्टि चिकित्सकीय रिपोर्ट से नहीं होती है।

37. इसके अतिरिक्त मृतका का सुसाइड नोट प्रदर्श पी 20 भी अभियोजन द्वारा साक्ष्य में पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है, जो गवाह पी.ड. 24 अजीत सिंह ने लाश के पास मिलना व अनुसंधान अधिकारी को देना जरिए फर्द प्रदर्श पी. 1 जब्त करना बताया है व मौके पर मिली साड़ी जिससे फंदा लगाया प्रदर्श पी. 2 होना बताया। गवाह पी.ड. 1 सुखदेव व पी.ड. 3 हरिनारायण ने जब्ती की ताईद की है। उक्त सुसाइड नोट को एफएसएल जांच हेतु प्रेषित किया गया है जिसकी रिपोर्ट

पत्रावली प्रदर्श पी 22 पत्रावली पर मौजूद है, जिसमें भी उक्त सुसाइड नोट में अंकित हस्तलेख मृतका के स्वीकृत हस्तलेख से समान पाए गए हैं। परिवादी ने सुसाइड नोट फर्जी होना बताया, परंतु उक्त सुसाइड नोट का स्वीकृत दस्तावेज रजिस्टर आर्टिकल 1 लगायत 3 जो स्वयं परिवादी ने पेश किए थे, से मिलान एफएसएल में हुआ है। मृतका की लाश के पास मिलने पर अनुसंधान अधिकारी ने अजीत सिंह द्वारा पेश होने पर जब्त करना बताया है व गवाह अजीत सिंह के कथनों की ताईद की है। उक्त दस्तावेज का खंडन नहीं हुआ है। स्वयं अभियोजन ने उक्त दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया है। उक्त सुसाइड नोट प्रदर्श पी. 20 में मृतका ने अभियुक्त से बहुत ही प्यार करना अंकित किया है। अभियुक्त ने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया हो, दहेज के लिए मांग की हो और उसके फलस्वरुप उसके साथ मारपीट की हो, ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है, बल्कि बच्चा नहीं होने के कारण स्वयं को अकेलापन महसूस होना, छोटी–छोटी बातों पर झगड़ा करना अंकित किया है तथा अपने से हुई गलती के लिए माफी मांगे जाने का भी अंकन किया है। उक्त सुसाइड नोट से भी मृतका का अभियुक्त के द्वारा दहेज की मांग को लेकर मारपीट की जाती हो, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता हो या शराब पीकर मारपीट की जाती हो, यह तथ्य प्रकट नहीं होता है।

38. इसके अतिरिक्त प्रकरण में अभियोजन द्वारा अन्य स्वतंत्र गवाहान भी परीक्षित करवाए गए हैं, जिनमें गवाह **पी.ड. 22 जगदीश** अहम गवाह है। उक्त गवाह जिस स्थान पर मृतका व अभियुक्त निवास करते थे उस गोपाल विला का चौकीदार है। उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त का एक फ्लैट में रहना बताया है तथा संजय व उसकी पत्नी को लड़ाई झगड़ा करते देखें व सुने जाने से इनकार किया है। गवाह ने दिनांक 01.03.2017 घटना दिनांक को ड्यूटी पर ही होना बताया है। गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी. 6 का ए से बी भाग दिए जाने से इनकार किया है। पुलिस ने क्यों लिखा, उसे जानकारी नहीं होना बताया है। इस प्रकार उक्त गवाह ने भी अपनी साक्ष्य में मृतका व उसके पति के मध्य कोई लड़ाई झगड़ा होने से इनकार किया है।

39. इसके अतिरिक्त **गवाह पी.ड. 13 गोपाल** ने अपनी साक्ष्य में अपने व सूरजमल के सामने मृतका नवनीता का घरेलू सामान जरिए फर्द प्रदर्श पी. 10 जब्त होना बताया है। जिरह में गवाह ने नवनीता द्वारा संजय से आर्य समाज में लव मैरिज करना, जो वर्ष 2010 में करना, उस समय नवनीता बोरावड से बी.एड. कर रही थी, तब किया जाना, वर्ष 2010 में शादी के पश्चात् नवनीता व संजय ने पति पत्नी के रूप में किशनगढ में रहना शुरू किया था, कथन किया है।

40. अन्य **गवाह पी.ड. 14 सूरजमल,** जो फर्द प्रदर्श पी. 10 का गवाह है, ने

अपनी जिरह में संजय को वर्ष 2005 से जानना, संजय का किशनगढ़ में मार्बल का काम करना, नवनीता व संजय का आर्य समाज में 2010 में शादी करना व दोनों का राजीखुशी रहना बताया है। इस प्रकार दोनों गवाहान ने अपनी साक्ष्य में मृतका व संजय का राजीखुशी रहने का ही कथन किया है, जो की स्वयं अभियोजन के ही गवाहान है। इस प्रकार गवाह पी.ड. 22 जगदीश, पी.ड. 13 गोपाल एवं पी.ड. 14 सूरजमल की साक्ष्य से भी अभियुक्त का मृतका के साथ मारपीट कर हत्या कारित करने का तथ्य प्रकट नहीं हुआ है।

41. इसके अतिरिक्त अनुसंधान अधिकारी **पी.ड. 28 मोटाराम** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 02.03.2017 को वह उपअधीक्षक किशनगढ के पद पर तैनात था। उस दिन थाना गांधीनगर की एफआईआर नंबर 45/17 धारा 498 ए, 304 बी आईपीसी की पत्रावली उसे अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान उसने फर्द निरीक्षण नक्शामौका घटनास्थल गवाहान हनुमान जांगिड व नवीन सिसोदिया की उपस्थिति में बनाया, जो प्रदर्श पी–6 है। जिस पर ए–बी, सी–डी, ई–एफ गवाहान के, जी–एच उसके हस्ताक्षर है। जिसकी पुश्त पर आई–जे हालात मौका अंकित है जिस पर जी–एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द जप्ती एक साडी जिससे मृतका ने फांसी का फंदा लगाया था, वो जरिये प्रदर्श पी–2 जप्त की थी। जिस पर ए–बी, सी–डी, ई–एफ गवाहान के हस्ताक्षर है व जी–एच उसके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। उसे पूर्व अनुसंधान अधिकारी अजीत सिंह ने एक सुसाइड नोट प्रस्तुत किया था, जिसे उसने जरिये फर्द प्रदर्श पी–1 जप्त कर गवाहान सुखदेव व हरिनारायण के व अजीत सिंह के हस्ताक्षर ए–बी, सी–डी, ई–एफ करवाये थे, जिस पर जी–एच उसके हस्ताक्षर है। उक्त सुसाइड नोट प्रदर्श पी–20 है। जिस पर ए–बी अजीत सिंह व सी–डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान उसने गवाहान रतनसिंह, श्रीमती जयमाला, नवीन कुमार, श्रीमती चंदन वर्मा, श्रीमती अरुणा, श्रीमती सुनिता उर्फ संगीता, सुलोचना, श्री जगदीश, हरेंद्र, फतेह सिंह, अमित सिंह के बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। <u>दौराने अनुसंधान फोटोग्राफर अमित सिंह के द्वारा खींचे गये मृतका के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी–13 लगायत पी–17 है,</u> जो शामिल पत्रावली है। अनुसंधान में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर उसने आरोपी संजय कुमार उर्फ सन्नु को जरिये फर्द प्रदर्श पी–8 के गिरफ्तार कर जामा तलाशी लिवाई गई थी। जिस पर ए–बी, सी–डी, जी–एच गवाहान के, ई–एफ मुलजिम के व आई–जे उसके हस्ताक्षर है। पुलिस थाना गांधीनगर पर मृतका का स्त्रीधन गवाहान गोपाल व सूरजमल की मौजूदगी में आरोपी संजय के जीजा महेश द्वारा लाकर पेश किया गया था, जिस जरिये प्रदर्श पी–10 जप्त किया गया। प्रदर्श पी–

10 पर ई–एफ, जी–एच, आई–जे गवाहान के, के–एल उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान प्रकरण की मर्ग सं. 04/2017 धारा 176 सीआरपीसी में पुलिस थाना गांधीनगर पर दर्ज हुई थी, जिसका अनुसंधान उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढ द्वारा किया जा रहा था, जो प्रदर्श पी–21 है, जिस पर ए–बी उसके हस्ताक्षर है, जिस पर शामिल पत्रावली का नोट अंकित कर शामिल पत्रावली किया गया था। उक्त पत्र के साथ मर्ग की मूल पत्रावली भी प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 उसे प्राप्त हुई थी, जिसे उसने शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन कर पत्रावली का हिस्सा बनाया था। उसका पृष्ठांकन के–एल है। वाय स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा प्रकरण में मृतका के पिता द्वारा प्रस्तुत अविवादित हस्तलेख की तीन कॉपियां प्रस्तुत किये जाने पर जरिये प्रदर्श पी–9 जप्त की थी। जिस पर ए–बी, सी–डी, ई–एफ गवाहान के व जी–एच उसके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। उसके द्वारा प्रकरण का सुसाइड नोट व जरिये प्रदर्श पी–9 जप्त हस्तलेख तीन कॉपियां मिलान हेतु हस्तलेख विशेषज्ञ को जरिये पुलिस अधीक्षक अजमेर भेजे गये थे। पुलिस अधीक्षक अजमेर का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–11 है। उक्त दस्तावेजों को हरेंद्र कुमार द्वारा एफएसएल में जमा करवाया जाकर पावती रसीद उसके समक्ष प्रस्तुत की थी, जो प्रदर्श पी–12 है, जिस पर शामिल पत्रावली किये जाने का पृष्ठांकन है और ए–बी उसके हस्ताक्षर है। हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्रदर्श पी–22 है। प्रकरण में मृतका के पिता ने एक सूची स्त्रीधन की प्रस्तुत की थी, जो प्रदर्श पी–23 है, जिस पर ए–बी उसके व सी–डी श्रवण सिंह के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–24 है, जो उसे अनुसंधान पत्रावली के साथ प्राप्त हुई। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 है, जिस पर अभियोग सं. 45/2017 धारा 498ए, 304बी आईपीसी में दर्ज किया गया है, जिस पर इंचार्ज थाना विश्राम एएसआई के आई–जे हस्ताक्षर है। के–एल मांगीलाल जी के हस्ताक्षर है। जी से एच भाग में कार्यवाही पुलिस अंकित है। उसने मालखाना रजिस्टर की प्रति शामिल पत्रावली की थी, जो प्रदर्श पी 25 है। जिसे उसके द्वारा शामील पत्रावली किया गया। दौराने अनुसंधान मृतका नवनीता का विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र उसे जरिये डाक प्राप्त हुआ था, दिनांक 02.05.2017 को आरोपी के अधिवक्ता श्री गजवीर सिंह द्वारा भेजा गया था, जो प्रदर्श डी–2 है। उसके द्वारा प्रदर्श पी–26 पत्र को मार्क करके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अजमेर को भिजवाया गया। दौराने अनुसंधान उसने आरोपी संजय उर्फ सन्नु के विरुद्ध धारा 304बी, 498ए आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया था। अग्रिम अनुसंधान हेतु पत्रावली आईजी के निर्देशानुसार एडिशनल एसपी अजमेर को प्रेषित की गई थी। **अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने

कथन किया है कि प्रदर्श पी–26 पत्र के जरिये जो विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र नवनीता व संजय का उसने एएसपी शहर अजमेर को प्रेषित किया था, उसने उसे अग्रेषित किया था। यह सही है कि पत्रावली पर मौजूद प्रदर्श डी–2 विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में विवाह की तारीख 18.02.2010 अंकित है तथा रजिस्ट्रेशन की तारीख 03.03.2010 अंकित है। यह बात सही है कि 176 सीआरपीसी में दर्ज मर्ग सं. 04/2017 थाना गांधीनगर की पत्रावली जिसकी जांच उपखण्ड अधिकारी किशनगढ कर रहे थे, उसने उस जांच के दस्तावेजों का अवलोकन किया था। यह बात सही है कि उसने थानाधिकारी अजीत सिंह व मर्ग के जांच अधिकारी उपखंड अधिकारी के बयान 161 सीआरपीसी में लेखबद्ध नहीं किये थे। यह सही है कि दौराने अनुसंधान मृतका के पिता रतनसिंह ने अपने बयानों में यह बताया था कि संजय व नवनीता ने आर्य समाज में शादी कर ली थी और इसकी सूचना परिजनों को नहीं दी थी, उन्हें वर्ष 2012 में पता चलने पर उन्होंने उत्सव पैलेस में आयोजन रखा था। यह सही है कि दौराने अनुसंधान मृतका के भाई नवीन ने अपने 161 के बयानों में यह तथ्य बताया था कि उसके पास संजय का फोन 01.03.2017 को लगभग 05.44 बजे आया था और संजय ने बताया था कि नवनीता गणगौर के उजरणा में आने की जिद कर रही है, वह उसे नहीं भेजेंगा, इस बात पर दोनों में झगडा हो रहा था और संजय ने उसे यह कहा था कि वह जिम जा रहा है। अनुसंधान के दौरान मृतका के भाई नवीन ने यह भी बताया था कि इन दोनों के मध्य आये दिन झगडा होता था और वापस राजी हो जाते थे और इसलिए उन्होंने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। यह बात सही है कि मर्ग सं. 04/2017 धारा 176 सीआरपीसी का जांच नतीजा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। वह यह नहीं बता सकता कि 176 सीआरपीसी की कार्यवाही के दौरान मृतका के परिजन, माता–पिता, भाई वगैरह ने अपने बयानों में नवनीता से कोई दहेज की मांग या रुपयों की कोई मांग किये जाने का कथन किया हो तो वह रिकॉर्ड देखकर बता सकता है। गवाह ने पत्रावली पर मृतका के पिता, माता व भाई नवीन के उपखण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा लिये गये बयानों को देखकर कहा कि उन बयानों में आरोपी द्वारा मृतका से कोई दहेज की मांग व रुपये की मांग किये जाने का आरोप नहीं है, परंतु मारपीट करने का आरोप है। यह सही है कि अनुसंधान के दौरान नवीन ने यह बताया था कि जब उन्हें रामेश्वर द्वारा मृतका के घर का गेट अंदर से बंद करने की इतला दी तो नवीन के पिता रतनसिंह ने उसे कहा कि दोनों हमेशा इसी तरह से लड़ते रहते हैं थोडी देर में गेट खोल देगी। उसने दौराने अनुसंधान सुसाइड नोट प्रदर्श पी–20 का अवलोकन किया था। प्रदर्श पी–20 में मृतका से दहेज की मांग किये जाने व रुपयों

की मांग किये जाने का उल्लेख नहीं है। प्रदर्श पी–20 में मृतका द्वारा उसके बच्चे नहीं होने से अकेलापन महसूस करने के तथ्य का उल्लेख किया है। उसने दौराने अनुसंधान आरोपी संजय के नसबंदी का कोई ऑपरेशन हो रखा है या नहीं, यह जानने के लिए उसका परीक्षण डॉक्टर से नहीं कराया। यह सही है कि अनुसंधान के दौरान कॉलोनी के चैकीदार जगदीश ने अपने बयानों में संजय को हमेशा घर से निकलते समय मुहं पर कपडा बांधकर या हेलमेट लगाकर निकलते हुये ही बताया है। यह सही है कि प्रदर्श पी–6 नजरी नक्शामौका बनाया उस समय मृतका का शव घटनास्थल पर नहीं था। आज उसे याद नहीं है कि मृतका नवनीता के साथ बोरावड में बीएड करते समय शादी करने बाबत् उसकी सहेली का कोई बयान लेखबद्ध किया या नहीं किया। प्रदर्श पी–13 लगायत पी–17 फोटोग्राफ्स खींचने वाले फोटोग्राफर से 65 बी का प्रमाण–पत्र नहीं लिया, अजखुद कहा कि उसने उस फोटोग्राफर के 161 सीआरपीसी में बयान लेखबद्ध किये हैं। उसने अपने अनुसंधान में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी का आरोप नहीं पाया।

42. **उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 15.06.2023 को साक्ष्य में यह कथन किया है कि** एक बडा लिफाफा जो प्रदर्श पी–28 है जिस पर ए–बी भाग में मुकदमे का विवरण है, सी–डी भाग में दस्तावेज व एफएसएल क्रमांक अंकित है, एक्स स्थान पर शामिल पत्रावली की सील अंकित है। उपरोक्त बंद लिफाफे को खोलने पर एक लिफाफा और निकला जो शील्डशुदा अवस्था में है जो प्रदर्श पी–29 है, जिसमें ए–बी भाग में प्रकरण का विवरण अंकित है। उपरोक्त लिफाफे को खोलने पर उसके अंदर से बंधी हुई तीन डायरियां निकली, जिन पर नवरंग लोंग एक्सरसाईज बुक लिखा हुआ है, जो आर्टिकल–1 लगायत 3 है। उक्त तीनों डायरियां उसने जरिये फर्द प्रदर्श पी–9 के मृतका के पिता रतनसिंह के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर जप्त कर एफएसएल हेतु भेजी थी। एक बंद लिफाफा जो प्रदर्श पी–30 है, जिस पर ए–बी भाग में न्यायालय का नाम, फोटोग्राफ्स व सीसीटीवी फुटेज अंकित है। उक्त लिफाफे को खोलने पर उसमें से एक पीले रंग का बंद लिफाफा और निकला जो प्रदर्श पी–31 है, जिस पर ए–बी भाग में प्रकरण का विवरण अंकित है। उक्त लिफाफे को खोलने पर उसमें से एक सफेद रंग का बंद लिफाफा और निकला जो प्रदर्श पी–32 है, जिस पर ए–बी भाग में लाल पैन से प्रकरण का विवरण अंकित है व फोटोग्राफ्स लिखा हुआ है। उसके द्वारा फोटोग्राफर से फोटोग्राफ्स घटनास्थल से खींचवाये गये थे। उपरोक्त लिफाफे को खोलने पर उसमें से 19 फोटोग्राफ्स निकले।

43. नोटः– उक्त फोटोग्राफ्स को प्रदर्शित करवाये जाने पर अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा आपत्ति जाहिर की गई कि यह दस्तावेज डिजिटल कैमरे से खींचे गये है,

कैमरे का मूल मेमोरी कार्ड, नेगेटिव तथा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र फोटो खींचने वाले व्यक्ति द्वारा नहीं पेश किया है तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा फोटोग्राफ्स एवं लिफाफा प्रदर्श पी–32 पर शामिल पत्रावली किये जाने का अंकन नहीं है। ऐसे में इन दस्तावेजों पर प्रदर्श नहीं लगाया जाये।

44. दौराने साक्ष्य अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई उक्त आपत्ति रिजर्व गई तथा उक्त फोटोग्राफ्स पर आपत्ति रिजर्व रखते हुये प्रदर्श अंकित किये जाने की अनुमति दी गई। उक्त आपत्ति का निस्तारण बरवक्त निर्णय किए जाने का आदेश दिया गया।

45. उक्त फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी–33 लगायत पी–51 है।

46. इसी तरह प्रदर्श पी–31 लिफाफे में से एक सफेद लिफाफा जो स्टेपल्स से फिक्स किया हुआ है तथा सफेद धागे से बांधा हुआ है, जो प्रदर्श पी–52 है, जिस पर ए–बी भाग में ''परिवादी द्वारा पेश सीसीटीवी फुटेज सीडी–3'' तथा प्रकरण का विवरण व उसके द्वारा शामिल पत्रावली करने का अंकन अंकित है। सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उपरोक्त लिफाफे को खोलने पर उसमें से तीन सीडी निकली।

47. नोटः– अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उपरोक्त तीनों सीडी के संबंध में धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने तथा उक्त सीडी की कोई प्रति अधिवक्ता अभियुक्त को उपलब्ध करवाने एवं फर्द जप्ती नहीं होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है इस कारण तीनों सीडी पर आर्टिकल डाले जाने बाबत् आपत्ति की गई।

48. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई आपत्ति रिजर्व रखी गई तथा उक्त तीनों सी डी पर आपत्ति रिजर्व रखते हुये आर्टिकल अंकित किये जाने की अनुमति दी गई है। उक्त आपत्ति का निस्तारण बरवक्त निर्णय किए जाने का आदेश दिया।

49. उक्त तीनों सी डी आर्टिकल–4, 5 व 6 है।, जिन पर ए–बी भाग में ब्लैक पैन से विवरण लिखा हुआ है।

50. प्रदर्श पी–32 में एक सफेद लिफाफा और निकला जिस पर ए–बी फोटोग्राफर की सील लगी है और सी–डी उसके द्वारा प्रकरण का विवरण लिखा हुआ है, जो प्रदर्श पी–53 है। प्रदर्श पी–31 लिफाफे में से 5 फोटोग्राफ्स निकले तथा एक सफेद लिफाफे में दहेज से संबंधित 2 फोटोग्राफ्स निकले व दो शादी के कार्ड निकले।

51. नोटः– उक्त फोटोग्राफ्स को प्रदर्शित करवाये जाने पर अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा आपत्ति जाहिर की गई कि यह दस्तावेज डिजिटल कैमरे से खींचे गये है, कैमरे का मूल मेमोरी कार्ड, नेगेटिव तथा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र

फोटो खींचने वाले व्यक्ति द्वारा नहीं पेश किया है तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा फोटोग्राफ्स एवं लिफाफा प्रदर्श पी–31 पर शामिल पत्रावली किये जाने का अंकन नहीं है। ऐसे में इन दस्तावेजों पर प्रदर्श नहीं लगाया जाये।

52. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई उक्त आपत्ति रिजर्व रखी गई है तथा उक्त फोटोग्राफ्स पर आपत्ति रिजर्व रखते हुये प्रदर्श अंकित किये जाने की अनुमति दी गई है। उक्त आपत्ति का निस्तारण बरवक्त निर्णय किए जाने का आदेश दिया है।

53. उक्त फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी–54 लगायत पी–58 है तथा इसी के साथ एक लिफाफा बंधा हुआ है जो प्रदर्श पी–59 है जिस पर ए–बी भाग में ''मृतका नवनीता के दहेज के सामान में बरामद/पेश जेवराज के फोटोग्राफ्स'' व प्रकरण का विवरण अंकित है। उक्त लिफाफे में से दो फोटोग्राफ्स निकले जो प्रदर्श पी–60 व पी–61 है। प्रदर्श पी–31 लिफाफे में से दो शादी के कार्ड निकले जो प्रदर्श पी–62 व पी–63 है।, जो दोनों अलग अलग रंग के है।, जिन पर ए–बी भाग में शामिल पत्रावली का उसके द्वारा किया गया पृष्ठांकन अंकित है।

54. **अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि** यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–52 लिफाफा जिसमें सीसीटीवी फुटेज व तीन सीडी शामिल मिसल किये जाने का पृष्ठांकन है उस पर कोई तारीख व कब शामिल मिसल की गई व कब प्रस्तुत की गई उसका उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–52 लिफाफे पर प्रस्तुतकर्ता अथवा परिवादी के हस्ताक्षर नहीं है। यह बात सही है कि उक्त तीनों सी डी आर्टिकल– 4, 5, 6 को जरिये फर्द जप्ती बनाकर दो स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में जप्त नहीं किया गया। जिसने आर्टिकल–4, 5, 6 सीडीज उसके समक्ष प्रस्तुत की थी, उसने सीडीज के साथ 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र उसे प्रस्तुत नहीं किया। उसके पास अनुसंधान रहा, तब तक भी उक्त आर्टिकल–4, 5, 6 के बाबत् 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। उसने मूल डीवीआर का अनुसंधान के दौरान अवलोकन नहीं किया एवं ना ही उसे जप्त किया, फिर कहा कि अवलोकन किया था। यह बात सही है कि उसने डीवीआर के अवलोकन करने का कोई दस्तावेज नहीं बनाया। यह सही है कि आर्टिकल–4, 5, 6 सीडीज पर प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर नहीं कराये एवं ना ही इन्हें शामिल मिसल किये जाने का कोई पृष्ठांकन सीडीज पर किया गया। यह सही है कि आर्टिकल–4, 5, 6 का विवरण प्रदर्श पी–52 पर सीडी कंपनी का नाम अंकित नहीं है। आर्टिकल–4, 5, 6 के अतिरिक्त उसे उसकी कोई अन्य कॉपी कराकर नहीं दी गई थी और ना ही उसने उनकी कोई कॉपीज कराई। यह सही है कि प्रदर्श पी–52 लिफाफे पर एवं आर्टिकल–4, 5, 6

पर सीसीटीवी फुटेज किस स्थान की है, किस तारीख की है व किस समय की है इसका विवरण अंकित नहीं है। यह बात सही है कि उसने उक्त तीनों सीडीज को चलाकर उनको नहीं देखा और ना ही उनका कोई फर्द विश्लेषण बनाया। आर्टिकल–4, 5, 6 पर ए–बी भाग में जो विवरण अंकित है वह उसके द्वारा नहीं लिखा गया है। यह विवरण किसके हाथ का लिखा है, वह नहीं बता सकता। आर्टिकल–4, 5, 6 पर नुकीले सुए से छेद हो रखा है। यह छेद उसने नहीं किया। प्रस्तुती के समय यह छेद हो तो वह नहीं कह सकता। उक्त सीडीज मय प्रदर्श पी–52 उसे कहां पर दी गई वह नहीं बता सकता। यह बात सही है कि आरोप पत्र उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–52 व आर्टिकल–4, 5, 6 के बाबत् उसके पश्चात्वर्ती अनुसंधान अधिकारी एवं आरोप पत्र प्रस्तुतकर्ता ने उसके बयान नहीं लिये। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–52 लिफाफे को उसने सील मोहर नहीं किया और मालखाने में जमा भी नहीं कराया। प्रदर्श पी–6 नक्शामौका दिनांक 04.03.2017 में घटनास्थल परिसर में कहीं पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने का विवरण व स्थान चिन्हित नहीं है। नक्शामौका प्रदर्श पी–6 घटनास्थल का है और वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, अजखुद कहा कि सीसीटीवी फुटेज घटनास्थल के बाहर की है। यह बात सही है कि परिवादी ने उसके साथ घटनास्थल परिसर में ले जाकर कहां पर कैमरा लगा है और यह किस कैमरे की फुटेज है यह नहीं दर्शाया था। यह सही है कि अनुसंधान के दौरान मूल डीवीआर जप्त नहीं किया गया। यह सही है कि डीवीआर के मालिक व जिसके कब्जे में डीवीआर था, उससे अनुसंधान नहीं किया एवं ना ही उससे 65 बी साक्ष्य अधिनियम का कोई प्रमाण पत्र लिया गया।

55. यह सही है कि प्रदर्श पी–54 लगायत पी–58 फोटोज बाबत् 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र प्रस्तुतकर्ता से प्राप्त नहीं किया गया। उक्त फोटोज किसने खींचे, उसके भी कोई बयान अनुसंधान के दौरान लेखबद्ध नहीं किये गये। उक्त फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी–54 लगायत पी–58 का निगेटिव व डिजिटल कैमरे का मेमोरी कार्ड प्राप्त कर जप्त नहीं किया गया। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–54 लगायत पी–58 को उसने विशेषज्ञ के पास भेजकर यह परीक्षण नहीं कराया कि उक्त फोटोज एडिटिंग करके बनाई हुई तो नहीं है। उक्त फोटोग्राफ्स बाबत् प्रस्तुतकर्ता के बयान लेखबद्ध नहीं किये गये। उक्त फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी–54 लगायत पी–58 पर उसके द्वारा शामिल मिसल किये जाने का पृष्ठांकन एवं हस्ताक्षर नहीं है। यह सही है कि उक्त फोटोग्राफ्स को उसके द्वारा मालखाने में जमा नहीं कराया गया और ना ही इनकी कोई फर्द जप्ती बनाई गई। उक्त फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी–54 लगायत पी–58 पर उनको खींचे जाने की तारीख,

महीना, वर्ष अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–59 लिफाफे पर उसके हस्ताक्षर नहीं है, स्वतः कहा कि मेरे द्वारा पृष्ठांकन किया हुआ है। प्रदर्श पी–60 व 61 फोटोग्राफ्स परिवादी ने मुझे लाकर दिये थे। यह सही है कि प्रदर्श पी–60 व पी–61 फोटोज बाबत् 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र प्रस्तुतकर्ता से प्राप्त नहीं किया गया। उक्त फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी–60 व पी–61 का निगेटिव व डिजिटल कैमरे का मेमोरी कार्ड प्राप्त कर जप्त नहीं किया गया। यह कहना गलत है कि फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी–60 व पी–61 दहेज के सामान को सुपुर्द करते समय खींचे गये हो। ये फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी–60 व पी–61 किसने खींचे हो उसके बयान अनुसंधान के दौरान लेखबद्ध नहीं किये गये। प्रदर्श पी–62 व पी–63 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है, स्वतः कहा कि उसके द्वारा अंकित किया गया शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन अंकित है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–62 व पी–63 किसने प्रस्तुत किये, कब प्रस्तुत किये इस बाबत् प्रस्तुतकर्ता के बयान अनुसंधान के दौरान नहीं लिये गये। प्रदर्श पी–62 व पी–63 कार्ड वास्तव में कब छपे है, उनकी छपाई की आयु जानने के लिए इन्हें एफएसएल नहीं भेजा गया। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–62 कार्ड का लिफाफा पेश नहीं किया गया है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–62 व पी–63 कार्ड के प्रिन्टर्स के बयान नहीं लिये गये। प्रदर्श पी–54 लगायत पी–58 में अग्नि के समक्ष फेरे लेने का कोई फोटो एवं पण्डित के द्वारा मंत्रोच्चार का फोटो नहीं है। अनुसंधान के दौरान आरोपी संजय का नसबंदी से संबंधित मेडिकल परीक्षण नही कराया गया। प्रदर्श डी–4 गवाह जयमाला के 161 सीआरपीसी के बयान का ए–बी एवं सी–डी भाग जैसा गवाह ने बताया वैसे ही अंकित किया था। प्रदर्श डी–3 गवाह रतनसिंह के 161 सीआरपीसी के बयान का ए–बी भाग जैसा गवाह ने बताया वैसे ही अंकित किया था। यह सही है कि रतनसिंह ने नवनीता की आर्य समाज में वर्ष 2010 में संजय से शादी होने की बात बताई थी। प्रदर्श डी–5 गवाह सुलोचना के 161 सीआरपीसी के बयान का ए–बी एवं सी–डी भाग जैसा गवाह ने बताया वैसे ही अंकित किया था। प्रदर्श डी–8 गवाह नवीन के 161 सीआरपीसी के बयान का ए–बी भाग जैसा गवाह ने बताया वैसे ही अंकित किया था। फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी–38, पी–43, पी–45, पी–51 में एक्स स्थान पर कुर्सी पडी हुई दिख रही है। लिफाफा प्रदर्श पी–29, पी–30 व पी–31 पर उसका कोई पृष्ठांकन व हस्ताक्षर नहीं है। फोटोग्राफर अमित को फोटो खींचने का कोई भुगतान बिल प्राप्त कर शामिल मिसल नहीं किया।

56. इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी ने साक्ष्य में जिन फोटोग्राफ्स व सीडी को प्रदर्शित करवाया है, उनके संबंध में धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र नहीं होना स्वीकार किया है ना ही प्राप्त किया है। सीडी के संबंध में मूल डीवीआर

के संबंध में अनुसंधान नहीं किया ना ही सीडी को चलाकर देखा है ना ही जहां से उक्त सीसीटी फुटेज प्राप्त की है, उसके मालिक से अनुसंधान नहीं किया है ना ही सीडी जब्त की है। ऐसी स्थिति में उक्त इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रमाणिकता संदेहास्पद है। धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम प्रमाण पत्र पेश नहीं होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह ने परिवादी व मृतका की माता, भाई ने मर्ग बयानों में पुलिस बयानों में दहेज के लिए पांच लाख रुपये मांगने व मारपीट करने बाबत कथन नहीं किया जाना स्वीकार किया है। गवाह ने अग्नि के समक्ष फेरो की फोटो नहीं होना, नसबंदी बाबत परीक्षण नहीं करवाना भी स्वीकार किया है तथा अनुसंधान में हत्या करना नहीं पाए जाने का कथन किया है।

57. इस प्रकार से अभियोजन द्वारा परीक्षित उक्त गवाहान ने अपनी साक्ष्य में जो कथन किए हैं, उनमें गवाह पी.ड. 5 रतन सिंह , पी.ड. 7 जयमाला सिसोदिया एवं पी.ड. 25 नवीन सिसोदिया ने मृतका के साथ पांच लाख रुपये की दहेज की मांग को लेकर मारपीट करना बताया है तथा मारपीट कर उसकी हत्या कर उसे फांसी के फंदे पर लटकाने का कथन मुख्य परीक्षा में किए हैं, परंतु उक्त तथ्य परिवादी व उक्त गवाहान ने अपने पुलिस बयान, मर्ग बयान में नहीं किए हैं। यहां तक कि परिवादी ने अपनी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी. 5 में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर मारपीट करने, नसबंदी खुलवाने के लिए रुपये मांगने के संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं। अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **2010 Cr.L.R. (SC) 8 (SC) Arulvelu & Anr. Vs. State represented by the Public Prosecutor & Anr.** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने तात्विक व मुख्य तथ्यों का एफ.आई.आर. में उल्लेख नहीं करना, एफ.आई.आर. की विश्वसनीयता को प्रभावित करना अभिनिर्धारित किया है। अतः परिवादी द्वारा दहेज की मांग के संबंध में विशिष्ट तथ्यों का उल्लेख नहीं करने व उसको लेकर प्रताड़ना का तथ्य अंकित नहीं करने, बाद में न्यायालय के समक्ष पहली बार उन तथ्यों को कहना गवाह की विश्वसनीयता एफ.आई.आर. की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त मारपीट किए जाने के संबंध में मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर ऐसी कोई चोट नहीं पाई गई है जो उसके लिए प्राण घातक हो, बल्कि कोई चोट ही नहीं पाई गई है, बल्कि गले में एक लिगेचर मार्क फांसी के फंदे पर लटकने के कारण पाया गया है। उक्त लिगेचर मार्क को खोलकर देखें जाने पर भी उसमें कोई स्ट्रैंगुलेशन के कारण (गला घोटने के कारण) रक्त वाहिनियों में खून जमा हो, यह तथ्य नहीं पाया गया है, बल्कि मृत्यु का कारण केवल एंटी मॉर्टम हैंगिंग होना पाया गया है। फोटोग्राफ में गले पर जो कट का निशान पाया गया है, वह पंचनामा में गवाहान ने मृतका के गले पर कट का निशान होना बताया है, वह

चिकित्सकीय गवाहान ने पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के गले के लिगेचर मार्क को खोलने से आया हुआ निशान है, जो खोलने के उपरांत स्टिच किया हुआ है, मृत्यु का कारण एंटी मॉर्टम हैंगिंग ही रहा है। अतः ऐसी स्थिति में मृतका की मृत्यु हत्या से हुई हो, इसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से नहीं होती है। अतः मृतका की अभियुक्त द्वारा हत्या की गई हो व उसके पश्चात उसे फांसी पर लटकाया गया हो, यह तथ्य चिकित्सकीय साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। मृतका की फोटोग्राफ व सीसीटीवी फुटेज के संबंध में दौराने साक्ष्य अभियुक्त की ओर से आपत्ति की गई थी कि उनके साथ धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र पेश नहीं हुआ है। अनुसंधान अधिकारी ने उक्त तथ्य अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है। चूंकि उक्त दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं, अतः उनके साथ धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का शपथ पत्र पेश किया जाना आवश्यक है। उक्त सर्टिफिकेट के अभाव में दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, परंतु क्षण भर के लिए उक्त दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्राह्य मान भी लिया जाए तो भी उक्त दस्तावेजों से यह तथ्य प्रकट नहीं होता है कि मृतका की अभियुक्त के द्वारा मारपीट कर हत्या कारित की गई हो। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों से भी मृतका की हत्या कारित करने का तथ्य प्रकट नहीं होता है। फोटोग्राफ प्रदर्श पी. 13 से 17 के संबंध में गवाह पी.ड. 21 अमित सिंह ने फोटोग्राफ प्रदर्श पी. 13 से 17 स्वयं द्वारा तैयार कर पुलिस को सौंपना बताया है, परंतु जिरह में उसके द्वारा ली गई फोटोग्राफ पत्रावली पर पेश नहीं होना बताया है ना ही उक्त फोटोग्राफ के संबंध में धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र पेश किया है, जिसके अभाव में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। क्षण भर के लिए ग्राह्य मान भी लिया जावे तो उनसे हत्या कारित करने का तथ्य प्रकट नहीं होता है। जो सीडी पेश की गई है, उनको भी साख्य में प्रमाणित नहीं किया गया है ना ही वे साख्य में ग्राह्य है, ना ही सीडी में ऐसा कोई तथ्य प्रकट हुआ कि उसमें अभियुक्त द्वारा मृतका की हत्या की गई प्रमाणित होता हो, ना ही नसबंदी होने से संतान उत्पत्ति नहीं होने बाबत कोई जांच रिपोर्ट पेश की गई, कर्ज में डूबने बाबत कोई साक्ष्य नहीं है। कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध व उनका जीवन खराब करने की साक्ष्य नहीं, जिस महिला से पूर्व में विवाह करना बताया, वह परीक्षित नहीं हुई, उसके तलाक का मामला लंबित हो, दस्तावेज पेश नहीं हुआ है। अतः उक्त तथ्य भी साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं है।

58. इस प्रकार मृतका का फांसी के फंदे पर लटकना बाद पोस्टमार्टम एंटी मॉर्टम हैंगिंग पाया जाना साक्ष्य से प्रमाणित है। मृतका के पिता, माता व भाई ने अभियुक्त द्वारा मृतका की दहेज मांग के संबंध में मारपीट कर हत्या करने के उपरांत फांसी पर लटकाना बताया है, परंतु ऐसा कोई कथन मर्ग बयान में नहीं

किया ना ही पुलिस बयान में किया है। जहां तक गवाहान ने मौके पर मृतका के बिना किसी टेबल कुर्सी के मृत्यु आत्महत्या द्वारा ही हो संदेहास्पद बताया है, परंतु अनुसंधान अधिकारी ने जो फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी. 38, 43, 45 व 51 प्रदर्शित करवाई है, उनके एक्स स्थान पर कुर्सी गिरी हुई अवस्था में दर्शित है। अतः उक्त कथन भी विश्वसनीय नहीं है। गवाह पी.ड. 24 अजीत सिंह ने प्रदर्श पी 3 वाले मकान में चौकीदार से मास्टर चाबी मंगवाकर प्रवेश करना बताया है। ऐसी स्थिति में भी मृतका के पास अभियुक्त या अन्य व्यक्ति उपस्थित रहा हो, प्रकट नहीं होता है। मृतका के शरीर पर चोटे के निशान नहीं है, जो नीलगू निशान पाए गए हैं, वे पोस्टमार्टम लिविडिटी के कारण होना संभव बताया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे किसी नीलगू का अंकन नहीं है। मारपीट के फलस्वरूप नीलगू निशान आए हो, यह प्रमाणित नहीं है। अतः गवाहान के कथनों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नहीं होती है। गवाहान की स्वयं साक्ष्य में भारी विरोधाभास है तथा बढ़ा चढ़ाकर तात्विक अभिवृद्धि की साक्ष्य दी गई है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है, उनसे परिस्थितियों की संदेह से परे कड़िया जोड़कर इस प्रकार प्रमाणित नहीं की गई है, जो अभियुक्त द्वारा मृतका की हत्या करने को इंगित करती हो। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से मृतका की मारपीट कर हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने का तथ्य अभियोजन साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने से धारा 302 भारतीय दंड संहिता युक्तियुक्त प्रमाणित नहीं होता है।

59. जहां तक अभियुक्त के विरुद्ध मृतका की उसके विवाह के पश्चात् दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर है असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु कारित होने के आधार अपराध का धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध है तो इस संबंध में धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया जाए तो धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता यह उपबंधित करती है कि जहॉं किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थिति से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रुरता की थी या उसे तंग किया था वहॉं ऐसी मृत्यु को ''दहेज मृत्यु'' कहा जायेगा और ऐसे पति या नातेदार को उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा। उक्त विधिक उपबंधों के संदर्भ में विभिन्न न्यायिक–दृष्टांतों के द्वारा जो सिद्धांत अवधारित किए गए उनका ससम्मान अवलोकन किया जाए तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक–दृष्टांत संजय कुमार बनाम स्टेट आफ दिल्ली एआईआर 2011 एससी 363(373) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गयाा है कि धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता उक्त निम्न तत्व अपराध का गठन करते हैं–

1. मृतका का विवाह के सात वर्ष के अंदर मर जाना तथा मृतका के माता–पिता को सूचना दिए बगैर जल्दबाजी में दाह–संस्कार करना।
2. मृतका के परिवार के सदस्यों से दहेज की मांग करना।
3. मृतका के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करना।
4. मृतका की मृत्यु शारीरिक क्षति, जलने के द्वारा या सामान्य परिस्थितियों से परे होना।

60. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक–दृष्टांत **तरसेम सिंह बनाम पंजाब राज्य एआईआर 2009 एससी 1454** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता में आवश्यक तत्व इस प्रकार है कि

1. महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षति याा स्वाभाविक परिस्थितियों से अन्यथा किसी प्रकार कारित होनी चाहिए।
2. ऐसी मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर होनी चाहिए।
3. उसके मृत्यु के पूर्व उससे उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा उसके साथ क्रुरता की गई थी या उसको प्रता़डित किया गया था।
4. क्रुरता या प्रपीड़न दहेज की मांग के संबंध में होना चाहिए।
5. ऐसी क्रुरता को उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व की होना दर्शित किया जाना चाहिए।

61. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेजर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2015) 5 एससीसी** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्धि के लिए निम्न तथ्यों को सुस्थापित किया जाना आवश्यक है।

1. महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षति या अन्यथा सामान्य परिस्थितियों से भिन्न अवस्था में होनी चाहिए।
2. मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर होनी चाहिए।
3. उसके साथ पति या उसके पति के नातेदारों द्वारा क्रुरता या तंग–परेशान किया जाना चाहिए।
4. उसके साथ की गई क्रुरता या तंग–परेशान करने का संबंध दहेज की मांग के संबंध में होनी चाहिए।
5. क्रुरता या तंग–परेशान करने उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व होना चाहिए।

62. उक्त तथ्यों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः **शब्बीर बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एआईआर 2021 सुप्रीमकोर्ट 1879 निर्णय दिनांक 28.05.2021**

में भी पुनः अभिनिर्धारित किया गया है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक–दृष्टांत **करण सिंह बनाम हरियाणा राज्य (गृह विभाग) निर्णय दिनांक 31.01.2025 क्रिमिनल अपील संख्या 1076 ऑफ 2014** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता में के अपराध के आवश्यक तत्वों को अभियोजन द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त न्यायिक–दृष्टांतों में मुख्यतयाः यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धि के लिए निम्न उल्लेखित आवश्यक तत्वों को साबित करना आवश्यक है।

1. मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई हो।
2. मृतका की मृत्यु शारीरिक क्षति जलने या प्राकृतिक मृत्यु से भिन्न तरीके से अस्वाभाविक मृत्यु हुई हो।
3. मृत्यु से पूर्व मृतका के पति या उसके नातेदारों द्वारा उसे दहेज की मांग के लिए तंग–परेशान या क्रुरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो।

63. माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उक्त न्यायिक–दृष्टांतो में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में व धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता के विधिक प्रावधानों के संदर्भ में हस्तगत प्रकरण में आई साक्ष्य का विवेचन विश्लेषण किया जाए तो जहां तक प्रकरण में मृतका नवनीता की मृत्यु उसके विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर होने का प्रश्न है तो इस संबंध में परिवादी रतन सिंह ने अपनी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी. 5 में यह अंकित किया है कि संजय व उसकी बेटी नवनीता ने आर्य समाज में शादी कर ली और उन्हें इसकी सूचना नहीं दी। इस शादी में उसके मित्र राजू बागड़ी (एडवोकेट) को लड़की का भाई बनाकर शादी कराई गई। तब उसे पता लगने पर दिनांक 8 फरवरी, 2012 को उत्सव पैलेस, गुलाब बाड़ी मैरिज गार्डन में समाज के सामने धूमधाम से शादी की। इस प्रकार परिवादी ने अपनी लिखित रिपोर्ट में मृतक्का का संजय के साथ वर्ष 2010 में आर्य समाज में शादी करना बताया है तथा तत्पश्चात सामाजिक समारोह में उसकी शादी करना भी बताया है। परिवादी ने अपने पुलिस बयान में भी उक्त तथ्य अंकित किया है। इस प्रकार मर्ग बयान प्रदर्श डी 1 में भी यह कथन किया है कि नवनीता को संजय द्वारा बोरावड में जब बी.एड. कर रही थी तभी गुमराह कर आर्य समाज में उन्हें बिना बताए शादी की थी। उक्त शादी की सूचना उन्हें नवनीता की दोस्त रुखसाना, जो नागौर की रहने वाली है, ने बताया है। आर्य समाज में शादी करने के बाद नवनीता उनके पास लगभग 2 वर्ष परिवार के साथ रही थी। इस प्रकार उक्त गवाह ने अपने पुलिस बयान व मर्ग बयान क्रमशः प्रदर्श डी. 3 व डी. 4 में उक्त तथ्य स्वीकार

किया है कि मृतका का विवाह अभियुक्त के साथ आर्य समाज में बोरावड में जब वह बीएड कर रही थी तब हो गया था। इसी प्रकार गवाह पी.ड. 6 चंदन वर्मा ने भी अपनी साक्ष्य में नवनीता द्वारा संजय से उसके मौसा व मौसी की बिना जानकारी के आर्य समाज में शादी करने की बात पुलिस बयान में लिखवाने से इनकार किया है, जबकि उक्त तथ्य पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 में अंकित है। इसी प्रकार मृतका की माता पी.ड. 7 जयमाला सिसोदिया ने भी अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी 4 में अपनी लड़की से संजय द्वारा आर्य समाज में शादी करना और उन्हें सूचना नहीं देने का तथ्य अंकित किया है। यद्यपि उक्त गवाह ने अपने पुलिस बयान में लिखे जाने से इनकार किया है, परंतु परिवादी सहित अन्य गवाहान ने कथन किया है। इसी प्रकार गवाह पी.ड. 25 नवीन सिसोदिया, जो कि मृतका का भाई है, ने भी अपनी साक्ष्य में मृतका का अभियुक्त के साथ आर्य समाज में शादी करना बताया है। उक्त गवाहान की साक्ष्य का न्यायालय में किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है, बल्कि परिवादी पी.ड. 5 रतन सिंह ने अपनी साक्ष्य में जिरह में अपने मर्ग बयान प्रदर्श डी 1 में नवनीता और संजय द्वारा बोरावड में बीएड के दौरान वर्ष 2010 में आर्य समाज में शादी करने की बात रुखसाना द्वारा बताया जाना स्वीकार किया है, जो उसके द्वारा लिखाए जाने का भी कथन किया है। इसी प्रकार यह भी कथन किया है कि आर्य समाज में शादी के पश्चात् नवनीता दो वर्ष तक उनके घर पर रही, तब संजय उनके घर आता जाता था। अजखुद कहा कि शादी का दबाव बनाने के लिये आता था। इस प्रकार उक्त साक्ष्य से भी मृतका का अभियुक्त के साथ आर्य समाज में विवाह करने का तथ्य प्रकट होता है। गवाह पी.ड. 6 चंदन वर्मा ने भी अपनी साक्ष्य में यद्यपि पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 में उक्त बात लिखाए जाने से इनकार किया है, परंतु जिरह में यह भी कथन किया है कि वर्ष 2010 में संजय और नवनीता ने आर्य समाज में शादी कर ली थी तो उसे पता नहीं, उक्त साक्ष्य विरोधाभासी है। इसी प्रकार गवाह पी.ड. 7 जयमाला सिसोदिया, जो मृतका की माता है, ने भी अपनी साक्ष्य में जिरह में समाज में वर्ष 2012 में शादी करने से पहले आर्य समाज में नवनीता व संजय की शादी की जानकारी उसे उसके परिवारजन ने नहीं दिया जाना बताया है। इस प्रकार से उक्त गवाहान ने भी मृतका व संजय की शादी आर्य समाज में नहीं हुई हो, इस तथ्य से जिरह में इनकार नहीं किया है। गवाह पी.ड. 9 अरूणा टांक, जो की मृतका की बुआ की लड़की है, ने अपनी साक्ष्य में नवनीता का बीएड के दौरान वर्ष 2009–10 में आर्य समाज में शादी करने की बात सुना जाना, जब मैरिज की चर्चा उनके परिवार में हुई, तब उसकी मैरिज का कोई विरोध नहीं होना, इसलिए उसका रिसेप्शन दिए जाने तथा रिसेप्शन के दिन नवनीता के भाई की सगाई का खाना भी रखा जाना बताया है।

“Authenticated Document”

64. इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड. 25 नवीन सिसोदिया, जो की मृतका का भाई है, ने भी अपनी साक्ष्य में जिरह में अपने मर्ग बयान प्रदर्श डी. 7 में संजय व नवनीता की आर्य समाज में शादी होने का तथ्य अंकित करवाना स्वीकार किया है तथा अपने पुलिस बयान में भी उक्त तथ्य अंकित किया है, जिसका किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है। अभियुक्त अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में स्वयं व नवनीता की शादी वर्ष 2010 में दिनांक 18.02.2010 को होना बताया है। अभियुक्त ने गवाहान की जिरह में मृतका व अभियुक्त की शादी आर्य समाज में होने के संबंध में दस्तावेज प्रदर्श डी. 2 गवाहान की साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया है। उक्त दस्तावेज में विवाह की दिनांक 18.02.2010 अंकित है, जो नगर परिषद, अजमेर द्वारा जारी है तथा शादी आर्य समाज में होना अंकित किया गया है। उक्त दस्तावेज का किसी प्रकार से खण्डन परिवादी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत मैरिज सर्टिफिकेट व परिवादी सहित अन्य गवाहान की साक्ष्य से मृतका व अभियुक्त संजय का विवाह वर्ष 2010 में होना प्रकट होता है तथा जो सर्टिफिकेट पेश किया गया है, उसके आधार पर उनकी शादी आर्य समाज में दिनांक 18 फरवरी, 2010 को हुई थी। दौराने बहस परिवादी अधिवक्ता ने मृतका व अभियुक्त का विवाह 08.02.2012 में होना बताते हुए मृतका की मृत्यु सात वर्ष के भीतर होना बताया है तथा अभियुक्त द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है, जो कि प्रदर्श पी. 19 है, में स्वयं अभियुक्त द्वारा विवाह वर्ष 2012 में लिखे होने से स्वीकृत तथ्य के आधार पर प्रमाणित होना जाहिर किया है, परंतु मृतका के माता–पिता व भाई व अन्य किसी गवाहान ने मृतका की आर्य समाज में अभियुक्त संजय के साथ विवाह नहीं हुआ हो, इस तथ्य से इनकार नहीं किया है। विवाह प्रमाण पत्र प्रदर्श डी 2 अभियुक्त द्वारा पेश कर प्रदर्शित करवाया है, जो फर्जी कूटरचित हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। मृतका के पिता भाई ने साक्ष्य में मृतका का अभियुक्त से विवाह आर्य समाज में होना स्वीकार किया है। जहां तक अभियुक्त का मर्ग रिपोर्ट प्रदर्श पी. 19 में वर्ष 2012 में विवाह होना अंकित करवाने का प्रश्न है तो अभियुक्त ने अपने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों में मर्ग रिपोर्ट प्रदर्श पी. 19 में विवाह उक्त वर्ष में होने की बात लिखवाने से इनकार किया है। अभियुक्त ने वर्ष 2012 में अपने साले नवीन की सगाई के अवसर पर घर आना जाना शुरू करना, इससे पहले ससुरालवालों का नाराज होना, केवल स्टेज पर बैठाकर माला पहनाना और बैठाना बताया है। गवाह पी.ड. 9 अरूणा टांक ने भी अपनी साक्ष्य में रिसेप्शन के दिन उसके भाई नवीन की सगाई का खाना रखने का कथन किया है। इसके अतिरिक्त परिवादी ने मृतका व अभियुक्त का विवाह वर्ष 2012 में सामाजिक समारोह में करवाया जाना बताया है, परंतु मृतका की

पारिवारिक सदस्य गवाह पी.ड. 9 अरूणा टांक ने अपनी साक्ष्य में मृतका की मैरिज का कोई विरोध नहीं करने व उसका रिसेप्शन दिए जाने का कथन किया है तथा उसी दिन उसके भाई की सगाई होने का कथन किया है। गवाह पी.ड. 25 नवीन सिसोदिया ने भी अपनी साक्ष्य में वर्ष 2012 में अपनी सगाई होने का तथ्य स्वीकार किया है। अभियोजन के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज व फोटोग्राफ पेश नहीं किए गए हैं जिसमें वर्ष 2012 में मृतका व अभियुक्त के मध्य सप्तपदी के द्वारा विवाह संपन्न कराया गया हो। जो फोटोग्राफ पेश की गई हैं वे समस्त फोटोग्राफ स्टेज के फोटोग्राफ हैं। यद्यपि उक्त दस्तावेजों के संबंध में कोई धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी पेश नहीं हुआ है, जिससे उक्त दस्तावेज यद्यपि साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, परंतु यदि क्षण भर के लिए उक्त दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्राह्य मान भी लिया जाए तो उनसे यह तथ्य प्रकट नहीं होता है कि फोटोग्राफ में मृतका व उसके पति संजय की वर्ष 2012 में शादी हुई हो। ऐसा कोई मैरिज सर्टिफिकेट व दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया है ना ही विवाह के पंडित या अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति को परीक्षित करवाया गया है, जो यह तथ्य प्रकट करता कि मृतका व संजय की शादी वर्ष 2012 में हुई थी तथा उसी दिनांक को उनके मध्य सप्तपदी के जरिए विवाह संपन्न हुआ था, बल्कि परिवादी ने अपनी साक्ष्य में मृतका की आर्य समाज में शादी होने के पश्चात 2 वर्ष तक मृतका अपने पास पीहर में रहना बताया है, जिससे भी प्रकट होता है कि मृतका का विवाह वर्ष 2010 में ही हो चुका था। इसके अतिरिक्त परिवादी व मृतका के भाई ने मृतका का विवाह आर्य समाज में अभियुक्त के साथ होने की जानकारी बताई है, जो वर्ष 2010 में होना बताया है, मर्ग बयान प्रदर्श डी 1 में भी अंकित है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य विवाह प्रमाण पत्र से मृतका की शादी अभियुक्त संजय के साथ वर्ष 2010 में होना प्रमाणित है, जिसका अभियोजन द्वारा खंडन नहीं किया गया है। उक्त विवाह प्रमाण पत्र में वर्णित विवाह वर्ष 2010 व आर्य समाज में शादी होने के तथ्य की पुष्टि परिवादी व अन्य गवाहान की साक्ष्य से भी होती है। अतः विवाह प्रमाण पत्र में अंकित दिनांक 18.02.2010 से मृतका की मृत्यु दिनांक 01.03.2017 विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि विवाह के 7 वर्ष से अधिक समय बाद मृत्यु हुई है। वर्ष 2012 में विवाह होने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। अतः परिवादी के तर्क माने जाने योग्य नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में मृतका का विवाह आर्य समाज में दिनांक 18 फरवरी, 2010 को होना साक्ष्य से प्रमाणित है, जिससे अभियोजन द्वारा मृतका नवनीता की मृत्यु उसके विवाह की तारीख से विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो, यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया है। चूंकि विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु होना प्रमाणित नहीं है तथा दहेज मृत्यु कारित करने के तथ्य को साबित करने का प्रारंभिक भार प्रमाणित नहीं है। अतः धारा 113 बी साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा

अभियुक्त के विरूद्ध उत्पन्न नहीं होती है।

65. **जहां तक मृतका की मृत्यु शारीरिक क्षति, जलने या प्राकृतिक परिस्थितियों से भिन्न अस्वाभाविक परिस्थितियों में होने का प्रश्न है** तो इस संबंध में परिवादी रतन सिंह ने अपनी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 में अपनी पुत्री नवनीता के साथ अभियुक्त द्वारा मारपीट करना, लाखों रूपयों के कर्ज में डूबने से अपनी पुत्री पर पिता से रुपए लेकर देने का दबाव डालने का अंकन करते हुए अपनी पुत्री के द्वारा आत्महत्या नहीं की जाकर अभियुक्त द्वारा उसकी हत्या करने का अंकन किया है। साक्ष्य में बतौर गवाह पी.ड. 5 अपनी साक्ष्य में अपनी पुत्री नवनीता का साड़ी से लटके हुए देखना और उसके पैर, एड़ी, पंजे सहित जमीन पर टिके होना देखकर उसे पहले मारना, फिर हत्या का रूप देने के लिए सीडी से लटकाए जाने का कथन किया है। गवाह पी.ड. 7 जयमाला सिसोदिया व पी.ड. 25 नवीन सिसोदिया जो की मृतका का भाई है, ने अपनी साक्ष्य में मृतका के साथ अभियुक्त द्वारा शराब पीकर मारपीट करना पांच लाख रुपये दहेज की मांग करना, मृतका द्वारा आत्महत्या करने की सूचना होने पर मृतक को फांसी के फंदे पर लटका हुआ होना, उसके पैर, पंजे, एडी समेत जमीन पर टिके हुए होना, उसकी हत्या करके फांसी पर लटकाए जाने का कथन किया है, परंतु मृतका की अभियुक्त द्वारा हत्या की गई हो यह तथ्य पूर्व में विवेचनानुसार अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है। मृतका की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकीय गवाहान पी.ड. 4 डॉ. के.के. तनवानी, पी.ड. 20 डॉ. पूनम अग्रवाल एवं पी.ड. 27 डॉ. के.आर. टेवानी ने अपनी साक्ष्य में मृतका के शरीर पर कोई चोट नहीं पाया जाना तथा मृतका की मृत्यु का कारण एंटी मॉर्टम हैंगिंग होना बताया है। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्ष्य के द्वारा मृतका की मृत्यु का कारण फांसी के फंदे से होना बताया गया है। अभियुक्त ने उसका गला घोटा हो, ऐसी कोई साक्ष्य चिकित्सकीय दस्तावेज से प्रकट नहीं हुई है ना ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य से मृतका की अभियुक्त के द्वारा हत्या कारित करने के तथ्य की पुष्टि हुई है। अभियोजन द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सीडी आर्टिकल 4 लगायत 6 पेश की गई है, उनके संबंध में अनुसंधान अधिकारी ने कोई अनुसंधान किया हो, साक्ष्य से प्रकट नहीं है, बल्कि अनुसंधान अधिकारी ने उक्त सीडी को चलाकर देखने से ही इनकार किया है ना ही उक्त सीडी किस समय, स्थान की है, ऐसा कोई विशिष्ट तथ्य अंकित होना साक्ष्य में स्वीकार किया है, बल्कि इनकार किया है। सीडी कौनसे सीसीटीवी कैमरे से तैयार की गई वह किसकी अभिरक्षा में था, मूल डीवीआर जब्त नहीं है ना ही संधारक डीवीआर से कोई अनुसंधान हुआ है ना ही उक्त सीडी में ऐसी कोई घटना रिकॉर्ड है, जिससे यह अनुमान इंगित हो कि मृतका की हत्या हुई थी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त सीडी

के संबंध में कोई अनुसंधान नहीं हुआ ना ही जब्त की गई ना ही उनसे घटना की पुष्टि होती है ना ही धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम में प्रमाण पत्र के अभाव में साक्ष्य में ग्राह्य है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से हत्या की पुष्टि नहीं हुई है। चिकित्सकीय साक्ष्य से परिवादी व मृतक के परिवारजन के कथनों की अभियुक्त के द्वारा उसकी हत्या की गई हो पुष्टि नहीं हुई है, बल्कि चिकित्सकीय साक्ष्य से मृतका की मृत्यु का कारण एंटी मॉर्टम हैंगिंग होना प्रकट हुआ है। मृतका के परिवारजन जिन्होंने सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचना बताया है, ने भी मृतका का साड़ी के फंदे में लटके होना पाए जाने का कथन किया है। मृतका के माता–पिता ने अपनी साक्ष्य में मौके पर कोई टेबल कुर्सी इत्यादि नहीं होने से अभियुक्त द्वारा उसकी हत्या किया जाना बताया है, परंतु अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 28 मोटाराम ने अपनी साक्ष्य में मौके पर कुर्सी गिरी हुई पाया जाना बताया है, जो फोटोग्राफ अभियोजन द्वारा साक्ष्य में प्रदर्शित करवाए गए हैं, उनमें फोटोग्राफ प्रदर्श पी. 38, प्रदर्श पी. 43, प्रदर्श पी. 45 व प्रदर्श पी. 51 में एक्स स्थान पर कुर्सी गिरी हुई अवस्था में होना बताया है। अतः मौके पर कोई कुर्सी नहीं हो, यह तथ्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ से प्रकट नहीं होता है, बल्कि मौके पर कुर्सी होना अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य व फोटोग्राफ से प्रकट है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत चिकित्सकीय साक्ष्य व मौखिक गवाहान की साक्ष्य से मृतका का सीढ़ियों की रेलिंग से का फंदा लगाकर आत्महत्या किए जाने का तथ्य प्रमाणित है। उक्त मृत्यु अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई है।

66. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक–दृष्टांत **अकुल रविन्द्र बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश एआईआर 1991 सुप्रीमकोर्ट 1142** में धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता के दूसरे आवश्यक तत्व जिसमें मृतका की मृत्यु शारीरिक क्षति या जलने या अस्वाभाविक परिस्थितियों में होने के संबंध में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता में उल्लेखित दहेज मृत्यु का अपराध घटित होने के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक है कि मृतका की मृत्यु अप्राकृतिक दशा में शारीरिक चोट या जलने के कारण हुई हो। अतः उक्त न्यायिक–दृष्टांत के आलौक में धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता के विधिक प्रावधानों के अनुसार दहेज मृत्यु का अपराध घटित होने के लिए अभियोजन को यह साबित करना आवश्यक है कि मृतका की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षति या असामान्य परिस्थितियों में हुई हो। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन द्वारा जो मौखिक, दस्तावेजी एवं चिकित्सकीय साक्ष्य पेश की गई है उससे मृतका की मृत्यु फांसी लगाने के फलस्वरूप असामान्य परिस्थितियों में होना प्रकट हुआ है अर्थात मृतका की मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी। अतः अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से

धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता के दूसरे आवश्यक तत्व को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

67. धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व मृत्यु से पूर्व मृतका के पति या उसके नातेदारों द्वारा दहेज की मांग के लिए मृतका को तंग–परेशान करना है। इस संबंध में अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो मृतका के परिवारजन ने मृतका की मृत्यु का कारण अभियुक्त द्वारा उससे पांच लाख की अवैध दहेज की मांग करने, शराब पीकर मारपीट करने, नसबंदी का ऑपरेशन खुलवाने के लिए पांच लाख रुपये की मांग करने के आधार पर क्रूरता कारित करने और उक्त क्रूरता के परिणामस्वरुप मृतका की मृत्यु होना बताया है, परंतु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहान की साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि मृतका की मृत्यु से पूर्व उसे दहेज की अवैध मांग को लेकर पांच लाख रुपये की मांग की गई हो, परिवादी सहित मृतका के परिवारजन ने अपनी साक्ष्य में मर्ग रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत उपखंड अधिकारी के समक्ष दी गई साक्ष्य में, मृतका के पिता परिवादी रतन सिंह मृतका की माता जयमाला सिसोदिया, भाई नवीन ने मर्ग बयान प्रदर्श डी 1, डी 5 व डी 7 दहेज के संबंध में मांग करने बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं किए हैं, केवल शराब पीकर मारपीट किए जाने का अंकन किया है। परिवादी ने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी. 5 में भी दहेज की मांग बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये की मांग करना, उसको लेकर मारपीट करना, नसबंदी खुलवाने के लिए पांच हजार रुपये मांगना ये भी तथ्य प्रथम बार न्यायालय में हुए बयानों में किए हैं, जो तात्विक अभिवृद्धि की श्रेणी में आते हैं। मृतका से दहेज की मांग को लेकर उसे तंग परेशान किया जाता हो और मृतका के माता–पिता व भाई ने अभियुक्त के साथ सामाजिक स्तर पर कोई समझाइश की हो, यह तथ्य भी गवाहान की साक्ष्य से प्रकट नहीं हुआ है। परिवादी पी.ड. 5 रतन सिंह, मृतका की माता पी.ड. 7 जयमाला सिसोदिया व मृतका का भाई पी.ड. 25 नवीन ने अपनी साक्ष्य में पुलिस बयान में मृतका के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट किए जाने के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं करना स्वीकार किया है तथा अपने मर्ग बयान भी एसडीएम के समक्ष दिया जाना व उस पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किए हैं। अतः ऐसी स्थिति में जबकि मृतका के माता–पिता व भाई ने अपने मर्ग बयानों, पुलिस बयानों में इस संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं ना ही लिखित रिपोर्ट में परिवादी ने पांच लाख रुपये की मांग के संबंध में कोई कथन किए हैं। तब मृतका के साथ अभियुक्त द्वारा दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर मारपीट की गई हो, यह तथ्य अभियोजन साक्ष्य से प्रकट नहीं हुआ है। मृतका के पिता परिवादी पी.ड. 5 रतन

सिंह, मृतका की माता पी.ड. 7 जयमाला सिसोदिया व भाई पी.ड. 25 नवीन सिसोदिया ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने मुख्य परीक्षा में पांच लाख रुपये की मांग के संबंध में जो कथन किए, अभियुक्त का कर्ज में डूबे होने बाबत कथन किए, उनका अंकन उनके पुलिस बयान में नहीं है। परिवादी पी.ड. 5 रतन सिंह ने यह स्वीकार किया है कि दहेज में पांच लाख रुपये लेकर आने की बात उनके द्वारा बयान प्रदर्श डी 1 व प्रदर्श डी 3 एवं रिपोर्ट प्रदर्श पी. 5 में अंकित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त गवाहान की साक्ष्य से यह भी तथ्य प्रकट है कि मृतका का विवाह अभियुक्त से आर्य समाज में हुआ था तथा उनका विवाह प्रेम विवाह था, जिसमें दहेज दिए जाने का प्रश्न ही नहीं है। इसके अतिरिक्त परिवादी ने अपनी पुत्री की शादी अभियुक्त से आर्य समाज में हुए विवाह के पश्चात् होना बताया है, वह वर्ष 2012 में होने का कथन किया है, परंतु वर्ष 2012 में मृतका व अभियुक्त का विवाह हुआ हो यह तथ्य इस कारण से संदेहास्पद है क्योंकि मृतका की बहन पी.ड. 9 अरुणा टांक, जिसने मृतका को अपने मामा की लड़की होना बताया है, ने अपनी जिरह में नवनीता की आर्य समाज में शादी की बात उसके परिवारजन में बातचीत से सुनी थी। जब मैरिज की चर्चा उनके परिवार में हुई तब उसके मैरिज का कोई विरोध नहीं हुआ था, इसलिए उसका रिसेप्शन दिया था। रिसेप्शन के दिन नवनीता के भाई की सगाई का खाना भी रखा था। इस प्रकार उक्त गवाह ने नवीन मृतका के भाई की सगाई का खाना व मृतका–अभियुक्त का रिसेप्शन एक ही दिन होना बताया है। अभियुक्त ने भी अपने बयान अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी में वर्ष 2012 में रिसेप्शन होना स्वीकार किया है। गवाह पी.ड. 25 नवीन सिसोदिया, जो कि मृतका का भाई है, ने अपनी साक्ष्य में जिरह में कथन किया है कि दिनांक 08.02.2012 को जिस दिन उसकी बहन की शादी हुई उसी दिन उसकी भी सगाई उत्सव पैलेस में ही हुई थी। अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 28 मोटाराम ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि प्रदर्श पी. 54 लगायत प्रदर्श पी 58 में अग्नि के समक्ष फेरे लेने का कोई फोटो एवं पंडित के द्वारा मंत्रोचार का कोई फोटो नहीं है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह सही है कि रतन सिंह ने नवनीता की आर्य समाज में वर्ष 2010 में संजय से शादी होने की बात बताई थी। गवाह ने मृतका की शादी का कार्ड प्रदर्श पी. 62 व 63 को प्रदर्शित करवाया है। दस्तावेज प्रदर्श पी. 62 में बुधवार 8 फरवरी, 2012 को पाणिग्रहण संस्कार होना तथा विवाहस्थल उत्सव पैलेस, गुलाबबाड़ी, अजमेर अंकित है। उक्त कार्ड में नवनीता संग संजय व रविवार 12 फरवरी को नवीन संग सुनीता होना अंकित है, परंतु उक्त वैवाहिक कार्यक्रम के संबंध में कोई सप्तपदी के संबंध में कोई फोटोग्राफ या स्वतंत्र गवाहान के बयान लेखबद्ध नहीं किए गए हैं। अतः उक्त

समारोह वैवाहिक समारोह ही था, यह तथ्य संदेहास्पद है क्योंकि गवाह पी.ड. 9 अरुणा टांक ने अपनी साक्ष्य में उसी दिन नवनीता का रिसेप्शन होना बताया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के द्वारा स्वयं की शादी का प्रमाण पत्र, जो कि नगर निगम, अजमेर द्वारा जारी किया गया है, पेश किया गया है, जो प्रदर्श डी. 2 है। उक्त विवाह प्रमाण पत्र में विवाह की दिनांक 18.02.2010 अंकित है तथा विवाह का स्थान आर्य समाज नया बाजार पुरानी मंडी, अजमेर होना अंकित है। उक्त दस्तावेज का किसी प्रकार से खंडन नहीं किया गया है। गवाहान ने भी अपनी साक्ष्य में मृतका का विवाह अभियुक्त के साथ आर्य समाज में जब मृतका बीएड कर रही थी उस समय होना बताया है। परिवादी व मृतका के भाई, माता ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में मृतका की शादी के समय अभियुक्त के द्वारा दहेज की कोई मांग की गई हो, यह तथ्य गवाहान की साक्ष्य से व जिन परिस्थितियों में मृतका व अभियुक्त का विवाह हुआ उनसे प्रकट नहीं हुआ है। शादी के पश्चात पांच लाख की मांग करना, परिवादी व मृतका के परिवारजन ने बताया है उक्त तथ्य भी लिखित रिपोर्ट में अंकित नहीं है ना ही गवाहान के पुलिस बयान व मर्ग बयान में अंकित है। अभियुक्त के नसबंदी खुलवाने के लिए पांच लाख की मांग का तथ्य भी परिवादी ने अपने पुलिस बयान व मर्ग बयान व लिखित रिपोर्ट में अंकित नहीं होना साक्ष्य में स्वीकार किया है। अतः उक्त समस्त साक्ष्य जो दहेज की मांग के संबंध में की गई है वह प्रथम बार न्यायालय में हुए साक्ष्य के दौरान ही की गई है जो तात्विक अभिवृद्धि की श्रेणी में आती है तथा गवाहान के कथनों की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के कर्ज में डूबने के कारण भी रूपयों की मांग करने का जो कथन किया गया है, इसके संबंध में भी कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अभियुक्त ने नसबंदी करवा रखी थी, इस संबंध में कोई जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई। अनुसंधान अधिकारी ने भी अनुसंधान के दौरान अभियुक्त की ऐसी कोई जांच करवाने से इनकार किया है। क्षण भर के लिए गवाहान के द्वारा किए गए कथन कि मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, मान भी लिया जावे तो मृतका को यदि इतना तंग परेशान किया जाता रहा था तो उसके परिवारजनों द्वारा उसे अभियुक्त को समझाने के लिए कोई सामाजिक स्तर पर समझाइश की गई हो या पारिवारिक समझाइश की गई हो यह तथ्य गवाहान की साक्ष्य से प्रकट नहीं हुआ है,

68. परिवादी ने व गवाह नवीन ने साक्ष्य में समझाइश के संबंध में महेश के घर पर जब मृतका व अभियुक्त किराए पर रह रहे थे तब उसे समझाना, अभियुक्त का नाराज होना बताया है, चिल्लाने पर महेश द्वारा अपने बच्चों पर बुरा असर पड़ने का कहना बताया है, परंतु सर्वप्रथम उक्त तथ्य गवाहान ने अपने पुलिस बयान, मर्ग

बयान, लिखित रिपोर्ट में नहीं किए हैं जो तात्विक अभिवृद्धि में आते हैं। दूसरा जिस व्यक्ति के धर उक्त घटना होनी बताई है, वह महेश बतौर गवाह पी.ड. 11 परीक्षित करवाया है, परंतु उसने मृतका व अभियुक्त का राजीखुशी रहना बताया है, उक्त घटना की ताईद नहीं की है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने से ही मृतका परेशान हो, यह बात इस साक्ष्य से भी प्रकट नहीं होते कि परिवादी रतन सिंह व गवाह पी.ड. 25 नवीन सिसोदिया ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि जब रामेश्वर का फोन नवीन के पास आया कि नवनीता दरवाजा नहीं खोल रही है तब मृतका के परिवारजन द्वारा जिसमें उसके पिता परिवादी रतन सिंह है, ने रामेश्वर को यह कहा कि उनके मध्य लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, थोड़ी देर में गेट खोल देगी। परिवादी व उसके पुत्र ने उस समय दहेज की मांग को लेकर मृतका व उसके पति में कोई झगड़ा होता हो इस बाबत कोई कथन नहीं किए हैं, बल्कि रोज–रोज के झगड़े होना बताया है। अतः ऐसी स्थिति में परिवादी का यह कथन कि उन्होंने मृतका की मृत्यु दिनांक 01.03.2017 की बात को जबकि नवनीता घर के अंदर थी व गेट बंद था खुलवाए जाने पर भी खोला नहीं जा रहा था तब उस बात को गंभीरता से नहीं लिया जाकर यह कथन किया है कि उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा आए दिन होते थे। इसलिए उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, उक्त साक्ष्य अभियुक्त द्वारा मृतका से दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की जाती रही हो या शराब पीकर मारपीट की जाती हो के तथ्य को संदेहास्पद बनाता है।

69. इस प्रकार से परिवादी व मृतका की माता व भाई के द्वारा जो कथन किए गए हैं उनसे यह तथ्य प्रकट नहीं हुआ है ना ही अन्य किसी गवाहान की साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि मृतका के साथ मृत्यु से पूर्व मारपीट कर क्रूरता कारित की गई हो, जिसके फलस्वरुप मृतका ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली हो, ना ही यह तथ्य प्रकट हुआ है कि अभियुक्त के द्वारा मृतका के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कारित की हो तथा बाद में उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए फंदे पर लटका दिया हो। गवाहान ने जो साक्ष्य दी है उनमें दहेज की मांग को लेकर मारपीट किए जाने के संबंध में जो तथ्य वर्णित किए गए हैं वह तात्विक अभिवृद्धि की कोटि में आते हैं, जिससे गवाहान की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। उक्त गवाहान की मारपीट कर हत्या करने की साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सकीय गवाहान से नहीं हुई है, बल्कि चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु एंटी मॉर्टम हैंगिंग के फलस्वरुप हुई है। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्ष्य व मौखिक गवाहान की साक्ष्य से मृतका की मृत्यु फांसी लगाकर अस्वाभाविक परिस्थितियों में होने का तथ्य प्रमाणित है, परंतु मृतका की मृत्यु दहेज मृत्यु होने का अपराध घटित होने के

लिए अभियोजन को यह तथ्य साबित करना आवश्यक है कि मृतका की मृत्यु से कुछ पूर्व मृतका के पति या उसके नातेदारों द्वारा दहेज की मांग के लिए मृतका को तंग परेशान किया गया था, परंतु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहान की साक्ष्य से मृतका के पति या नातेदारों द्वारा मृतका से दहेज की मांग के लिए मृत्यु से कुछ समय पूर्व उसे तंग परेशान किया गया हो, उसके साथ मारपीट की गई हो, जिसको लेकर वह मानसिक व शारीरिक रूप से इस हद तक आहत हो गई हो कि उसके समक्ष अपने जीवन को समाप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं रहा हो, यह तथ्य साक्ष्य से प्रकट नहीं हुआ, बल्कि मृतका का स्वयं का सुसाइड नोट जो प्रदर्श पी 20 है, में मृतका ने अभियुक्त के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर उसे तंग परेशान करने, उसे मारपीट करने, शराब पीकर मारपीट करने के संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं, बल्कि उक्त सुसाइड नोट में मृतका के अभियुक्त से प्रेम पूर्वक संबंध होना प्रकट होते हैं। मृतका ने उक्त सुसाइड नोट में बच्चा नहीं होने के कारण स्वयं का चिड़चिड़ा होना, अकेलापन महसूस होना, छोटी–छोटी बातों पर झगड़ा करना अंकित किया है। अभियुक्त द्वारा मारपीट के फलस्वरूप या शारीरिक व मानसिक क्रूरता के कारण वह अवसाद में हो, यह तथ्य अंकित नहीं है। अतः उक्त सुसाइड नोट से भी अभियुक्त द्वारा मृतका को दहेज के शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करने का तथ्य प्रकट नहीं होता है व अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं होती है। इसके अतिरिक्त मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसके शरीर पर कोई ऐसी शारीरिक साधारण या गंभीर क्षति नहीं पाई गई, जिससे उसके साथ मृत्यु से पूर्व मारपीट की गई हो यह तथ्य प्रकट नहीं होता है। पोस्टमार्टम में लिगेचर मार्क के अलावा अन्य कोई चोट नहीं पाई गई है। लिगेचर मार्क फांसी के फंदे के कारण पाया गया है। पंचनामा में हाथ, पांव व पीठ पर नीलगू निशान होना अंकित किया गया है, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य मेडिकल बोर्ड द्वारा अंकित नहीं किया गया है कि मृतका के साथ मारपीट के फलस्वरूप जो चोटे आई, उनसे उसके नीलगू निशान हुए हो बल्कि चिकित्सकीय गवाहान ने पोस्टमार्टम लिविडिटी के कारण नीलगू निशान शरीर पर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने के कारण होना बताया है। अतः ऐसी स्थिति में मृतका के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई है व गर्दन पर जो कट का निशान पंचनामा के गवाहान ने बताया है, चिकित्सकीय गवाहान ने उक्त गले के कट का निशान लिगेचर को खोलने के कारण पोस्टमार्टम के दौरान किया जाना बताया है, जिस पर टांके भी लगे हुए हैं। उक्त कट का निशान अभियुक्त द्वारा किया गया हो यह तथ्य चिकित्सकीय गवाहान की साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से मृतका के पति या उसके नातेदारों

“Authenticated Document”

द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे तंग परेशान किया गया हो, उसके साथ मारपीट की गई हो, शराब पीकर मारपीट की गई हो और जिसके फलस्वरुप मृतका ने आत्महत्या कर ली हो, यह तथ्य अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है। दहेज के समान के बारे में जो स्त्री धन दौराने अनुसंधान जरिए प्रदर्श पी. 10 जब्त किया गया है, वह जेवरात व अन्य सामान अभियुक्त द्वारा मृतका के परिवारजन से मांगा गया हो, जिसके फलस्वरुप दिया गया हो, यह तथ्य भी साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। परिवादी सहित किसी भी गवाह ने उक्त सामान मृतका को विवाह में बतौर दहेज अभियुक्त द्वारा मांगने पर उसे दिया हो ऐसा कोई अंकन नहीं किया ना ही लिखित रिपोर्ट, मर्ग बयान, पुलिस बयान में अंकित है। परिवादी पी.ड. 5 रतन सिंह ने अपनी साक्ष्य में अपनी बेटी के वैवाहिक जीवन को सुरक्षित व संजय की संतुष्टि के लिए अपनी हैसियत अनुसार एक स्कूटर खरीद कर देना बताया है, परंतु लिखित रिपोर्ट, पुलिस बयान, मर्ग बयान में उक्त तथ्य का अंकन नहीं होना स्वीकार किया है। उक्त जेवरात व स्कूटर के बिल की फोटोप्रति पुलिस को देना, असल स्वयं के पास होना बताया है, परंतु कोई बिल साख्य में प्रदर्शित नहीं करवाए हैं। अनुसंधान अधिकारी ने भी इस संबंध में कोई कथन नहीं किया, बल्कि गवाह पी.ड. 28 मोटाराम ने यह कथन किया है कि यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी. 60 व 61 दहेज के सामान सुपुर्द करते समय खींचे गए हो। किसने खींचे जानकारी नहीं होना बताया है। प्रदर्श पी. 60 व 61 जेवरात के फोटाग्राफ्स जिनकी फोटो अनुसंधान अधिकारी ने खींचने से इनकार किया है। अतः उक्त सामान परिवादी ने अभियुक्त को दिया हो, इस संबंध में अनुसंधान प्रकट नहीं है। परिवादी ने भी उक्त सामान अभियुक्त को दिया हो, ऐसा कथन साक्ष्य में नहीं किया है, जेवरात की कोई शिनाख्तगी नहीं है। अतः जब्तशुदा सामान ही दहेज में दिया हो प्रमाणित नहीं है।

अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से मृतका का विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु होने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। यद्यपि मृतका की मृत्यु सीढ़ियों की रेलिंग में साड़ी से फंदा बनाकर लटकने के कारण आत्महत्या के फलस्वरूप अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई है, परंतु अभियुक्त के द्वारा मृतका की मृत्यु से कुछ पूर्व दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर क्रूरता की गई हो या शराब पीकर मारपीट कर क्रूरता की गई हो या नसबंदी खुलवाने को लेकर रुपयों की मांग कर मारपीट की गई हो व क्रूरता पूर्ण व्यवहार किया गया हो, जिसके फलस्वरुप मृतका शारीरिक व मानसिक रूप से इस हद तक परेशान हो गई हो कि उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई हो, यह तथ्य साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है, बल्कि मृतका के सुसाइड नोट से यह तथ्य प्रकट होता है कि मृतका बच्चा नहीं होने के कारण अवसाद में थी, जिसके फलस्वरूप उसके द्वारा

आत्महत्या की गई है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विरूद्ध मृतका के साथ दहेज के लिए क्रूरता करने का धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का भी आरोप है। उक्त अपराध के विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया जावे तो धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता के अनुसारः–

धारा 498 क– किसी स्त्री के पति या नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना– जो कोई, किसी–स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(क) जान–बूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे स्त्री को आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) के प्रति गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने के लिये उसे प्रेरित करने की सम्भावना है; या

(ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा हैं।]

70. इस प्रकार उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में हस्तगत प्रकरण की साक्ष्य का अवलोकन करने पर पूर्व विवेचनानुसार मृतका के साथ दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर मारपीट करना, शराब का सेवन कर मारपीट करना, नसबंदी खुलवाने को लेकर पांच लाख रुपये की मांग करने के संबंध में जो कथन किए हैं, वे जिरह में अखंडित नहीं रहे हैं, बल्कि दहेज में पांच लाख रुपये की मांग के संबंध में परिवादी व गवाहान ने अपने मर्ग बयान, पुलिस बयान में कोई तथ्य अंकित नहीं किए। परिवदी ने लिखित रिपोर्ट में भी अंकन नहीं किया है, जो सामान मृतका व अभियुक्त के किराए के मकान गोकुल विला से पेश होने पर जरिए फर्द प्रदर्श पी. 10 जब्त किया वह सामान दहेज के रूप में मांग करने पर परिवादी ने अभियुक्त को दिया हो। यह मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है ना ही दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है। मृतका ने अपने सुसाइड नोट में ऐसा कोई अंकन नहीं किया है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया हो, बल्कि वह बच्चा नहीं होने से अवसाद में थी। अभियुक्त द्वारा नसबंदी करवाने से उनके संतान उत्पत्ति नहीं हो, ऐसा कोई तथ्य सुसाइड नोट प्रदर्श पी. 20 में अंकित नहीं है। अभियुक्त ने नसबंदी करवा

रखी हो, इस बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं है ना ही अनुसंधान में जांच की गई है। अतः अभियुक्त की नसबंदी के कारण उनके बच्चा नहीं था अभियुक्त ने नसबंदी खुलवाने के लिए रुपये मांगे हो और इस कारण मृतका अवसाद में हो, यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं है। अतः पूर्व विवेचनानुसार मृतका की मृत्यु से कुछ पूर्व या किसी समय दहेज की मांग किया जाना उसके लिए मृतका को प्रताड़ित करना साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। उक्त प्रताड़ना के कारण आत्महत्या की हो, यह भी प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियोजन द्वारा धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता का अपराध भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है।

71. इस प्रकार अभियोजन पक्ष इस बिन्दु को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने परिवादी की पुत्री श्रीमती नवनीता के साथ विवाह के उपरान्त व दिनांक 01.03.2017 से पूर्व किशनगढ़ में उसका पति होते हुए उससे दहेज में रुपयों की मांग को लेकर क्रूरता का व्यवहार कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे दिनांक 01.03.2017 को विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में श्रीमती नवनीता की मृत्यु फांसी लगाने से हुई और इस प्रकार दहेज मृत्यु कारित की हो। अतः धारा 498 ए व 304 बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों पर चस्पा नहीं होते हैं।

72. इसके अतिरिक्त अभियुक्त के द्वारा मृतका की मारपीट कर हत्या की गई हो व उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे फांसी के फंदे पर लटकाया हो यह तथ्य भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त संजय कुमार उर्फ सन्नु के विरूद्ध धारा 498 ए, 304 बी विकल्प में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किए जाने से अभियुक्त संजय कुमार उर्फ सन्नु को धारा 498 ए, 304 बी विकल्प में धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है

–आ दे श–

73. **अतः अभियुक्त संजय कुमार उर्फ सन्नु** पुत्र श्री रामचन्द्र सांखला, उम्र 39 साल, निवासी गली नं. 06 वर्धमान कॉलेज के सामने कृष्णा कॉलोनी, कुमावत भवन के पास ब्यावर, पुलिस थाना ब्यावर सिटी, जिला अजमेर हाल गोकुल विला कॉलोनी गांधीनगर किशनगढ़, पुलिस थाना गांधीनगर जिला अजमेर को अपराध अन्तर्गत **धारा 498 ए, 304 बी विकल्प में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता** के

अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

74. अभियुक्त के न्यायालय में पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है। अभियुक्त द्वारा इस आदेश की अपील होने की दशा में अपील न्यायालय में उपस्थिति हेतु धारा 437 ए जाप्ता फौजदारी के तहत दस–दस हजार रुपये राशि की जमानत, इस कदर राशि के मुचलके 6 माह की अवधि के पेश कर तस्दीक कराये जाने का आदेश दिया जाता है।

75. प्रकरण में जब्तशुदा माल को बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन, अपील/रिवीजन न होने की स्थिति में नियमानुसार निस्तारित किया जावे तथा अपील होने की दशा में माल का निस्तारण अपील न्यायालय के आदेश अधीन रहेगा।

76. राज्य सरकार के द्वारा पीडित प्रतिकर स्कीम 2011 बनाई गई है, इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत आवश्यक संशोधन किये जाकर 357 क जोडी गई, जिसका सार यह है कि यदि किसी आपराधिक घटना के परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्ति को कोई शारीरिक या साम्पतिक क्षति कारित हुई है तो उसकी पूर्ति नियमानुसार की जायेगी। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य से मृतका की मृत्यु उससे दहेज की मांग करने या उसके लिए तंग–परेशान कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रूरता करने के फलस्वरूप हुई हो, यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः धारा 357 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवादी को किसी प्रकार का प्रतिकर दिलाया जाना विधि अनुसार व न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से परिवादी को प्रतिकर दिलाया जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।

(शालिनी शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2,
किशनगढ़, जिला अजमेर।

77. निर्णय आज दिनांक 08–05–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

(शालिनी शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2,
किशनगढ़, जिला अजमेर।

GANPAT SINGH SOLANKI
Steno Gr. II
“Authenticated Document”
Digitally signed by GANPAT SINGH SOLANKI
Date: 2026.05.12 11:23:38 +0530

“Authenticated Document”